शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

वार्षिक वृत्तांत 2012-13

आरटीइ-एसएसए - एनपीईजीईएल - केजीबीवी

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद

सर्व शिक्षा अभियान

सेक्टर-१७, गांधीनगर, गुजरात

टोल फ्री नंबर - १८००-२३३-७९३५ **www.ssagujarat.org**

प्रस्तावना

एसएसए, गुजरात निरंतर 6-14 आयु वर्ग के बच्चों में गुणवत्तायुक्त प्रा.शिक्षण तथा शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास में लगा हुआ है। गुणवत्तायुक्त प्रा.शिक्षण की उपलब्धता व विस्तरण में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति पाई है।

आज, गुजरात के प्रत्येक गाँव में एक प्राथमिक शाला तथा प्रत्येक गाँव की 1 कि.मी. की परिधिमें प्राथमिक शाला की सिध्धिके बारे में गर्व कर सकता है। गुजरात हर गाँव के 3 कि.मी. की सीमा में उच्च प्रा.शाला, उपलब्ध कराने में सक्षम रहा है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक का अनुपात 1:2 है। गुजरात में गत वर्षो में, प्राथमिक शालाओं में नियमित वृध्धिके साथ-साथ, (कुमार तथा कन्या दोनों ही) बच्चों के नामांकन में भी क्रमिक विकास हुआ है। प्रा.शालाओं की संख्या 36315 से (2004-05 में) बढ़कर 42447 (2012-13 में) तक हो गई है। इसी प्रकार, कक्षा 1 से 5 का कुल नामांकन 2003-04 में 5144278 से बढ़कर 2012-13 में तथा 5865399 कक्षा 1 से 8 में 6601031 (2003-04 में) से बढ़कर 2012-13 में 9176433 बढ़ा है।

नई पहलों जैसे कि एडेप्ट्स, एबीएल, बाला, प्रज्ञा तथा उच्च प्रा.शालाओं का कक्षा 8 तक अन्नयन / उत्थान से लड़के - लड़कियों के कक्षा 5 से 8 में स्थायीकरण में मदद मिली।

इससे स्कूल छोड़ने की दर घटी है जो कि वर्ष 2004-05 में कक्षा 1 से 7 में 18.79 से घटकर 2012-13 में 7.08 तक रह गई है। कक्षा 1 से 5 के ड्रॉप आऊट दर में भी 2004-05 के 10.16 से 2012-13 में 2.04 तक की गिरावट पाई गई है।

दो प्रमुख संकेतकों - सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) तथा शुध्धनामांकन अनुपात (एनईआर), लड़के-लड़की दोनों ही के मामले में महत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया। 2003-04 में कुल जीईआर तथा एनईआर क्रमशः 95.5 तथा 75.07 रहे जो बढ़कर क्रमशः 101.47 एवं 99.24 रहे। यह जीईआर में 5.97 तथा एनईआर में 23.17 की प्रशंसनीय / ठोस सुधार पाया गया।

बच्चे के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, (आरटीई अधिनियम, 2009) के तहत राज्य में सभी स्तर पर सच्ची भावना से और सहयोग के साथ लागू किया गया है। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति की यहाँ पर विस्तृत जानकारी अनुबध्ध है।

आशा है, यह रिपोर्ट राज्य में एसएसए-आरटीई अंतर्गत विविध विकास कार्यो के विहंगावलोकन के रूप में उपयोगी एवं ज्ञानवर्धक साबित होगी।

(मुकेश कुमार, आईएएस)

राज्य परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान

प्राथमिक शिक्षा के आयुक्त और मध्याह्न भोजन, गांधीनगर, गुजरात

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना
कारवाई रिपोर्ट

अध्याय

I	गुजरात : राज्य रुपरेखा	1
II	शिक्षक प्रशिक्षण एवं एलईपी एडेप्ट्स एवं प्रज्ञा	7
III	सामुदायिक अभिप्रेरण	23
IV	बालिका शिक्षा, एनपीईजीईएल एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	33
V	विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	43
VI	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा	49
VII	मीडिया और प्रलेखन	57
VIII	प्रबंधन सूचना प्रणाली	59
IX	योजना एवं प्रबंधन	63
X	स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (सिविल वर्क्स)	67
XI	वित्त एवं लेखा	75

आर.टी.ई. अधिनियम, 2012 के प्रावधानों के कार्यान्वयन का विवरण

क्रमांक	नियमों का विवरण	की गई कार्रवाई	लागू कार्यालय / एजेंसी निदेशक
1	(1) विद्यार्थियों के प्रवेश (2) आयु प्रमाण के दस्तावेज (3) प्रवेश के लिए विस्तारित अवधि	(3) (2) (1) 2012 गुजरात आरटीई नियमों के नियम 3 के तहत अधिसूचित	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
2	विशेष प्रशिक्षण	स्कूल से बाहर रहने वाले 6-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चे जो कभी नामांकित नहीं हुए हैं और वो बच्चे जो प्राथमिक शिक्षा पूरी होने से पहले स्कूल छोड़ देते हैं उन बच्चों की हर साल पहचान की जाती हैं। एसे बच्चों के नाम स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते है। उन बच्चों को उचित कक्षा में वास्ताविक प्रवेश के समय सक्षम बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण सामग्री विकसित की जाती है और विशेष रणनीति की योजना बनाई जाती है।	सर्व शिक्षा अभियान
3	नए प्राथमिक स्कूलों के खुलने और निजी स्कूल का अधिकार संभाल लेना	यह प्रावधान 2012, गुजरात आरटीई नियमों के नियम 5 के अधीन कर दिया गया है	मामले के रूप में जिला समिति या नगर स्कूल बोर्ड हो सकता है
4	स्कूलों में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए	पहले से ही लागू	राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकरण / स्कूल
5	बच्चों के रिकॉर्ड की स्थानीय प्राधिकारी द्वारा रखरखाव	प्रक्रिया के तहत	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
6	प्री – स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया	प्रक्रिया के तहत	जी.सी.ई.आर.टी.
7	पाठ्यक्रम और पूर्व स्कूल की मूल्यांकन प्रक्रिया	प्रक्रिया के तहत	जी.सी.ई.आर.टी.

क्रमांक	नियमों का विवरण	की गई कार्रवाई	लागू कार्यालय / एजेंसी निर्देशक
8	पूर्वस्कूली (प्री–स्कूल) शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं आकलन	प्रक्रिया के तहत	जी.सी.ई.आर.टी.
9	आर्थिक दृष्टि से कमजोर और वंचित समूह से संबंधित बच्चों का बिना सहायता प्राप्त (प्राइवेट) स्कूलों में प्रवेश	प्रक्रिया के तहत	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
10	स्कूलों में प्रवेश के लिए न को कैपिटेशन फीस के नियमों और न कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई	पहले से ही लागू	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
11	स्कूलों की मान्यता, स्कूल के अलावा अन्य स्कूल की स्थापना और जिस की मालिकी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नियंत्रित की जाती हो।	प्रक्रिया 2012, गुजरात आरटीई नियमों के नियम १३ के तहत अधिसूचित किया गया है	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
12	मान्यता को वापस से लेना	प्रक्रिया 2012, गुजरात आरटीई नियमों के नियम १३ के तहत अधिसूचित किया गया है	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
13	मान्यता को वापस ले लेना	निर्दिष्ट खबरदार मे शिक्षा विभाग संकल्प No.PRE142-,242-010,076 कदिनांक 06/03/2010 : के अनुरुप	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
14	स्कूल व्यवस्थापन समिति की रचना और उसके कार्य	नियम नं. 16, आर.टी.ई. अधिनियम, गुजरात राज्य के अंतर्गत हर स्कूल में स्कूल व्यवस्थापन समिति (एसएमसी) की रचना की गई है।	बेबस स्कूल के अलावा अन्य स्कूल
15	स्कूल विकास योजना को तैयार करना	गुजरात आरटीई नियमावली 2012, के नियम 17 के तहत निर्दिष्ट के रूप में, स्कूल विकास योजना एसएमसी द्वारा हर वर्ष तैयार कर रहे हैं।	एसएमसी

क्रमांक	नियमों का विवरण	की गई कार्रवाई	लागू कार्यालय / एजेंसी निर्देशक
16	न्यूनतम योग्यता हांसिल हो वैसे शिक्षक	पर्याप्त शिक्षण शिक्षा की सुविधाएं राज्य में उपलब्धहैं	राज्य सरकार
17	शिक्षकों या विद्या सहायक की सेवा का वेतन, भत्थे और शर्ते	प्रक्रिया के तहत	राज्य सरकार
18	शिक्षक या विद्या सहायक के कर्तव्य	प्रक्रिया के तहत	जी.सी.ई.आर.टी. / निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
19	शिक्षकों या विद्या सहायक के लिए शिकायत निवारण तंत्र	प्रक्रिया के तहत	राज्य सरकार द्वारा न्यायाधिकरण का गठन
20	शैक्षणिक प्राधकारी अंतर्गत शैक्षणिक पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया	GCERT, गांधीनगर से 09/07/2012 दिनांकित पत्र के अनुसार निर्धारित	स्कूल के हेड टीचर
21	पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया	ऊपर के रूप में	ऊपर के रूप में
22	आवधिक प्रशिक्षण और नियमित रूप से मूल्यांकन के लिए तंत्र की व्यवस्था	ऊपर के रूप में	जी.सी.ई.आर.टी.
23	सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आवधिक बाह्य मूल्यांकन	ऊपर के रूप में	जी.सी.ई.आर.टी.
24	शिक्षा की गुणवत्ता की समय – समय पर आकलन और एक रिपोर्ट का निर्माण	प्रक्रिया के तहत	राज्य सरकार ने एक स्वतंत्र संगठन या विंग स्थापित करने के लिए
25	नियमित रूप से मोनिटरिंग तंत्र	प्रक्रिया के तहत	राज्य सरकार नियमित रूप से सेवापूर्व शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए

क्रमांक	नियमों का विवरण	की गई कार्रवाई	लागू कार्यालय / एजेंसी निर्देशक
26	शिक्षक पात्रता के लिए आम कसौटी की शरूआत	शिक्षक और प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए आम पात्रता परीक्षा 27/04/2011 और 18/01/2012 दिनांकित शिक्षा विभाग के संकल्प का परिचय दिया गया है	राज्य परीक्षा बोर्ड
27	प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र / पुरस्कार	प्रक्रिया के तहत	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा
28	राज्य आयोग द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कार्यों का प्रदर्शन	बाल अधिकार संरक्षण के लिए गुजरात राज्य आयोग 28-09-2012 दिनांकित सुचना No.JJA/223154/2012/10Chh गठित की गई है	एससीपीसीआर
29	SCPCR के सामने शिकायतों को प्रस्तुत करने की रीति	2012 गुजरात आरटीई नियमों के नियम 32 के तहत निर्धारित	एससीपीसीआर
30	राज्य सलाहकार परिषद (State Advisory Council) का संविधान (गठन) और कार्यो	राज्य सलाहकार परिषद खबरदार शिक्षा विभाग संकल्प No. PRE-122, 695-012, 445 क 23-11-2013 दिनांकित गठित की गई है	राज्य सलाहकार परिषद

अध्याय - 1

गुजरात : राज्य की रुपरेखा

अध्याय - 1

गुजरात : राज्य की रुपरेखा

क्षेत्र और जनसंख्या :

गुजरात का क्षेत्रफल 1.96 लाख वर्ग किलोमीटर है। राज्य को 26 जिलों और 228 ब्लोंकों में बाँटा गया है। 2011 की जनगणना के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या 6.03 करोड़ है। भारत के कूल क्षेत्रफल में गुजरात का हिस्सा 6.19 प्रतिशत है।

घनत्व

गुजरात का जनसंख्या घनत्व 308 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. था। उच्चतम घनत्व सूरत जिले में 1376 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी पाया गया था, जबकि कम से कम घनत्व 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी कच्छ जिले में पाया गया था।

लिंग अनुपात

वर्ष 2011 मे गुजरात का लिंग अनुपात 934 रहा। डांग जिले में उच्चतम 1007 लिंग अनुपात है, जबकि सूरत जिले में कम से कम 788 लिंग अनुपात पाया गया था। राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में लिंग अनुपात 925 है, जबकि यह शहरी क्षेत्रों में 911 और ग्रामीण क्षेत्रों में 934 है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की आबादी में लिंग अनुपात 974 है, जबकि शहरी क्षेंत्रों में 926 और ग्रामीण क्षेत्रों में 978 है।

साक्षरता

राज्य में साक्षरता दर (0-6 साल के आयु वर्ग में बच्चों को छोड़कर) वर्ष 2001 में 69.14 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 79.31 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पुरुषों में यह प्रमाण वर्ष 2001 में 79.66 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 87.23 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जहां महिलाओं के बीच यह प्रमाण 2001 मे 57.86 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 70.73 प्रतिशत वृद्धि हुई है। अहमदाबाद की उच्चतम साक्षरता दर 86.65 प्रतिशत है, जबकि दाहोद में सबसे 60.60 प्रतिशत साक्षरता दर है।

शहरीकरण

2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, जहां भूकंप के कारण जनगणना नहीं हो पाई उन कच्छ, जामनगर और राजकोट, जिले के क्षेत्रों को छोड़कर गुजरात की 37.35 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। शहरीकरण की यह अनुपात वर्ष 1991 में 34.49 प्रतिशत थी। गुजरात में अहमदाबाद सबसे अधिक शहरीकृत जिला है, जहां की 80.09 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि डांग पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ कोई शहरी आबादी नहीं है।

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ

2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 35,92,715 है, जो कुल जनसंख्या का 7.09 प्रतिशत है। इसमे 18,66,283 पुरुष सामील हैं, जो 7.07 प्रतिशत है और 17,26,432 महिलाएँ शामिल (जो 7.11 प्रतिशत) हैं। राज्य में शहरी अनुसूचित जाति की आबादी 14,12,274 है, जो 39.31 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जाति की आबादी 21,80,441 है, जो 60.69 प्रतिशत है।

2001 की जनगणना के अनुसार, राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 74,81,160 है, जो कुल जनसंख्या का 14.76 प्रतिशत है। जिसमें 37,90,117 पुरुष सामील हैं, जो 14.36 प्रतिशत है और 36,91,043 महिलाएँ (15.20 प्रतिशत) शामिल हैं। राज्य में शहरी अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 6,14,523 है जो 8.21 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 68,66,637 है, जो 91.79 प्रतिशत है।

प्राथमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा शैक्षिक पिरामिड का आधार होने के कारण, गुजरात सरकार ने राज्य में हमेशा से इसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गुजरात के हर गांव में 1 किमी के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय है। वर्ष 2012-13 के DISE रिपोर्ट के अनुसार छात्र-शिक्षक अनुपात 29 है।

प्रारंभिक विद्यालय

पिछले वर्षों में गुजरात में प्राथमिक स्कूलों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2004-05 में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 36315 थी, यह संख्या 2012-13 में बढ़कर 42447 हो गई। इससे स्पष्ट रूप से इंगित होता है कि सर्व शिक्षा अभियान अपने विविध जागृति अभियानों का कार्यान्वयन करके राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की माँग बढ़ाने में सफल हुआ है।

वर्ष	स्कूल				नामांकन			
	सरकारी	निजी सहायता प्राप्त	निजी सहायता रहित	कूल	सरकारी	निजी सहायता प्राप्त	निजी सहायता रहित	कूल
2004-05	32258	765	3292	36315	5966913	158823	695356	6821092
2005-06	32318	777	4161	37256	6065451	161194	928355	7155000
2006-07	33061	888	5194	39143	6083903	201410	1255657	7540970
2007-08	33236	852	5477	39565	6031806	212076	1418611	7662493
2008-09	33182	843	5081	39106	6006917	220315	1485112	7712344
2009-10	33429	913	5610	39952	5882190	253373	1683300	7818863
2010-11	33503	788	6403	40728	5904497	225706	2014842	8145045
2011-12	33537	703	6738	40943	5968507	184638	2223822	8376967
2012-13	33619	908	7920	42447	6192645	248625	2735163	9176433

नामांकन में वृद्धि

लोगों में शिक्षा के प्रति बढ़ती हुई जागृति के साथ, प्रारंभिक पाठशालाओं में बच्चों के नामांकन में भारी बढ़ोतरी देखी गई, जिसमें लड़कें और लड़कियाँ दोनों ही शामिल थे। सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि इतने वर्षों में, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले बच्चों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। कक्षा 1-8 में कुल नामांकन 2003-04 में 66,01,031 से 2012-13 में बढ़कर 91,76,433 हो गया है।

वर्ष	नामांकन कक्षा (सभी) : 1 से 5			नामांकन कक्षा (सभी) : 1 से 8		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
2003-04	2753851	2390427	5144278	3577331	3023700	6601031
2004-05	2817873	2457464	5275337	3690323	3130769	6821092
2005-06	2905938	2573721	5479659	3841530	3313470	7155000
2006-07	3048072	2682210	5730282	4049751	3491219	7540970
2007-08	3095168	2711659	5806827	4110074	3552419	7662493
2008-09	3092593	2716192	5808785	4125572	3586772	7712344
2009-10	3124744	2730882	5855626	4190175	3628688	7818863
2010-11	3163491	2723977	5887468	4390931	3754114	8145045
2011-12	3138434	2719585	5858019	4507418	3869549	8376967
2012-13	3141405	2723994	5865399	4945404	4231039	9176433

ड्रॉप आउट दरों में कमी

प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के मानक में ड्रॉप–आउट रेट की दर में जबरदस्त कमी हुई है। कक्षा 1 से 7 में वर्ष 1996-1997 में 49.49 थी जो 2012-13 में 7.08% थी। इसी तरह, कक्षा 1 से 5 का ड्रॉप आउट रेट, जो कि वर्ष 1996-97 में 35.40 से घटकर वर्ष 2011-12 में 2.0 हुआ है।

शाला छोड़ने वालों की दर (ड्रॉप–आउट रेट)						
वर्ष	नामांकन कक्षा (सभी) : 1 से 5			नामांकन कक्षा (सभी) : 1 से 7		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
2004-05	8.72	11.77	10.16	15.33	22.8	18.79
2005-06	4.53	5.79	5.13	9.97	14.02	11.82
2006-07	2.84	3.68	3.24	9.13	11.64	10.29
2007-08	2.77	3.25	2.98	8.81	11.08	9.87
2008-09	2.28	2.31	2.29	8.58	9.17	8.87
2009-10	2.18	2.23	2.2	8.33	8.97	8.66
2010-11	2.08	2.11	2.09	7.87	8.12	7.95
2011-12	2.05	2.08	2.07	7.35	7.82	7.56
2012-13	2.02	2.06	2.04	6.87	7.37	7.08

जीईआर और एनईआर

पिछले कई वर्षों में, गुजरात ने दो बड़े दिशासूचकों में महत्वपूर्ण उन्नति दिखाई है: सफल नामांकन अनुपात (जीईआर) तथा शुद्ध नामांकन अनुपात (एनईआर), लड़कें और लड़कियाँ दोनों के लिए। वर्ष 2003-04 में, कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 95.5 और 75.07 थे। वर्ष 2012-13 में, कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 101.47 और 99.24 है। वर्ष 2003-04 में, लड़कों का कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 96.62 और 75.07 था। वर्ष 2012-13 में, लड़कों का कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 102.6 और 99.24 है। वर्ष 2003-04 में, लड़कियों का कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 94.38 और 74.8 था। वर्ष 2012-13 में, लड़कियों का कुल जीईआर और एनईआर क्रमश: 100.87 और 98.96 है।

वर्ष	जीईआर			एनईआर		
	लड़के	लड़कियाँ	कुल	लड़के	लड़कियाँ	कुल
2003-04	96.62	94.38	95.5	75.33	74.8	75.07
2004-05	109.68	109.39	109.54	96.06	95.23	95.65
2005-06	110.68	110.39	110.54	96.56	95.73	96.15
2006-07	111.78	111.49	111.64	97.83	96.23	97.03
2007-08	103.11	100.84	101.98	98.17	96.67	97.42
2008-09	104	101.72	102.86	98.58	98.58	97.82
2009-10	104.67	102.34	103.51	98.82	98.04	98.29
2010-11	105.03	103.12	104.08	99.06	98.23	98.64
2011-12	105.08	104.2	104.64	99.08	98.53	98.8
2012-13	102.06	100.87	101.47	99.53	98.96	99.24

गुजरात सरकार के विशेष हस्तक्षेप

एसएसए को अपने हिस्से का निधिदान देने के उपरांत, गुजरात सरकार ने उत्साहपूर्ण तरीके से राज्य में अनेक विलक्षण हस्तक्षेप लागू किए, जैसे कक्षा 1 से 7 के छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराना, प्राथमिक पाठशालाओं के स्तर की अन्नति, विद्या लक्ष्मी योजना और विद्या दीप योजना।

विद्या सहायकों कि भर्ती

प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या के निवारण हेतु गुजरात सरकार विविध चरणों में विद्या–सहायकों की भरती कर रही है। विद्या सहायक एक निश्चित समेकित वेतन पर नियुक्त शिक्षक है। जिनको जिलों की पाठशालाओं में रिक्तता की पूर्ति के लिए नियमित संवर्ग में अवशोषित किया जाता है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रकाशित आँकड़ो के अनुसार वर्ष 2012-13 में कुल 1,41,818 विद्या–सहायक हैं, जिनमें से 8800 की भर्ती 2012-13 में ही की गई।

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें

राज्य सरकार, जिला शिक्षा समितियों और नगरपालिका पाठशाला बोर्ड द्वारा संचालित पाठशालाओं में कक्षा 1 से 7 में पढ़नेवाले बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराती है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राज्य की सरकारी एवं अनुदान सहाय प्राप्त पाठशालाओं में कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गुजरात सरकार सात माध्यमों में पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित एवं प्रदान कराती है, जैसे कि गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दू, सिन्धी और तमिल। ''बालसृष्टि'' नामक एक मासिक पत्रिका भी प्राकशित की जाती है और 33,619 प्राथमिक स्कूलों, 86 केजीबीवी, बीआरसी, सीआरसी में नि:शुल्क वितरीत की जाती है।

प्राथमिक स्कूलों के अन्नयन

यह पाया गया है कि बच्चों के प्राथमिक शिक्षा पूरा नहीं करने के प्रमुख कारणों में से एक उनके गांव में कक्षा 5 से उपर स्कूली शिक्षा सुविधाओं की कमी है। इस समस्या पर काबू पाने के लिए हर गांव में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय के रूप में उन्नत किया गया है।

विद्या लक्ष्मी योजना

जहाँ कन्या साक्षरता दर 35% से नीचे है उन गाँवों में विद्या लक्ष्मी नामक योजना की शुरूआत की गई थी। इस योजना का लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयो में लड़कियों के 100 प्रतिशत नामांकन एवं अवधारण हासिल करना था। योजना के तहत, कक्षा 1 में नामांकित होनेवाली हर एक लड़की को, रू. 1000/- के मूल्य का नर्मदा बॉण्ड दिया जाता है, जिसकी परिपक्वता अवधि सात वर्ष की है। प्राथमिक शिक्षा के सात वर्ष पूर्ण कर लेने के पश्चात ही लड़की इस परिपक्व राशि को नकद रूप में पाने योग्य बनती है। इस योजना से लाभान्वित हुई लड़कियों की संख्या और नर्मदा बॉण्ड के ज़रिए वितरीत की गई धनराशि की कुल रकम निम्नानुसार है :

वर्ष	लाभार्थी लड़कियों की संख्या	नर्मदा बॉण्ड की कुल वितरित राशि
2002-03	1,10,829	1108.29
2003-04	1,54,457	1544.57
2004-05	1,30,000	1300.00
2005-06	1,51,034	1510.34
2006-07	1,16,300	1163.00
2007-08	1,47,506	1475.06
2008-09	1,28,757	1287.57
2009-10	1,11,553	1115.53
2010-11	1,04,319	1043.19
2011-12	1,44,491	1144.91
2012-13	1,05,298	2105.96

विद्या दीप योजना

राज्य सरकार के स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को बीमा सरंक्षण प्रदान करने के लिए विद्या दीप योजना शुरू की गई है। 26 जनवरी, 2001 के भूकंप में जिन बच्चों ने अपने जीवन खो दिए हैं उनकि स्मृति में ये योजना शुरू की गई है, योजना के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ रहे सभी बच्चों को लाभ प्रदान कराने का हेतू है। राज्य सरकार वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करेगी, जिसके तहत ₹. 25,000 की एक राशि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए बीमा किया जाएगा, जबकि ₹. 50,000 की एक राशि को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में बच्चों के लिए बीमा किया जाएगा। आत्महत्या और प्राकृतिक मृत्यु के अलावा आकस्मिक मृत्यु के किसी भी मामले में बीमा कंपनी को बीमा की राशि छात्रों के माता पिता को भुगतान करना होगा। बच्चे की मृत्यु के एक सप्ताह के भीतर पाठशाला के आचार्य के द्वारा इससे संबंधित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है जिसके आधार पर, बच्चे की बीमाकृत राशि का 15 दिनों के भीतर चेक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

The year-wise details of claims paid up under Vidya Deep Yojana are as under:

वर्ष	दावों का भुगतान	धारा
2002-03	436	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक
2003-04	248	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक
2004-05	456	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक
2005-06	153	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक
2006-07	381	प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक
2007-08	31	प्राथमिक
2008-09	382	प्राथमिक
2009-10	277	प्राथमिक
2010-11	318	प्राथमिक
2011-12	184	प्राथमिक
2012-13	263	प्राथमिक

अध्याय – 2

शिक्षक प्रशिक्षण, एलईपी, एडेप्ट्स और प्रज्ञा

अध्याय - 2

शिक्षक प्रशिक्षण, एलईपी, एडेप्ट्स और प्रज्ञा

गुणवत्ता सुधार की ओर

सेवाकालीन शिक्षक प्रिशक्षण :-

शिक्षकों के 10 दिवसीय ब्लॉक स्तर के प्रशिक्षण और 10 दिन की क्लस्टर बैठकों का शिक्षकों के समर्थन और क्षमता-निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

एसएसए अंतर्गत शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु विभन्न अभिनव कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। इन कार्यक्रमों में मुख्य तौर पर शामिल हैं-एडेप्ट्स, प्रज्ञा, एलईपी, गुणोत्सव तथा अन्य।

शिक्षकों के प्रशिक्षण की संरचना ईस ढंग से की गई है कि जिससे शिक्षक अपने वर्गखंडो में बेहतर निष्पादन कर सकें। अत:प्रशिक्षण में विषय - सामग्री, कार्यप्रणाली, मूल्यांकन तथा टी.एल.एम. प्रयोग जैसे अनेक विषयों को सम्मिलित किया जाता है। चूंकि प्रशिक्षण का ध्येय बच्चों में कौशल विकास है इसलिए प्रशिक्षण की रणनीति तथा इन्टरएक्टिंग (पारस्परिक बातचीत संभव हो ऐसे) मॉडयुल तैयार किए गए।

राज्य द्वारा ऐसे विभिन्न प्रशिक्षण / माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है जिससे राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण के अवसर उपलब्ध हो पाएँ। दूरवर्ती सम्मेलन / गोष्टी (टेली कॉन्फरन्स माध्यम) द्वारा प्रशिक्षण का यह एक प्रमुख लाभ है। राज्य द्वारा इस सुविधा का प्रयोग ब्लॉक तथा क्लस्टर दोनों ही स्तरों के प्रशिक्षण में किया जाता है।

चूंकि एसएसए द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन एसएसए परियोजना की शुरुआत से ही किया जा रहा है ; गत वर्ष में 20 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण में भी कई सुधार लाए गए हैं। राज्य द्वारा प्रपातन ढाँचा अंतर्गत राज्य स्तर से क्लस्टर स्तर तक प्रशिक्षण मे अंत: स्त्रवण के तरीकों का आरंभ किया गया। परंतु प्रपातन ढाँचे में भी संचरण हानि जैसी अन्य कई बाधाएँ होती है, अत:एसएसए गुजरात द्वारा ऐसी रणनीति प्रस्तुत की गई जिससे प्रपातन तथा आमने-सामने वाली प्रशिक्षण व्यवस्था; दोनों का ही संयोजन सफल रुप से संभव हो पाया। इसे परस्पर संवादात्मक दूरदर्शन (ईन्टरेक्टिव टी.वी. / आई-टी.वी.) माध्यम के तौर पर अपनाया गया।

दूर संवाद व्यवस्था का श्रेष्ठतम उपयोग किया गया, विषय बदलने की संचार प्रणाली की वजह से दूर संवाद प्रसारण भवन का प्रयोग प्रात: 7:30 से सायं 5:00 तक किया जाता है।

सभी प्रशिक्षणार्थियों से प्रतिपुष्टियाँ एकत्रित कर राज्य स्तर पर उनका विश्लेषण किया जाता है। प्रतिपुष्टि में मिले सुझावों का भविष्य में होने वाले प्रशिक्षणों के आयोजन में समन्वयन किया जाता है। प्रशिक्षण का ही नतीजा है कि शिक्षक को स्वयं महसूस होता है कि शिक्षक को अपनी जरुरत आधारित प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षक सेवाकालीन प्रशिक्षण की उपयोगिता समझकर उसमें भाग लेते हैं। प्रशिक्षण की इस रणनीति को बहुत ही असरदार पाया गया और इससे राज्य द्वारा राज्य भर में शिक्षकों की प्रशिक्षण व्यवस्था में वृद्ध स्तर पर बदलाव / सुधार लाने में मदद मिली। जिससें शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ।

शिक्षकों द्वारा विभिन्न श्रेणियों में प्रशिक्षण जरुरतों जैसे कि विषय सामग्री, कार्यप्रणाली, बाल-मनोविज्ञान, टी.एल.एम. (शैक्षिक सामग्री) का प्रयोग, एडेप्ट्स, भाषा-समृध्धिकरण इत्यादि। शिक्षकोंने प्रशिक्षण हेतु अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ प्रस्तुत की।

अत:प्रशिक्षण मे इस ढाँचे का अनुकरण वर्ष 2012-13 में किया गया। जीसीईआरटी द्वारा शिक्षक के मॉडयुल का निर्माण इसी आधार आधार पर किया गया।

10 **दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण में अंतर्निहित मुख्य विषय निम्नलिखित हैं :-**

(अ) कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए

- विषय सामग्री आधारित – विषय पत्र (सभी विषयों के लिए)
- एन.सी.एफ. 2005 तथा आरटीई–2009 के भाग 29 (2) अनुसार पाठ्यचर्या – घटक
- ज्ञान निर्माण के लिए प्रवृत्तियाँ तथा नीतियाँ
- विषय विशिष्ट मुद्दे पाठ प्रदर्शन, विडियो क्लिपिंग द्वारा अच्छे वर्गखंड संव्यवहार का सहभाजन
- सी.सी.ई.
- सह अध्यासिक (सह–शैक्षिणक) विषय आदि।

(ब) कक्षा 6 से 8 से शिक्षकों के लिए

चूंकि राज्य में इन कक्षाओं में नई पाठ्यपुस्तकों का अनुसरण होना था अत: नए पाठ्यचर्या के बारे में इन विषय शिक्षकों को प्रशिक्षण की जरुरत थी।

अत: निम्नलिखित विषयों को प्रशिक्षण में सम्मिलित किया गया :

– नई पाठ्यर्या : एक दृष्टिकोण तथा मुख्य बदलाव
– पाठ्यक्रम : विषय पत्र (सभी विषयों के लिऐ)
– ऐन.सी.एफ 2005 तथा आरटीई – 2009, भाग–29(2) के अंतर्गत दिए गए पाठ्यर्या के घटक
– ''ज्ञान के सर्जन'' के लिए प्रवृत्तियाँ तथा नीतियाँ
– विषय विशिष्ट मुद्दे : पाठ–प्रदर्शन, विडियो क्लिपिन्गों द्वारा श्रेष्ठ वर्गखण्ड संव्यवहार का सहभाजन
– सी.सी.ई.
– सह अभ्यासिक विषय आदि

Teacher Training Calendar: 2012-13

क्रम सं.	प्रशिक्षण के विषय	लक्ष्य समूह	समय/ अवधि	लक्ष्य	उपलब्धियाँ (मार्च २०१३ तक)
ब्लोक स्तरीय प्रशिक्षण					
1	शाला तत्परता कार्यक्रम तथा रेनबो (इन्द्रधनुषीय) प्रवृत्ति जिनसे बहु-बौद्धिक विकास संभव है	1-2	2	2,21,518 Teachers of (4430360 man days) of std. I to VIII (Total training days 20)	43,27,621 man days (97.68 %)
	गुजराती विषय सामग्री आधारित		3		
	प्रशिक्षण (भाषा एवं पयविरण/विज्ञान) गणित विषय आधारित प्रशिक्षण		2		
2	शाला/पाठशाला तत्परता कार्यक्रम तथा रेनबो प्रवृत्ति जिससे बहु-बौद्धिक विकास संभव हो	3- 4	2		
	गुजराती विषय आधारित प्रशिक्षण		1		
	पर्यावरण/विज्ञान विषय आधारित प्रशिक्षण		1		
	गणित विषय आधारित प्रशिक्षण		2		
	हिन्दी विषय आधारित प्रशिक्षण		1		
3	गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी विषय आधारित प्रशिक्षण	5	3.5		
	विज्ञान, गणित तथा सामाजिक विज्ञान विषय आधारित प्रशिक्षण		3.5		
4	विभाग-१	6-7-8			
	गणित के नऐ अभ्यासक्रम तथा पाठ्यपुस्तक के लिए प्रशिक्षण		4		
	विज्ञान एवं तकनीकी विषय के नए अभ्यासक्रम तथा पाठ्यपुस्तक के लिए प्रशिक्षण		3		
	विभाग-२	6-7-8			
	इतिहास के नए अभ्यासक्रम एवं पाठ्यपुस्तक के लिए प्रशिक्षण		3		
	राजनीतिशास्त्र / विज्ञान के नए अभ्यासक्रम एवं पाठ्यपुस्तक पर प्रशिक्षण		1		
	भूगोल के नए अभ्यासक्रम एवं पाठ्यपुस्तक पर प्रशिक्षण		3		
	विभाग - ३	6-7-8			
	गुजराती के नए अभ्यासक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का प्रशिक्षण		1.5		
	हिन्दी के नए अभ्यासक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का प्रशिक्षण		1.5		
	अंग्रेजी के नए अभ्यासक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का प्रशिक्षण		2.5		
	संस्कृत के नए अभ्यासक्रम एवं पाठ्यपुस्तक पर प्रशिक्षण		1.5		
5	एडेप्ट्स का प्रशिक्षण जिससे प्रदर्शन के स्तर में सुधार हो	1-2 3-4 5 6-7-8	1		
	आईइडीसी का प्रशिक्षण				
	सीसीई का प्रशिक्षण		1		
	लैगिंक शिक्षण				
	आर.टी.ई.		1		
	ब्लोक की विशिष्ट जरुरतें : (संचारण, समय-प्रबंधन,सकारात्मक दृष्टिकोण तथा अन्य)				
क्लस्टर स्तरीय प्रशिक्षण					
6	क्लस्टर स्तर (सी.आर.सी.)कक्षा विषय आधारित प्रशिक्षण / शिक्षण गोष्ठी / सम्मेलन पिछले महिने के काम का परिक्षण करने के लिए - अगले महिने के आयोजन के लिए। - शैक्षिक सामग्री (टी.एल.एम) विकास हेतु। - पाठ प्रदर्शनों के लिए	Std. 1-8	10		

विकास रिपोर्ट / विवरणिका :-

२० दिवसीय शिक्षण-प्रशिक्षण में से, १० दिन ब्लॉक स्तर तथा १० दिन क्लस्टर स्तरीय प्रशिक्षणों के लिए विभाजित किए गए, जिससे कि शाला तत्परता कार्यक्रम एवं इन्द्रधनुषीय प्रवृत्ति (रेनबो) के जरिए बौद्धिक सिध्धिओं - का विकास संभव हो सके। नए अभ्यासक्रम की विषय सामग्री, ब्लॉक की विशिष्ट जरुरत आधारित विषय : संचार समय प्रबंधन, सकारात्मक दृष्टिकोण, एडेप्ट्स, सी.सी.ई प्रशिक्षण, आर.टी.ई तथा सी.आर.सी. मासिक सम्मेलन के विषय आदि। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम २,२१,५१८ शिक्षक के लिए आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में सभी अनुदानित, निजी अनुदानित, गैर अनुदानित प्राथमिक शालाओं, आश्रम शालाओं तथा के.जी.बी.वी. के शिक्षकों को सम्मिलित किया गया। (जीसीईआरटी द्वारा विशेषज्ञ / प्रधान प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए।)

एस.पी.डी., ए.एस.पी.डी तथा एस.पी.ओ कार्यालय के रीडर, व्याख्याता तथा जी.सी.ई आर.टी. के शोध सहायक, एस.आर.जी. सदस्य एडी.ई.आई., डायट व्याख्याताओं ने राज्य के सभी जिलों में दौरा किया तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंधन और शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया हेतु सकारात्मक प्रतिपुष्टि प्राप्त की।

तत्पश्चात् सभी जिलों द्वारा डायटों की सहायता से प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए। तीन प्रकार के मॉड्यूलों का विकास कर उन्हें शाला स्तर पर सभी जिलों में पहुँचाया गया (अर्थात् स्त्रोत व्यक्तिओं तथा कक्षा १ से ८ के शिक्षको के लिए मोड्यूल, सी.आर.सी. मासिक सम्मेलन विषय एवं कक्षा १ से ८ के शिक्षको हेतु मॉड्यूल। इसके अलावा दोनों ही चरणों हेतु बी.आर.सी. / सी.आर.सी. सहसंचालकों एवं एस आर जी सदस्यों के समन्वयकों सहित वाले मॉडयूल भी तैयार किए गए।

जिल्ला स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक : -

वर्ष २०१२-१३ के दौरान, वार्षिक लक्ष्यांक ४४,३०,३६० मानव दिवस (२,२१,५१८ शिक्षक) में से कुल ४३,२७,६२१ मानव-दिवसों का प्रशिक्षण पूर्ण किया गया। इस प्रशिक्षण में अनुदानित, निजी अनुदानित, गैर अनुदानित प्राथमिक शालाओं, आश्रम शालाओं तथा के.जी.बी.वी. आदि के सभी शिक्षकों को सम्मिलित किया गया।

२० दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण की विकास रिपोर्ट - २०१२-२०१३						
क्रम	जिल्ला	लक्ष्य		सिद्ध मानव-दिवस		
		शिक्षको की संख्या	मानव दिवस	ब्लोक स्तरीय प्रशिक्षण	क्लस्टर प्रशिक्षण	कुल
1	अहमदाबाद	8833	176660	85680	86563	172244
2	अमरेली	6261	125220	60732	61358	122090
3	आनंद	8180	163600	79346	80164	159510
4	बनासकांठा	16509	330180	160137	161788	321926
5	भरुच	5940	118800	57618	58212	115830
6	भावनगर	11538	230760	111919	113072	224991
7	दाहोद	11285	225700	109465	110593	220058
8	डांग	1840	36800	17848	18032	35880
9	गाँधीनगर	5365	107300	52041	52577	104618
10	जामनगर	8232	164640	79850	80674	160524
11	जूनागढ	9693	193860	94022	94991	189014
12	खेडा	10733	214660	104110	105183	209294
13	कच्छ	9197	183940	89211	90131	179342
14	मेहेसाणा	8468	169360	82140	82986	165126
15	नर्मदा	3379	67580	32776	33114	65891
16	नवसारी	4602	92040	44639	45100	89739
17	पंचमहाल	13185	263700	127895	129213	257108
18	पाटन	6792	135840	65882	66562	132444
19	पोरबंदर	2176	43520	21107	21325	42432
20	राजकोट	8749	174980	84865	86178	171043
21	साबरकांठा	12748	254960	124930	124930	249861
22	सूरत	6213	124260	60887	61509	122396
23	तापी	4008	80160	39278	39278	78557
24	सुरेन्द्रनगर	8485	169700	83153	83153	166306
25	वडोदरा	12638	252760	123852	123852	247705
26	वलसाड	6269	125380	61436	61436	122872
27	अहमदाबाद कोर्पोरेशन	4518	90360	44728	44276	89005
28	राजकोट कोर्पो.	1023	20460	10128	10025	20153
29	वडोदरा कोर्पो.	1138	22760	11266	11152	22419
30	सूरत कोर्पो.	3521	70420	34743	34506	69249
कुल		**221518**	**4430360**	**2155686**	**2171935**	**4327621**

*Ahmedabad Municipal Corporation - **AMC,** Rajkot Municipal Corporation - **RMC,** Vadodara Municipal Corporation - **VMC,** Surat Municipal Corporation - **SMC.**

अन्य प्रशिक्षण :-

एसएसए अंतर्गत निम्न प्रदर्शित प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए :

- डायटों द्वारा शुरु की गई प्रधान अध्यापकों की १८-दिवसीय प्रशिक्षण जिसमें मार्च - २०१३ तक कुल ४६८९ प्रधान- अध्यापकों में से करीब ४६३९ को प्रशिक्षित किया गया।

- एसएसए की वित्तीय सहायता तथा जीसीईआरटी एवं स्पीपा के सहयोग से प्रधान अध्यापक प्रशिक्षण हेतु छह (६) प्रकार के मॉड्यूल तैयार किए गए।

- प्रधान अध्यापक प्रशिक्षण के विषय हैं - शाला प्रबंधन समिति, एवं पी.आर.आई., प्रधान अध्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल (टोटल लर्निंग पैकेज), शिक्षाशास्त्र, शिक्षा का ढांचा, कार्यालय - व्यवस्था आदि।

- कम्प्यूटर एईडेड लर्निंग प्रोग्राम (कैल्प)

बीआरसी / सीआरसी को.ओर्डि. तथा बी.आर.पी. प्रशिक्षण :

वर्ष २०१२-१३ के दौरान ब्लोक स्तर पर सीआरसी/बीआरसी को.ओर्डि. तथा बी.आर.पी. की १० दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रशिक्षण का आयोजन बी.आर.सी., सी.आर.सी. कोर्डिनेटरों की क्षमता संवर्धन के हेतु से किया गया। बी.आर.सी. / सी.आर.सी. को ओर्डिनेटर तथा बी.आर.पी. ब्लोक तथा क्लस्टर स्तर पर मुख्य स्त्रोत व्यक्ति है। इनके लिए खास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिससे बी.आर.सी. को. ओर्डिनेटर / सीआरसी को-ओर्डि. को अधिक सक्षम बनाया जा सके।

बी.आर.सी. / सी.आर.सी. तथा बी.आर.पी.ओ. द्वारा आर.पी. की प्रशिक्षण हेतु ६ से ७ नवंबर को नर्मदा जिले के केवडिया कॉलोनी में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण बीआरसी / शिक्षाशास्त्र एवं शिक्षक-प्रशिक्षण को-ओर्डिनेटर (सह-संचालकों) के लिए था।

- जिला स्तर पर ८ दिवसीय बी.आर.सी. को-ओर्डि / सी.आर.सी. को-ओर्डिनेटर के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

- १० -दिवसीय प्रशिक्षण मे आर.पी., बी.आर.पी. तथा ब्लोक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया गया।

बीआरसी को.ओर्डि / सी.आर.सी. को-ओर्डिनेटर / बीआरपी प्रशिक्षण

क्रम	विषय	प्रशिक्षणार्थी	अवधि
१	• नया अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम विषय दृष्टिकोण • वर्गखण्ड अवलोकन/पर्यवेक्षण • ई-कन्टेन्ट (सामग्री ईन्टरनेट पर) • संदर्भ-ग्रहण मूल्यांकन • एडेप्ट्स • प्रज्ञा दृष्टिकोण • आरटीई - २००९ • भाषा कोर्नर (लेन्वेज कोर्नर पुस्तकालय) • स्कूली दौरे तथा कक्षा-अवलोकन प्रपत्र • खेलेकूद शाला, हरी-भरी शाला, स्मार्ट स्कूल • टी.एल.पी. (टोटल लर्निंग पेकेज) • गणित-विज्ञान मंडल • शिक्षण में - आईसीटी • विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	२३९ बीआरसी /यूआरसी तथा ४२६८ सीआरसी ११९५ बीआरपी	८ दिन

★ चूंकि वर्ष २०१२-१३ में ही कक्षा-६ से ७ में नई पाठ्यपुस्तकों का अनुसरण हुआ हैं, अत: सभी सी.आर.सी. / बी.आर.सी. / यू.आर.सी. तथा बीआरपीओं को नई पाठ्यचर्या तथा अभ्यासक्रम के विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा।

★ सभी शिक्षक सहयोगी तंत्र के कर्मियों की कार्यस्थल पर शिक्षकों के सहयोग हेतु प्रशिक्षित होंगे / अन्य विषय हैं - कक्षाओं का अवलोकन, ई-कन्टेन्ट, संदर्भ- ग्रहण मूल्यांकन, एडेप्ट्स, प्रज्ञा, दृष्टिकोण, उपचारात्मक शिक्षण, आरटीई-२००९, स्कूली दौरा तथा कक्षाओं के अवलोकन प्रपत्र, खेलकूद-हरित -स्मार्ट स्कूल, टी.एल. पी., गणित विज्ञान संघ, आईसीटी शिक्षण में, विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

★ बी.आर.पी.ओं का प्रशिक्षण ५ अलग - अलग खण्डों में हुआ : प्रज्ञा प्रशिक्षण राजकोट में, भाषा प्रशिक्षण ईडर (सा.कां.), अंग्रेजी प्रशिक्षण आणंद, गणित-वडोदरा तथा सा. विज्ञान का प्रशिक्षण पाटन में आयोजित हुआ।

गुणवत्ता संवर्धन कार्यक्रम :

राज्य परियोजना कार्यालय (एसएसए) में गुणवत्ता संवर्धन विभाग / प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष २००९-१० में राज्य के प्राथमिक शिक्षण के गुणवत्ता सुधार के लिए ही की गई है।

एडेप्ट्स (शिक्षक सहयोग द्वारा शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि) तथा प्रज्ञा (प्रवृत्ति द्वारा ज्ञान ए.बी.एल) कार्यक्रम यह सभी गुणवत्ता संवर्धन विभाग की कुछ मुख्य प्रवृत्तिओं में से हैं।

एडेप्ट्स का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में शैक्षणिक प्रदर्शन की संवृद्धि हो। इस कार्यक्रम के आवरण में राज्य के २२००० विद्यालयों / शालाओं तथा १४१००० शिक्षकों को समेट लिया गया है।

प्रज्ञा प्रवृत्ति आधारित अध्ययन का एक तरीका है, जिसकी शुरुआत २५८ पाठशालाओं में २०१० से किया गया, जिसका उद्श्य बच्चों को अनुभव के द्वारा सीखने के सवसर प्रदान करना है। इस समय ३७४८ पाठशालाओं के ५१६८८५ विद्यार्थियों को प्रज्ञा अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है।

बी.आर. सी., सी.आर.सी. कोर्डिनेटरों तथा ब्लोक रिसोर्स / स्त्रोत व्यक्तियों की स्थिति

क्रम सं.	जिला	बीआरसी	सीआरसी	बीआरपी
1	अहमदाबाद	11	155	55
2	अमरेली	11	120	55
3	आणंद	8	164	40
4	बनासकांठा	12	278	60
5	भरुच	8	129	40
6	भावनगर	11	171	55
7	दाहोद	7	174	35
8	डांग	1	42	5
9	गांधीनगर	4	95	20
10	जामनगर	10	194	50
11	जुनागढ	14	184	70
12	खेडा	10	211	50
13	कच्छ	10	232	50
14	महेसाणा	9	146	45
15	नर्मदा	4	84	20
16	नवसारी	5	103	25
17	पंचमहाल	11	266	55
18	पाटण	7	109	35
19	पोरबंदर	3	48	15
20	राजकोट	14	185	70
21	साबरकांठा	13	328	65
22	सूरत	9	137	45
23	तापी	5	81	25
24	सुरेन्द्रनगर	10	139	50
25	वडोदरा	12	238	60
26	वलसाड	5	133	25
27	ए.एम.सी	5	43	5
28	आर.एम.सी.	3	16	5
29	व.एम.सी	3	22	5
30	सू.एम.सी.	4	33	5
कुल		**239**	**4260**	**1140**

नि: शुल्क पुस्तकें :-

★ राज्य सरकार, जिल्ला शिक्षण समिति तथा म्युनिसिपल शाला बोर्ड की शालाओं में पढ़ने वाले कक्षा १ से ७ के बालकों को मुक्त पुस्तकें वितरित करती है।

एसएसए अंतर्गत, सरकारी शालाओं तथा राज्य की अनुदानित शाला में पढ़ने वाले कक्षा ८ के बच्चों को मुफ्त पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी हैं कि गुजरात सरकार सात माध्यमों में पाठ्यपुस्तकें प्रसिद्ध तथा उपलब्ध कराती है। – जिनमें हैं – गुजराती, हिन्दी, अंग्रेजी, मराठी, उर्दु, सिन्धी तथा तमिल।

★ कक्षा ६ से ८ के सभी विद्यार्थियों हेतु द्वितीय सत्र की नई पूरक–पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गईं।

एडेप्ट्स

गुणवत्ता सुधार की ओर

गुजरात में वर्ष २००७-०८ से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) तथा यूनिसेफ़ द्वारा एडेप्ट्स - एडवान्समेंट इन एज्युकेशनल परफोर्मन्स थ्रू टीचर्स सपोर्ट (शिक्षक सहयोग द्वारा शैक्षणिक प्रदर्शन में प्रगति), संयुक्त रुप से आरंभ किया गया था। एडेप्ट्स का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। एडेप्ट्स की शुरुआत राज्य के ४५६ विद्यालयों / पाठशालाओं में २८५३ शिक्षकों के साथ की गई और जिसे २०१२-१३ तक बढाकर, २७, १५२ विद्यालयों के १, ४१, ९६१ शिक्षकों तक पहुँचाया गया।

एडेप्ट्स के कार्यों के माध्यम :

- राज्य कोर (केन्द्र) दल - एसएसए तथा शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गुजरात (जीसीईआरटी)
- राज्य के क्षेत्रीय दल की सहकर्मी मूल्यांकन हेतु नियुक्ति।
- राष्ट्रीय कोर (केन्द्र) दल - राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी)
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पर्वेक्षण (एमएचआरडी) एवं तकनीकी सहायक समूह सहायता
- राष्ट्रीय समन्वयक (सह-संचालक) एवं विभिन्न स्तरों पर युनिसेफ़ द्वारा समर्थन
- स्त्रोत / संसाधन व्यक्तियों का विभिन्न चरणों, जैसे कि एनसीईआरटी, तकनीकी सहायक समूह
- शिक्षा सलाहकार / परामर्शक, भारत लिमिटेड, राज्य परियोजना निर्देशक एवं अन्य सर्व शिक्षा अभियान कर्मी, युनिसेफ तकनीकी कर्मी, गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.), आंतराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन (आई.एन.जी.ओ) के सद्स्यों, स्वतंत्र पेशेवर / परामर्शकों एवं एडेप्ट्स दल के सदस्यों की नियुक्ति की गई है।

शिक्षकों के प्रदर्शन में सुधार सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक समर्थन प्रणाली जैसे कि क्लस्टर संसाधन केन्द्र (सीआरसी) ब्लॉक संसाधन केन्द्र (बीआरसी) एवं जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) का भी संवर्धन किया जाना जरुरी है।

शिक्षकों का प्रदर्शन किस प्रकार जाँचा / परखा गया ?

संज्ञानात्मक आयाम अर्थात क्या शिक्षक :-

- बच्चों को समझता है
- बच्चों के साथ सीखने के लिए अनुकुलन साधता है तथा अध्ययन के महत्तम लाभ लेने हेतु कक्षा का आयोजन / प्रबंध करता है।
- पाठ्यक्रम तथा सामग्री को समझता है।
- प्रभावी अध्ययन - अध्यापन अनुभवों का विस्तरण / उत्पादन करता है।
- सामग्री का प्रभावी उपयोग करता है।
- सभी के अध्ययन तथा सभी के लिए कक्षा के निर्माण को सुनिश्चित करता है।
- प्रभावी संचार / संप्रेषण करता है।
- बच्चों के साथ साहचर्य / सहयोग स्थापित करता है।
- अध्ययन के लिए सक्षमता का आयोजन करता है।
- आकलन एवं मूल्यांकन में भाग लेता है तथा परिणाम का उपयोग अध्ययन सुधार में करता है।

संस्थागत या संगठनात्मक आयाम अर्थात् क्या शिक्षक :-

- व्यावसायिक कटिबद्धता एवं जवाबदेही का प्रदर्शन करता है।
- व्यावसायिक रुप से स्वयं का विकास करता है।
- सहकर्मियों के साथ दल की तरह / समूह भावना से काम करता है तथा संसाधनों का विस्तरण / संवर्धन करता है।
- प्रतिक्रियात्मक अभ्यास में भाग लेता है।
- कार्यक्रमों के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन में भाग लेता है।

भौतिक आयाम अर्थात् क्या शिक्षक अध्ययन के लिए निर्मल / स्वच्छ एवं अनुकूलित वातावरण की उपलब्धि में मदद करता है।

सामाजिक आयाम अर्थात् क्या शिक्षक :-

- बच्चों को महत्त्व देता है तथा उनके सांस्कृतिक संदर्भ एवं उनसे बिना किसी भेदभाव के जुड़ता है।
- सह अभ्यासिक प्रवृत्तिओं को प्रोत्साहन देता है, मूल्य विकास एवं बच्चों के संपूर्ण विकास को सहज बनाता है।
- सहकर्मियों तथा समुदाय के साथ जुड़कर काम करता है।

शिक्षकों को एक तय समय पर प्रदर्शन मानकों के अनुसार स्वयं का मूल्यांकन करना था कि उन्होंने उन आयामों को प्राप्त किया या नहीं किया। मूल्यांकन पूर्ति पश्चात् सी.आर.सी. कोओर्डिनेटरों ने विद्यालय जाकर शिक्षक के प्रदर्शन का आकलन किया। आवश्यकतानुसार शिक्षकों को जरुरी मार्गदर्शन भी दिया गया।

वर्ष २०१२-१३ में औसतन राज्य के ७८% शिक्षकों ने सभी आयामों में बेहतर प्रदर्शन करने में सफलता पाई। सभी जिलों मे अधिकतर शिक्षकों ने अर्थात् ७४% शिक्षकों ने भौतिक आयाम में बेहतर प्रदर्शन किया। राज्य के शिक्षकों के संज्ञानात्मक आयाम में प्रदर्शन में सुधार के अवसर अभी भी बाकी है। हालाँकि गत वर्षों में शिक्षकों का प्रदर्शन खास तौर पर सुधरा है, जब कि क्तीय वर्ष की शुरुआत में शिक्षकों का प्रदर्शन गिरता हुआ दिखाई दिया था परंतु पूरे वर्ष यह सुधार की तरफ बढ़ता रहा। अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में भी फिर से प्रदर्शन खराब होता जान पडता था।

जिलों में शिक्षकों के प्रदर्शन के संवर्धन हेतु :-

राज्य के सभी जिलों ने शिक्षकों के प्रदर्शन में वृद्धि हेतु स्वयं कुछ कदम उठाए हैं :-

★ विभिन्न आयामों में प्रदर्शन मानकों पर केन्द्रित प्रशिक्षण का आयोजन। शिक्षकों को एकल / व्यक्तिगत प्रदर्शन मानकों से संबंधित और ज्यादा प्रवृत्तिओं से अवगत कराया गया।

★ जिला - केन्द्रित मोंड्यूलों का निर्माण जो कि डायट तथा एस.एस.ए. के द्वारा संयुक्त रुप से तैयार किया गया है। ये मोंड्यूल संदर्भ साहित्य के तौर पर प्रत्येक शिक्षक को दिए गए।

★ जिला पेडागोजी / शिक्षाशास्त्र सह-समन्वयक द्वारा विभिन्न प्रयासो से एडेप्ट्स का सुदृढ़िकरण।

प्रवृत्तियाँ :

चूँकि एडेप्ट्स की अवधारणा एक केन्द्रिय कार्यक्रम के तौर पर की गई थी जिससे गुणवत्ता संवृद्धि हो, पाठशालाओं की अच्छी प्रवृत्तियाँ, डायटों, बी.आर.सी. सह समन्वयकों एवं सी.आर.सी सह-समन्वयकों को एडेप्ट्स से अनुकूलित किया गया। डायट अंतर्गत आदर्श शाला कार्यक्रम एवं गुणवत्ता पैकेज के तहत एडेप्ट्स अनुसार शिक्षकों को प्रदर्शन मानक प्राप्त करने की उम्मीद की गई।

अक्षय पात्र, जिसका शाब्दिक अर्थग्रहण अखूट, बाहुल्य, प्रयुर खाद्य / भोजन पात्र होता है, बालकों को दान का महत्त्व सिखाता है। धातु का एक पात्र विद्यालय में स्थापित किया जाता है। बच्चे स्वेच्छा से घर से मिले अनाज से बर्तन को भर देते हैं। फिर यह अनाज पक्षियों को खिलाया जाता है। कई बच्चे जो पक्षियों के लिए खाद्यान्न लाते हैं धीरे धीरे इनसे प्यार करने लगते हैं तथा जीवनभर के लिए शाकाहारी भी बन जाते हैं।

आजनुं गुलाब (आज का गुलाब) ऐसी प्रवृत्ति है, जो बच्चे में स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति जागरुक बनाती है। प्रात: प्रार्थनासभा के दौरान, कक्षा १ से ७ प्रत्येक कक्षा के सबसे स्वच्छ बालिका एवं बालक का चयन कक्षा स्तंभो में से शिक्षको द्वारा किया जाता है। बच्चों को उनके साथी अच्छी तरह जान-पहचान पाते हैं। इससे बच्चों को स्वच्छता तथा सफाई के लिए प्रेरणा मिलती हैं।

आजनो दीपक आज का दीपक वह प्रवृत्ति है जिसका उद्देश्य बच्चों की शाला में पहचान बढाने में मदद करना है। बच्चों का जन्मदिन प्रातः कालीन प्रार्थनासभा में मनाया जाता है। जन्मदिन के दिन बच्चे / बच्ची को शाला परिवेश के बजाय रंगीन पोशाक पहनने की छूट दी जाती है। बच्चे/बच्ची के माता-पिता (अभिभावकों) को औपचारिक निमंत्रण द्वारा प्रार्थना सभा का हिस्सा बनने का मौका दिया जाता है। कभी-कभी अभिभावक मिठाई-वितरण या शाला हेतु दान भी करते है। ग्रामीण क्षेत्रो में जन्म-दिवस मनाना कोई आम बात नहीं अतः "आजनो दीपक" के कारण विद्यालय तथा सुमदाय में नजदिकियाँ आती हैं।

खोया पाया भंडार शाब्दिक रुप से अर्थ है एक खुला हुआ बक्सा जो प्रधानाध्यापक के कार्यालय में रखा जाता है, इसे शिक्षकों के कमरे या शाला बरामदे में भी रखा जा सकता है। यदि किसी बालक को घडी, कलम, पैसे, पर्स / बटुआ आदि मिलते हैं तो वह उसे इस खोया -पाया भंडार में रख छोडता है, जिससे यह वस्तु उसके स्वामी/मालिक को मिल जाए। इस प्रवृत्ति से बच्चो में सच्चाई के मूल्य का विकास होता है। एक बच्चा यह सीखता है कि "यदि यह वस्तु मेरी नहीं है, तो भले ही ये मुझे मिली है, मैं इसे रख नहीं सकता ना ही काम मे ला सकता हूँ।"

इन प्रवृत्तियों के अलावा, विद्यार्थीयों को अखबार पढने, प्रश्नोत्तरी, प्रश्न-उत्तर एवं वार्ता-कथन सत्रों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे उनके अध्ययन वृत्ति में भी सुधार आता है। खास तौर से इन प्रवृत्तियों का आयोजन शालाओं में प्रातः काल की प्रार्थना सभाओं के दौरान ही किया जाता है।

गुणवत्ता पैकेज अंतर्गत प्रवृत्तियाँ जिनका एडेप्ट्स में अनुकूलन किया गया :-

* अनुलेखन / श्रुतलेखन एवं रचनात्मक लेखन-जिससे विद्यार्थियों को उनके भाषाकिय एवं लेखन कौशलों के विकास में मदद मिलती है।
* कक्षाओं मे वांचन कोर्नर (खण्ड) - जिससे बच्चों को खाली समय में कहानी की पुस्तकें पढ़ने का मौका मिले।
* उच्च स्तर / जोर से पढ़ना - जिससे बच्चों को उनके संचार कौशल में सुधार तथा आत्मविश्वास बढाने में मदद मिले। छात्र / विद्यार्थी का पात्र-परिचय / परिचायिका बच्चों की प्रवृत्तियों का एक संग्रह है। शिक्षक प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से परिचारिका / पोर्टफोलियो संजोता है। चूंकि पोर्टफोलियो शिक्षकों की रुचि प्रभावित होते हैं अतः यह शाला अनुसार भिन्न रुपों में हो सकते है।

छात्र व्यक्तित्व / प्रोफाइल, जो बालक के जनसांख्यिकीय जानकारी, तसवीर, हाजिरी / उपस्थिति, शौक, ताकतों और कमजोरीयों तथा प्रगति का पत्र है।

प्रदर्शन - पट बोर्ड जो कि प्रत्येक कक्षा में दिया गया है जिससे कि बच्चों की प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित की जा सकें। इससे वे और सीखने को प्रोत्साहित होंगे।

आगे की राह

ऐसे सॉफ्टवेर का विकास करके जिससे कि सी.आर.सी. सह -समन्वयक आँकड़े डाल कर विभिन्न स्तरों पर रिपोर्ट निकाल सकें तथा ऐडेप्ट्स के क्रियान्वयन की प्रक्रिया और ज्यादा आसान हो पाई।

इसके अलावा, सी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. को-ओर्डिनेटरों (सह-समन्वयकों) के प्रदर्शन मानकों को अंतिम रुप देकर क्रियान्वित किया जा सके, इससे उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके तथा एडेप्ट्स को और अधिक मजबूती से स्थापित किया जा सके।

प्रज्ञा

गुणवत्ता सुधार की ओर

आरटीई-२००९ में सुझाव अनुसार प्रत्येक बालक को :

☒ व्यक्तिगत शिक्षण मिलना चाहिए

☒ उसकी सीखने की गति के अनुसार शिक्षण दे

☒ शाला के बस्ते तथा अन्य अध्ययन सामग्रीयों से मुक्ति

☒ प्रवृत्तिओं द्वारा आनंददायक शिक्षण देना

☒ क्या सीखा और क्या सीख रहा है, वह जाने

☒ सी.सी.ई. द्वारा जाँच तथा उपचार प्रदान करना

☒ विषयों के अलावा आंतरिक विकास के अवसर प्रदान करना

☒ विद्यालय स्तर पर अध्ययन सामग्री पहुँचाना

☒ वर्ष - २०१० जून से गुजरात में ए.बी.एल. का प्रारुप क्रियान्वित किया गया, जो कि आर.टी.ई-२००९ में दिए हुए मानकों के अनुसार गुजरात में प्रज्ञा के माध्यम से क्रियान्वित किया गया।

चरण	पाठशाला	शिक्षक		विद्यार्थी		विभाग	
		कक्षा-१-२	कक्षा-३-४	कक्षा-१-२	कक्षा-३-४	कक्षा-१-२	कक्षा-३-४
चरण-१	258	598	578	21525	19938	317	310
चरण-२	2337	5431	5399	192706	192981	2822	2834
चरण-३	1153	2615	-	89735	-	1380	-
	3748	**8644**	**5977**	**303966**	**212919**	**4519**	**3144**
		14621		**516885**		**7663**	

★ राज्य में प्रत्येक ब्लोक के लिए एक बी.आर.पी. प्रज्ञा की नियुक्ति की गई जिससे प्रज्ञा के सहकार / संचालन तथा निगरानी हो सके ।

- प्रज्ञा अनुसरण करने वाले विद्यालयों में दिए गए पत्रक में साहित्य दिया गया है।
- प्रज्ञा हेतु निम्न प्रकार से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया :
- १० दिवसीय ब्लोक स्तरीय तथा १० दिवसीय क्लस्टर स्तरीय प्रशिक्षण सभी शिक्षकों को दी गई।
- १० दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सभी प्रज्ञा बी.आर.पी.ओं को दी गई।
- प्रज्ञा माध्यम में संचालन
- बी.आर.पी.ओ. द्वारा निरंतर संचालन
- सी.आर.सी. को.कोओर्डि. उनके स्कुली दौरे के दौरान प्रज्ञा कक्षाओं में कार्य करते है।
- ब्लोक के दैनिकपत्रों एवं ज्ञानशक्ति पत्रिका का राज्य स्तर पर प्रकाशन कर प्रोत्साहन एवं संचालन संभव हुआ।
- ओन एयर प्रदर्शन पाठों द्वारा संचालन

प्रज्ञा माध्यम का नतीजा / परिणाम :-

- प्रत्येक बालक को व्यक्तिगत अध्ययन मिले।
- विषय शिक्षण का क्रियान्वयन गुजरात में बालकों के लिए हितकारी साबित हुआ।
- कक्षा १ और २ के विद्यार्थी शाला - बस्तों से मुक्त रहे हैं। कक्षा ३ व ४ में सिर्फ उन्हीं पुस्तकों का पालन किया गया जो जरुरी थीं।
- दैनिक विकास / प्रगति टिप्पण किया जाता है जिससे बालक स्वयं, उसके अभिभावकों तथा शिक्षकों को प्रगति की जानकारी मिलती है।
- सी.सी.ई. का सच्चे अर्थ में पालन हुआ तथा जाँच एवं उपचारों का क्रियान्वयन जल्द किया गया।
- बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्ति मिली।
- विभिन्न वर्गों एवं सामग्री के माध्यम से शिक्षण प्रदान किया गया।
- इन्द्रधनुषीय (रेनबो) प्रवृत्तियों द्वारा बच्चों के रस एवं वृत्ति के विषय में पता चलता है, जिससे उन्हें अपनी प्रतिभा के विकास के अवसर मिलते है।
- विद्यार्थीयों को प्रवृत्ति आधारित तथा आनंददायक शिक्षण प्रदान किया जाता है।
- टी.एल.एम. से कक्षाओं में बालकों को व्यक्तिगत अध्ययन के अवसर मिलते है।

प्रज्ञा के खास कार्य :-

- प्रत्येक कक्षा / शाला की विकास-गाथा / प्रगति-गाथा की टिप्पणी तैयार की गई।
- थर्ड पार्टी (तृतीय पक्ष द्वारा) अनुसंधान का पालन हुआ।
- राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय मंत्रियों, अधिकारियों तथा पदाधिकारियों के प्रज्ञा कक्षाओं में दौरे से जरुरी प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन मिला।
- प्रज्ञा के लिए मंजूरी के लिए प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, बी.आर.सी.ओं., सी.आर.सी.ओं. तथा अभिभावकों के सुझावों को ध्यान में लिया गया।
- अनुवर्तन कार्य का संचालन एक दिवसीय प्रशिक्षण में किया गया जिसमें तुलनात्मक मासिक प्रगति पत्रक का अभ्यास किया गया।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

एलईपी प्रवृत्तियों की २०१२-१३ में प्रगति

एलईपी अंतर्गत मुख्य प्रवृत्तियाँ	लक्ष्य (छात्र / पाठशाला)	स्वीकृत प्रारुप विस्तार	स्थिति
संदर्भ ग्रहण कौशल द्वारा कक्षा का ३-४ के विद्यार्थियों में गुजराती पाठशालाओं में विषय के वांचन में संवृद्धि लाना में विस्तरण	1600000 (छात्र) 34116 (पाठशाला)	388.23	सामग्री व ग्रान्ट का सभी प्रज्ञा
संदर्भ-ग्रहण कौशल द्वारा कक्षा-४ के छात्रों में हिन्दी वांचन की संवृद्धि लाना	800000 (छात्र) 34116 (पाठशाला)	288.23	सामग्री व ग्रान्ट का सभी प्रज्ञा
संदर्भ-ग्रहण कौशल द्वारा कक्षा-५ के छात्रों में अंग्रेजी वाचन की संवृद्धि लाना	700000 (छात्र) 34116 (पाठशाला)	208.23	सामग्री व ग्रान्ट का सभी प्रज्ञा
उच्च प्राथमिक स्तरीय शालाओं में गणित एवं विज्ञान शिक्षण में गुणवत्ता सुधार-विज्ञान की वार्षिक प्रवृत्ति-गणित मंडल, गणित-विज्ञान खण्ड का विकास,विज्ञान-कॉर्नर अंतर्गत प्रवृत्तियाँ	23776	594.4	ग्रांट/सहाय सभी का एस.एम.सी
उ.प्रा. स्तरीय पाठशालाओं में भाषा कॉर्नर से गुणवत्ता सुधार	23776	237.76	तक वितरण
वांचन पर्व मनाना	34116	136.46	
	23776	237.76	
प्रज्ञा	लंबरुप तथा समस्तरीय शालाओं	1444.76	सामग्री व ग्रान्ट का सभी प्रज्ञा
वार्षिक प्रिमियम-न्यूनतम तीन विज्ञान पत्रिकाएँ (१ विज्ञान, १ गणित तथा १ शिक्षक के लिए)	23776	142.66	-
ज्ञान शक्ति समाचार पत्रिका ४०१५० ६ संस्करण १०	39190	19.59	-
ब्लॉक समाचार पत्रिका	41000	73.8	ग्रान्ट का सभी बीयारसीओं में विस्तरण
ना पढ़ लिख पाने वाले तथा ना गणन कर पाने वाले छात्रों को क्षमता योग्य आयु अनुसार संकलित अध्यापन सामग्री	34116	204.696	ग्रान्ट का सभी एसएमसी में विस्तरण
बालिकाओं हेतु खेल / गायन / चित्रकला / नृत्य संवर्धन प्रवृत्ति	23776	475.52	ग्रान्ट का सभी एसएमसी में विस्तरण
सतत सर्वग्राही मूल्यांकन	43,55,109 (P) +18,49,308 (UP) = 62,04,417	186.13	सभी शालाओ तक सामग्री का विस्तरण
		4638.23	

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय – 3

समुदाय का अभिप्रेरण

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय - 3

समुदाय का अभिप्रेरण

हमारे समुदाय में सबसे मूल्यवान संसाधन हमारे अपने लोग हैं। वे गाँव और स्कूल के विकास के बारे में निर्णय कर सकते हैं। समुदाय की पहचान करने और स्कूल के विकास में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनकि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इस समुदाय को एक साध जुटाना चाहते हैं, जहाँ लोग उनकि योजना के बारे मे बातें कर सकते हैं। वे उनके अपने समुदाय और उनके जीवन को बदलने कि पहल करते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 धारा 21 के संविधान और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के कार्य के लिए विस्तार से जानकारी प्रदान की गई है। एसएमसी की स्थापना देश के लगभग सभी शिक्षा आयोग और नीति निर्माताओं की सिफ़ारिश के द्वारा की गई है। तैयार एसएमसी का उद्देश्य यह है कि अगर समुदाय को देश के विशाल स्कूल प्रणाली में शामिल कर दिया जाय और माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक हितधारकों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु एक सार्थक ढंग से शामिल किया जाना चाहिए और वे ही स्कूल की निगरानी और प्रबंधन रखने हेतु काम कर सकते हैं। आर.टी.ई. अधिनियम मे इसलिए ही उनकि परिकल्पना की गई है कि माता - पिता को स्कूल प्रबंधन समिति में बहुमत के रूप में शामिल किया जाएगा। साथ ही स्थानीय प्राधिकरण के निर्वाचित सदस्यों और स्थानीय शिक्षाशास्त्री या स्कूल बच्चों को भी शामिल करना होगा। वहाँ हर एक व्यक्ति को विश्वास है, इससे देश के कुछ भागों में कार्य हुए है और उनमें सफलता प्राप्त हुई हे। हमारे समुदाय मे एसएमसी के गठन द्वारा स्कूली शिक्षा प्रणाली मे सुधार के लिए सही तरह से नेतृत्व कर सकता है।

स्कूल प्रबंधन समिति की संरचना

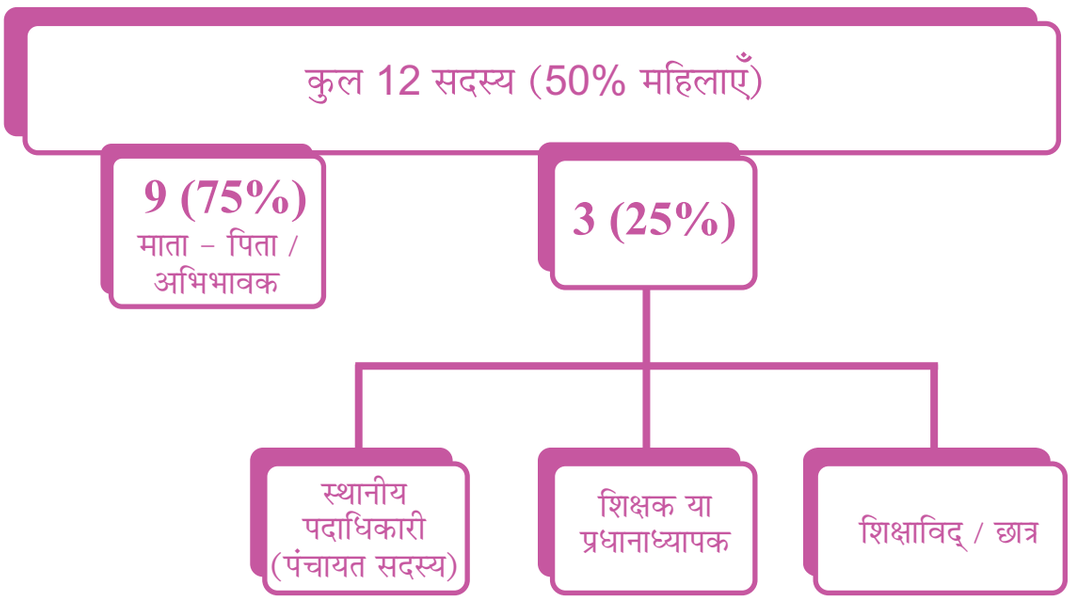

स्कूल प्रबंधन समिति निम्नलिखित कार्यों का निर्वाहन करेगी :-

स्कूल के काम की निगरानी उपयुक्त सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदान के उपयोग की निगरानी और इस तरह की अन्य जरुतों के लिए हर एस.एम.सी. शाला विकास योजना तैयार करेगी शाला विकास योजना मूल रूप से शाला इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा की गुणवत्ता, इक्विटी, स्कूल बाहर के बच्चें, स्कूल प्रबंधन, मध्याह्न भोजन आदि के लिए आवश्यक मानव संशाधन की सूचना पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

गुजरात राज्य में एसएमसी की स्थिति

क्रमांक	जिला	सरकारी एवं गैर सरकारी शालाओं की संख्या	मौजूदा एसएमसी की कुल संख्या
1	अहमदाबाद	1010	905
2	अमरेली	809	800
3	आणद	1157	1154
4	बनासकाँठा	2373	2373
5	भरूच	963	934
6	भावनगर	1201	1201
7	दाहोद	1749	1619
8	डांग	401	401
9	गांधीनगर	685	629
10	जामनगर	1455	1421
11	जुनागढ़	1362	1343
12	खेड़ा	1782	1779
13	कच्छ	1715	1682
14	महेसाणा	1072	1063
15	नर्मदा	744	734
16	नवसारी	775	771
17	पंचमहाल	2464	2461
18	पाटन	849	807
19	पोरबन्दर	329	329
20	राजकोट	1373	1363
21	साबरकांठा	2600	2455
22	सुरत	1977	1977
23	सुरेन्द्रनगर	1021	990
24	वड़ोदरा	2387	2387
25	वलसाड़	1059	1058
26	अहमदाबाद (ए.एम.सी.)	476	464
27	राजकोट (आर.एम.सी.)	93	81
28	वड़ोदरा (वि.एम.सी.)	115	104
29	सुरत (एस.एम.सी.)	293	281
	कुल	**34289**	**33566**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

समुदाय का प्रशिक्षण :

स्कूल प्रबंधन समिति और पंचायती राज संस्थान के सदस्यों हेतु आवासीय और गैर आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है।

जिलेवार समुदाय के विवरण २०१२-१३ के दौरान आयोजित ट्रेनिंग (आवासीय) इस प्रकार है :

(एसएमसी / स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों के लिए 3 दिन ब्लोंक स्तर आवासीय प्रशिक्षण)

क्र.सं.	जिले का नाम	स्कूलों की संख्या	मौजूदा एसएमसी झकी कुल संख्या	प्रशिक्षित किए जाने वाले कुल सदस्य 3 x 6
1	**2**	**3**	**4**	***5***
1	अहमदाबाद	952	905	5712
2	अमरेली	809	800	4854
3	आणद	1154	1154	6924
4	बनासकाँठा	2362	2373	14172
5	भरूच	968	934	5808
6	भावनगर	1203	1201	7218
7	दाहोद	1753	1619	10518
8	गांधीनगर	683	629	4098
9	जामनगर	1442	1421	8652
10	जुनागढ़	1356	1343	8136
11	कच्छ	1716	1682	10296
12	खेड़ा	1762	1756	10572
13	महेसाणा	1065	1063	6390
14	नर्मदा	741	698	4446
15	नवसारी	772	771	4632
16	पंचमहाल	2458	2453	14748
17	पाटन	842	807	5052
18	पोरबन्दर	330	329	1980
19	राजकोट	1358	1363	8148
20	साबरकांठा	2601	2553	15606
21	सुरत	1087	1089	6522
22	सुरेन्द्रनगर	1012	1003	6072
23	तापी	865	871	5190
24	डांग	401	401	2406
25	वड़ोदरा	2402	2387	14412
26	वलसाड़	1059	996	6354
27	अहमदाबाद कोर्पो.	478	464	2868
28	राजकोट कोर्पो.	88	81	528
29	सुरत कोर्पो.	283	104	1698
30	वड़ोदरा कोर्पो.	114	281	684
	कुल	**34116**	**33531**	**204696**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

2012-13 के दौरान आयोजित जिलेवार समुदाय प्रशिक्षण का विवरण (गैर आवासीय)

3 दिन ब्लॉक स्तर एसएमसी / स्थानीय प्राधिकार के सदस्यों के लिए (गैर आवासीय प्रशिक्षण)

क्र.सं.	जिले का नाम	स्कूलों की संख्या	मौजूदा एसएमसी की कुल संख्या	प्रशिक्षित किए जाने वाले कुल सदस्य 3 / 12
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	अहमदाबाद	952	905	11424
2	अमरेली	809	800	9708
3	आणद	1154	1154	13848
4	बनासकाँठा	2362	2373	28344
5	भरूच	968	934	11616
6	भावनगर	1203	1201	14436
7	दाहोद	1753	1619	21036
8	गांधीनगर	683	629	8196
9	जामनगर	1442	1421	17304
10	जुनागढ़	1356	1343	16272
11	कच्छ	1716	1682	20592
12	खेड़ा	1762	1756	21144
13	महेसाणा	1065	1063	12780
14	नर्मदा	741	698	8892
15	नवसारी	772	771	9264
16	पंचमहाल	2458	2453	29496
17	पाटन	842	807	10104
18	पोरबन्दर	330	329	3960
19	राजकोट	1358	1363	16296
20	साबरकांठा	2601	2553	31212
21	सुरत	1087	1089	13044
22	सुरेन्द्रनगर	1012	1003	12144
23	तापी	865	871	10380
24	डांग	401	401	4812
25	बड़ोदरा	2402	2387	28824
26	वलसाड़	1059	996	12708
27	अहमदाबाद कोर्पो.	478	464	5736
28	राजकोट कोर्पो.	88	81	1056
29	सुरत कोर्पो.	283	104	3396
30	वड़ोदरा कोर्पो.	114	281	1368
	कुल	**34116**	**33531**	**409392**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

2012-13 के दौरान आयोजित जिला वार पंचायती राज सदस्यों ट्रेनिंग (आवासीय) का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल सभ्य					कुल पीआरआई
		जिल्ला/ पंचायत	कोर्पो	तालुका पंचायत	नगर पंचायत	50% ग्रामपंचायत	
1	अहमदाबाद	33	0	178	195	2580	2986
2	अमरेली	31	0	181	237	2950	3399
3	आणद	37	0	174	315	1760	2286
4	बनासकांठा	55	0	264	162	3920	4401
5	भरूच	31	0	154	126	2715	3026
6	भावनगर	41	51	213	243	3855	4403
7	डांग	17	0	23	0	350	390
8	दाहोद	39	0	175	84	2360	2658
9	गांधीनगर	27	33	100	117	1470	1747
10	जामनगर	33	51	174	243	3320	3821
11	जुनागढ़	45	71	252	330	4100	4798
12	कच्छ	33	0	178	195	3070	3476
13	खेड़ा	41	0	202	276	2795	3314
14	महेसाणा	39	0	187	219	2955	3400
15	नर्मदा	19	0	72	27	1095	1213
16	नवसारी	29	0	115	135	1815	2094
17	पंचमहाल	45	0	235	159	3365	3804
18	पाटन	29	0	133	147	2320	2629
19	पोरबन्दर	17	0	51	117	750	935
20	राजकोट	41	0	246	288	4315	4890
21	साबरकांठा	47	0	251	210	3445	3953
22	सुरेन्द्रनगर	31	0	168	48	3135	3382
23	सुरत + तापी	58	0	268	330	4235	4891
24	वड़ोदरा	51	0	264	132	4305	4752
25	वलसाड़	31	0	129	153	1695	2008
26	ए.एम.सी.		129			0	129
27	आर.एम.सी.		69			0	69
28	वि.एम.सी.		72			0	72
29	एस.एम.सी.		114			0	114
	कुल	**900**	**590**	**4387**	**4488**	**68675**	**79040**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

2012-13 के दौरान एसएमसी प्रशिक्षण

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

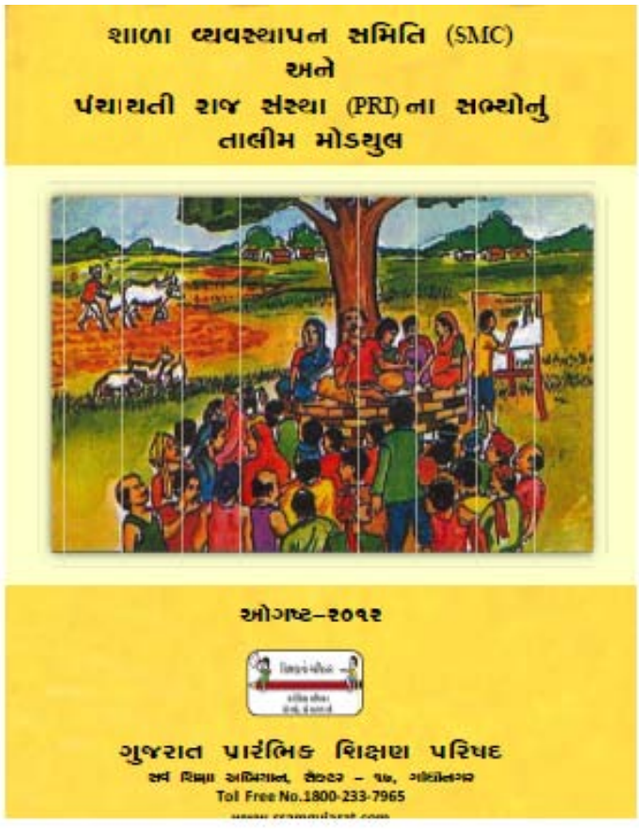
શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિ (SMC)
અને
પંચાયતી રાજ સંસ્થા (PRI) ના સભ્યોનું
તાલીમ મોડયુલ
ઓગષ્ટ–૨૦૧૨
ગુજરાત પ્રારંભિક શિક્ષણ પરિષદ
Toll Free No.1800-233-7965

ગુજરાત પ્રારંભિક શિક્ષણ પરિષદ
Toll Free No.1800-233-7965, www.ssamgujarat.com

अध्याय-4

बालिका शिक्षण, एनपीईजीईएल तथा केजीबीवी

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय-4

बालिका शिक्षण, एनपीईजीईएल तथा केजीबीवी

बालिकाओं की शिक्षा :

एक मानव अधिकार होने के अलावा, व्यापक दस्तावेजों से यह भी संकेत मिलता है कि बालिकाओं की शिक्षा में निवेश से आर्थिक विकास हेतु सर्वोत्तम प्रतिफल प्रदान करने की क्षमता है तथा शिक्षा में लिंग-भेद का एक प्रतिकुल असर सिर्फ बालिकाओं पर ही नहीं बल्कि उनके परिवारों एवम् समाजों पर भी पड़ता है। गुजरात में २२८ ब्लॉकों में से १५० को अभिनव प्रवृत्तियो में सम्मिलित कर लिया गया है तथा एनपीईजीईएल प्रवृत्तियों में ७८ ब्लॉकों को समेट लिया गया है। बीते दशक में एस.एस.ए. की प्रवृत्तियों के द्वारा ध्यान देने योग्य प्रगति अर्जित की गई, जैसे कि :-

- लैंगिक अंतर २१.९९ से १६.५० (२०११ जनगणना)
- स्त्री शिक्षा दर ५८.६० से ७०.७० (२०११ जनगणना)
- प्राथमिक स्तर पर शाला से प्रस्थान दर ड्रॉप आउट दर (डायस २०१२)
- उच्च प्राथमिक स्तर पर ड्रोप आउट दर १८.७९ से घटकर ७.०८ (डायस २०१२)
- लिंग भेद सूचकांक ०.८६ से घटकर ०.८२ (डायस २०१२)

एस.एस.ए., एनपीईजीईएल एवं केजीबीवी के उद्देश्यों में, प्रमुख उद्देश्य शिक्षा में लिंग भेद घटाने पर है, जो कि निम्न नामांकन, स्थायीकरण एवं बालिकाओं, खास तौर पर सामाजिक और आर्थिक रुप से पिछडे वर्गों की बालिकाओं की कार्य- सिद्धिओं से पता चलता है। बालिकाओं के प्रवेश / पहुँच, नामांकन एवं शालाओं में स्थायीकरण में सुधार हेतु गुजरात में खास प्रकार की रणनीतियाँ अपनाई गईं।

लैंगिक मामले / विषयों में संवेदनशील पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों का विकास सभी नई पाठशालाओं की ईमारतों / भवनों में बालिकाओं हेतु अलग शौचालयों के साथ निर्माण किया गया।

राज्य लिंग संसाधन वर्ग / समूह एवं जिला लिंग संसाधन वर्गो / समूहों पर यह उत्तरदायित्व सौंपा गया कि वे क्षेत्रीय खास जरुरतों को ध्यान में रखते हुए लौंगिक शिक्षण हेतु रणनीतियाँ बनाए लिंग-जागरुकता सामग्रीयों जैसे कि विज्ञापनों / पोस्टरों, हस्तपुस्तिकाओं, एवं विवरणिकाओं का निर्माण किया गया।

शिक्षकों, प्रधान-प्रशिक्षकों, बी.आर.सी. तथा सी.आर.सी. कार्यकर्ताओं के लिए लैंगिक प्रशिक्षण मॉडयूल भी विकसित किए गए। इसी प्रकार से के.जी.बी.वी. के शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण मॉडयूल तैयार किए गए।

यह कार्यक्रम समुदायों को सक्षम बनाने के खास महत्त्व को समझता है, खास तौर पर महिलाओं कि जो कि कार्यक्रम में हर रुप में एक खास भूमिका निभाती है। इसी दिशा में, ग्राम्य स्तर पर क्षेत्रीय निकायों / जैसे कि एस.एम.सी., एम.सी.एस. समितियों को एनपीईजीईएल में यह शक्ति दी गई है कि वे अपने क्षेत्रों में बालिकाओं के शिक्षण के प्रसार की जवाबदारी संभालें।

समाज का सघन क्षमता निर्माण जिसमें महिला वर्गो / दलो, महिला सरपंचों एवं पंचायत सदस्यों को बालिका शिक्षण को ध्यान में लेकर सम्मिलित किया गया। इसके अलावा, समुदायों एवं महिला संगठनों को संचालन एवं शाला प्रबंधन में सम्मिलित किया गया जिससे वे बालिकाओं को ध्यान में रखकर नामांकन निगरानी, स्थायीकरण एवं सिद्धि स्तरों पर भागीदारी से ध्यान दे पाएं।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

प्रारंभिक / प्राथमिक शिक्षा में से लिंग भेद घटना :-

लोगों में, खासतौर से स्त्रियों में प्रेरणा लाने हेतु लगातार प्रयास किए गए जिससे कि वे अपने बच्चों को पाठशाला भेजें। यह प्राथमिक शिक्षा हेतु माँग उत्पन्न करने की ओर निर्देश करता है। यह ग्रामीण समुदायों, खासतौर से महिलाओं के रुख में बदलाव की नीति जिससे शाला तथा समुदाय के बीच मजबूत कड़ियाँ तैयार हो सकें।

जगरुकता अभियानों के लिए निम्न बालिका-शिक्षा हर वाले ब्लोक एवं कलस्तरीं का चयन किया गया। सभी जिलों में मां-बेटी सम्मेलनों का आयोजन किया गया संचालन हेतु रैलियों, कठपुतली-चलपित्रों, स्त्री-विषयों / मुद्दों पर अन्य शैक्षणिक चलचित्र, महिला गुहों का भी उपयोग किया गया। शाला प्रवृत्तियों में सम्मिलित है। मीना अभियान / मुहिम कार्यक्रमो की मासिक प्रवृत्ति जिससे बालिकाओं का डोप आउट दर छोटा लिंग भेद के लिए भी जीवन कौशल प्रवृत्तिओं जैसे कि आत्म रक्षा, खेल-प्रशिक्षण आदि आयोजित की गई।

बालिका शिक्षण अंतर्गत प्रवृत्तियाँ :-

लिंग समता सप्ताह मनाना : (४१५४३८ छात्राओं एवं ४०५६०० छात्रो की भागीदारी) उच्च लिंग भेद/अंतर वाले ब्लोंको के ६७६० शालाओं मे राज्य द्वारा लिंग समता सप्ताह का उत्सव / समारोह मनाया गया। २४ से २९ सितम्बर, २०१२ के दौरान-प्रतिदिन प्रवृत्तियों का आयोजन किया गया। छात्र एवं छात्राओं, दोनो ने ही रैलियों एवं वक्तृत्व-स्पर्धाओं में भाग लिगा। बालक-बालिकाओं दोनो में समानता निर्माण विषय लिंगानुपात तथा बालिकाओं के महत्त्व जैसे विषयों में समुदायों की भागीदारी में एसएमसी सदस्यों ने बराबर हिस्सा लिया। अत: अभियान का एक सप्ताह शाला में आयोजन किया गया। जहाँ तक ऐसे उत्सव / समारोह की बात है यह ध्यान देने योग्य बात है कि बालिकाओं की सभी क्षेत्रों / विभागो में बहुत ही व्यापक भागीदारी होती है।

लिंग संसाधन समूह / वर्ग तथा जिला लिंग संसाधन समूह (डीजीआरजी) एवं उसका प्रशिक्षण : (१३८७८५६ बालिकाये सम्मिलित) :- राज्य जिला तथा ब्लोंक स्तर पर लिंग संसाधन समूह का निर्माण। राज्य स्तर पर प्रधान प्रशिक्षण तैयार किए गए फिर प्रपातन ढंग से जिला तथा ब्लोंक लिंग सह समन्वयकों को प्रशिक्षित किया गया। आरटीई के संदर्भ में बालिकाओं को प्रशिक्षित किया गया। आरटीई के संदर्भ में बालिकाओं की शिक्षण के प्रति जमीनी सच्चाई जैसे कि पिछडे वर्ग की बालिकाओं को भी प्राथमिक शिक्षा से लाभ मिल सके।

जीवन कौशलय प्रशिक्षण :

कक्षा ५ से ८ की बालिकाओं में आत्मविश्वास निर्माण हेतु जीवन कौशल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। जीवन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में ४१४३८ बालिकायें सम्मिलित हुईं। इस प्रशिक्षण में जूडो-कराटे लाठी लेजीम, खास लेख सम्मिलित किए गए। इन प्रवृत्तियों में उच्च प्राथमिक बालिकाओं को केन्द्र में रखा गया जो अपने प्रारंभिक चरण में हों।

किशोरी मेला :- इस प्रवृत्ति में ३४८०० बालिकायें सम्मिलित की गई। बालिकाओं ने उनके किशोरावस्था तथा व्यव्यहारिक बदलाव के बारे में ज्ञान पाया।

बालिकाओं ने आत्मविश्वास महसूस किया तथा अपनी समस्याए बताने में झिझकी नहीं। इससे ड्रोप आउट दर घटेगी। बालिकाए बाल-विवाह एवं माहवारी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी पाकट प्रेरित होंगी। आईसीडीएस, आशा कार्यकर्ता एवं पीएचसी विभागों के संमिलन से बालिकाओं का लाभ हुआ।

बालिकाओं का प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीईजीएल)

इस कार्यक्रम का निर्माण अल्पाधिकार प्राप्त / वंचित बालिकाएँ जो कि एसएसए के खास लिंग ईकाई आयोजन एवं एक अलग अवयव के तौर पर कक्षा। से ८ में शिक्षा प्राप्त करती हैं।

लिंग घटक प्राथमिक शिक्षण के लिए आवश्यक है खास दौर से शैक्षणिक रुप से पिछडे क्षेत्रों में बालिका-शिक्षण हेतु। यह व्यवस्था / योजना निम्न क्षेत्रो में लागू हैं :-

- शैक्षणिक पिछड़ा क्षेत्र / ब्लोंको में (ईबीबी), ऐसा ब्लोंक जहाँ ग्रामीण स्त्री-साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम हो तथा लिंग भेद/अंतर राष्ट्रीय औसत से उपर हो
- ऐसे जिलों के ब्लोंक जिनमें कम से कम ५% अनुसूचित जाति / अनु.जनजाति जनसंख्या हो तथा अनु. जा / जन. जाति स्त्री साक्षरता दर १० से नीचें हो।

चूर्निंदा शहरी झुग्गियाँ :-

गुजरात में, एनपीईजीईएल को ७८ ग्रामीण ईबीबी में, । चूने हुए शहरी झुग्गियों एवं ३२ शहरी कलस्टरी - कुल १५८४ क्लस्टर तथा आदर्श कलस्टर शालाएँ (एमसीएस) निर्मित की गई। १३५८७७२ बालिकाएँ लाभान्वित हुईं। आरटीई अधिनियम, २००९ के संदर्भ में, कलस्टरों की संख्या ११४६ से बढकर २०१०-११ में १५८४ तक हुई। एनपीईजीएल प्रवृत्तियों एवं बजट प्रावधानों का कलस्टरों में) निर्धारण राज्य सरकार करती है। प्रत्येक क्लस्टर में बालिका मित्रत्व प्रवृत्तियों हेतु एक एमसीएस है। एमसीएस को अलग कक्षा / वर्गखण्ड, बिजली, पानी एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। विशिष्ट शाला में बालिका नामांकन में सिद्धि, स्थायीकरण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में प्राप्त सिद्धियों के आधार पर एसएसए की लैंगिक विषय / लिंग विषयक इकाई राज्य एवं जिला स्तर पर एनपीईजीईएल प्रवृत्तियों का क्रियान्वयन करती है। ब्लोक स्तर पर इन प्रवृत्तियों की निगरानी बीआरसी तथा सीआरसी द्वारा की जाती है।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

गुजरात राज्य (२०१२-१३) एनपीईजीईएल ब्लोक :-

१. ब्लोंको की संख्या – ७८ ग्रामीण ब्लोंक
२. सम्मिलित क्लस्टरो की संख्या – १५५२ ग्रामीण क्लस्टर
३. मॉडल प्रारुप क्लस्टर शाला संख्या – १५८४
४. मॉडल प्रारुप क्लस्टर शाला में सम्मिलित बालिकाओं की संख्या – १३, ५८, ७७२
५.
६. शहरी झुग्गियों में क्लस्टरो की संख्या – ३२

प्रत्येक १५८४ क्लस्टर तथा शाला में की जाने वाली मुख्य प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार की है :-

क्रम संख्या	प्रवृत्ति का मुख्य हिस्सा	राज्य द्वारा की गई प्रवृत्तियाँ
1	एमसीएस प्रवृत्तियाँ	– **जीवन कौशल प्रशिक्षण :-** बालिकाओं के प्रतिदिन उपस्थित / दैनिक नामांकन हाजिरी, स्थायीकरण एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्ति के रुप में जीवन कौशल प्रशिक्षण अंतर्गत बालिका शिक्षण को बढ़ावा देना । ये प्रवृत्तियाँ एसएमसी स्तर पर निर्धारित हुई तथा ३९६००० बालिकाओं को लाभ हुआ। – प्रत्येक क्लस्टर की ३ शालाओं में प्रशिक्षण आत्म रक्षा प्रशिक्षण जूडो-कराटे आदि का संचालन करना – पूर्व-व्यावसायिक / व्यवसाय पूर्व प्रशिक्षण जैसे कि मोमबत्ती, अगरबत्ती बनाना, काँच पर चित्रकारी, कढाई एवं हस्तकला – **किशोरी मेला :-** इस प्रवृत्ति में शाला बाहर तथा शाला की कुल २३८६०० बालिकाओं को सम्मिलित किया गया। बालिकाओं हेतु किशोरी विवरणिका भी तैयार की गई। इसमें किशोरावस्था, प्रतिष्ठित महिलाएँ, बाल-विवाह, पोषण एवं स्वास्थ्य जैसे मुद्दो पर प्रकाश डाला गया।
2	शाला पुरस्कार :	– अध्ययन सिद्धियों (गुणोत्सव आंकडे, स्थायीकरण एवं नामांकन के आंकडो के आधार पर) आदर्श / प्रारुप क्लस्टर की शाला का चयन किया गया।
3	समुदाय जुटाना	मां बेटी सम्मेलन : समाज में बालिका शिक्षा बढ़ाने हेतु इस वर्ष मां-बेटी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कुल ७९२०० माताओ ने बालिकाओं सहित इस प्रवृत्ति में हिस्सा लिया। – आदर्श कलस्टर शाला (एमसीएस) समिति का इस विभाग में निर्माण एवं प्रशिक्षण हुआ – राज्य कोर (की केन्द्रीय) दल द्वारा मोड्यूल तैयार कर ब्लोक स्तर एमसीएस शाला समिति सदस्यों तथा अन्य आदर्श क्लस्टर शाला के एक सदस्य तक पहुंचाए गए। – एमसीएस सदस्य प्रशिक्षण अंतर्गत कुल १५४४० सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

भारत सरकार द्वारा अगस्त – २००४ में कस्तुरबा-गांधी बालिका विद्यालय के.जी.बी.वी. योजना का शुभारंभ किया गया जिससे कठिन प्रदेशो में बालिकाओं, खासतौर से अनु. जाति, अनु-जनजाति, अन्य पिछडे वर्ग तथा अल्पसंख्यकों में से उच्च प्राथमिक स्तरीय बालिकाओं हेतु आवासीय शाला का निर्माण हो सके। के.जी.बी.वी. योजना संपूर्णतिया अलग परंतु एस.एस.ए., एन.पी.ई.जी.ई.एल. के सामंजस्य में आरंभिक दो वर्षो तक चली परंतु १ अप्रैल, २००७ से यह एक अलग इकाई के रुप मे एस.एस.ए. कार्यक्रम में जुड़ गई।

गुजरात में, के.जी.बी.वी. वर्ष २००४-०५ से शुरु हई, कुल ३० शैक्षणिक रुप से पिछड़े ब्लॉक – १७ जिलों में सम्मिलित इन ब्लोंको को परियोजना मंजूरी बोर्ड के समक्ष रखा गया तथा उनकी स्वीकृति भी पाई गई। वर्ष २००४-०५ में कुल १५३३ बालिकाओं का नामांकन हुआ आर.टी.ई.- २००९ अधिनियम संदर्भ में अन्य २३ के.जी.बी.वी. परियोजना मंजूरी हेतु, एम.एच.आर.डी. समक्ष प्रस्तावित हुए, तथा मंजूर हुए, एवं १ जनवरी २०११ से क्रियाशील है। राज्य में कुल ८९ के.जी.बी.वी. कार्यरत हैं। इन ८९ में से ४३ केजीबीवी प्रारुप-१, २४ प्रारुप २ तथा २२ प्रारुप – ३ प्रकार के हैं। कुल ६६० बालिकाएँ एवं १००% भौतिक सिद्धियाँ पाप्त हुई।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

प्रारुप	मंजूर / स्वीकृत केजीबीवी की संख्या	कार्यरत केजीबीवी की संख्या की संख्या	नामांकित बालिकाएँ						
			अनु. जाति	अन्य जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	अल्प संख्यक	मुस्तिलम अंल्पसंख्यक	अन्य	कुल
I	43	43	175	2073	2081	20	12	52	4413
II	24	24	141	440	489	13	106	8	1197
III	22	22	171	112	723	7	19	28	1060
कुल	**89**	**89**	**487**	**2625**	**3293**	**40**	**137**	**88**	**6670**
नामांकन %			**7.30**	**39.36**	**49.37**	**0.60**	**2.05**	**1.32**	**100.00**

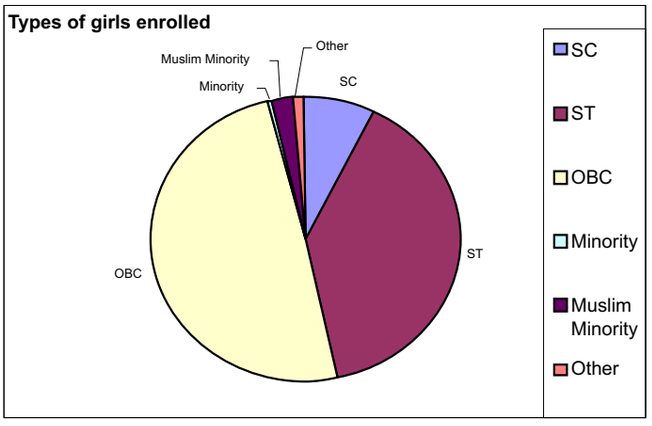

जिलेवार केजीबीवी की संकलित स्थिति पत्रक इस प्रकार है :

जिलेवार केजीबीवी की संकलित स्थिति की जानकारी :

क्रम सं.	स्वीकृत / मंजुर	कार्यरत केजीबीवी की संख्या	एसएसए केजीबीवी की संख्या	महिला समुदाय	कुल समस्या की संख्या	केजीबीवी
1	अहमदाबाद	4	4	4	0	4
2	अमरेली	2	2	2	0	2
3	बनासकांठा	10	10	8	2	10
4	भावनगर	6	6	6	0	6
5	दाहोद	7	7	7	0	7
6	जामनगर	3	3	3	0	3
7	जुनागढ	6	6	6	0	6
8	खैडा	1	1	1	0	1
9	कच्छ	8	8	8	0	8
10	मेहसाणा	1	1	1	0	1
11	नर्मदा	2	2	2	0	2
12	पंचमहाल	9	9	5	4	9
13	पाटण	5	5	5	0	5
14	राजकोट	3	3	1	2	3
15	साबरकांठा	3	3	1	2	3
16	सुरत	1	1	1	0	1
17	सुरेन्दनगर	9	9	6	3	9
18	तापी	3	3	3	0	3
19	वडोदरा	4	4	2	2	4
20	तलसाड	2	2	2	0	2
कुल	गुजरात	**89**	**89**	**74**	**15**	**89**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

शिक्षकों की क्षमता निर्माण :-

- **विषयवस्तु प्रशिक्षण :** के.जी.बी.वी. शिक्षकों ने एस.एस.ए. की सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ब्लॉक व क्लस्टर स्तर पर भाग लिया।
- प्रशासन एवं प्रबंधन मुद्दो संबंधी ३ दिवसीय क्षेत्राधार शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन विभिन्न जगहों (अहमदाबाद, वडोदरा, बनासकांठा एवं कच्छ) पर किया गया। राज्य दल द्वारा इस प्रशिक्षण के मोड्यूल तैयार किए गए।
- **जीवन कौशल प्रशिक्षण :** शिक्षकों हेतु जीवन कौशल प्रशिक्षणों का संचालन हुआ ताकि वे कक्षा – अध्यापन दौरान बालिका व्यवहार को समझे एवं बालिकाओं से उनके संचालन में सुधार आए, जिससे बालिकाओं के आत्मविश्वास का स्तर, निर्णय-शक्ति तथा दूसरों के समक्ष भावनाएँ प्रस्तुत करने की कला खीले।

शिक्षकों की भागीदारी की स्थिति :

क्रम	प्रशिक्षण प्रकार	भागीदार शिक्षकों की संख्या	टिप्पणी
1	सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण (एसएसए)	313	ब्लॉक एवं क्लस्टर स्तर
2	प्रशासन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण	194	क्षेत्रवार
3	जीवन कौशल प्रशिक्षण	63	२ चरणों में

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

के.जी.बी.वी. बालिकाओं में सह-अभ्यासिक प्रवृत्तियाँ एवं कौशल विकास :

- के.जी.बी.वी. द्वारा गुजरात के विभिन्न स्थलों पर शैक्षणिक दौरों का आयोजन किया गया।
- मासिक प्रदर्शन / अनावरण दौरों – डाल विभाग बैंकों, रेल्वे – स्टेशनों तथा पुलिस – स्टेशनो आदि तक जिससे उनमें ज्ञान की शक्ति एवं सामान्य ज्ञान को बढावा मिले।
- विभिन्न एकल व सामुहिक रुप से व्यावसायिक / सह – अभ्यासिक प्रवृत्तियो का आयोजन जैसे कि आत्म रक्षा, जूडो–कराटे, लाठी–लेजीम, व्यावसायिक प्रशिक्षण – हस्तकला, वेस्ट से बेस्ट वस्तु, कठपुतली निर्माण, कांच चित्रकारी, खेलकूद–वॉलीवॉल, निशानेबाजी, स्केटींग आदि का रुचि के आधार पर आयोजन।
- अहमदाबाद, मेहसाणा एवं नर्मदा के.जी.बी.वी. की बालिकाओं का युवा राष्ट्रीय कैडेट कोर्प(एनसीसी) / स्काउट गाईड में भागीदारी।
- ५३ के.जी.बी.वी. बालिकाओंने गणित विज्ञान प्रदर्शन में भाग लिया।
- डायट / खेलमहाकुंभ / एस.एस.ए./ जी.सी.ई.आर.टी. द्वारा आयोजित खो–खो, कबड्डी , बोलीबोल, दौड गोलाफेक, कुद आदि में ८९ केजीबीवी बालिकाओं ने हिस्सा लिया।
- अभिभावकों की तिमाही बैठक।
- नजदीकी पी.एच.सी. द्वारा बालिकाओं की मासिक / द्वि–मासिक शारीरिक जाँच / परिक्षण
- बालिका – शिक्षण के प्रति सामाजिक जागृति के लिए के.जी.बी.वी. शिक्षकों तथा बालिकाओं के प्रयास जिसमें रैली, नुक्कड, नाटक तथा समुदायिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

भौतिक एवं सामाजिक समाविष्टि हेतु प्रयास :

- राज्य द्वारा भौतिक एवं सामाजिक समाविष्ट हेतु उन्हीं समुदायों में से शिक्षकों की भर्ती / नियुक्ति की गई।
- शिक्षक प्रशिक्षण में भौतिक एवं सामाजिक समाविष्टि अध्याय जोडे गए।
- राज्य पाठ्यपुस्तक बोर्ड एवं केजीबीवी का अभ्यासक्रम एक ही रखा गया।
- अनामांकित एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं के नामांकन हेतु एनपीईजीईएल योजना में ''मां–बेटी सम्मेलन'' का आयोजन

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अन्य विभागों एवं गैर-सरकारी संगठनो से अभिसरण संमिलन :

- सामाजिक कल्याण विभाग
- आदिवासी विकास विभाग
- सखी मंडलो में कार्यरत बड़ोदरा का वात्सल्य फाउन्डेशन
- केअर इन्डिया, गुजरात
- युनिसेफ़

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 5

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 5

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

शाला में अप्रवेशित शाला बाहर के बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम :

आरटीई सेक्शन ४ एक्ट ने शाला में अप्रवेशित बच्चों के वय योग्य प्रवेश के लिए दिए जानेवाले विशेष प्रशिक्षण के लिए विशेष प्रावधान किया है। छः वर्ष से अधिक आयु के वे बच्चें, जो कभी किसी भी शाला में दाखिल न किए गए हों या दाखिल किए जाने के बावजूद जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही शाला छोड़ दी हो, वैसे बच्चों को अपनी उम्र के अनुसार योग्य कक्षा में प्राथमिक शिक्षा की पूर्ति हेतु प्रवेश दिया जाना है।

शाला में प्रवेशित न किए गए इन बच्चों में ज्यादातर बच्चे प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त समाजों से पाए गए। जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम लघुमती, स्थानांतरित लोगों के विशेष आवश्यकतावाले बच्चे तथा शहरी वंचित बच्चे एवं मजदूरी करनेवाले बच्चे। आर.टी.ई. एक्ट के इस प्रावधान का निर्माण ऐसे बच्चों को अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने हेतु उन्हें उनकी वय के अनुसार योग्य कक्षा में शाला में प्रवेश करवाने के लिए किया गया है। ऐसे बच्चों को उनकी वय अनुसार की कक्षा में प्रवेश करने का मुख्य उद्देश्य उन्हें उनसे कम आयु के बच्चों के साथ बिठाए जाने पर होनेवाली अपमान व शर्म की अनुभूति से बचाना है। यह एक्ट आयु अनुसार की कक्षा में भर्ती करवाए गए इन बच्चों को कक्षा में पढ़ रहे दूसरे बच्चों के समान बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की सुविधा देता है। राज्यभर में शाला में प्रवेश न हुए बच्चों को ढूँढने के लिए सर्व शिक्षा अभियान ने भारी प्रयास किया है। शाला में मुख्यतः वंचित समूहों (जैसे अनाथ, कचरा इकट्ठा करनेवाले, किसी वयस्क की सुरक्षा से वंचित, भिखारी) के अप्रवेशित बच्चों को ढूँढने के लिए एन.जी.ओ. की सहायता से अगस्त २०११ में हाउस होल्ड सर्वे किया गया। २० जिलों व ३ महानगरपालिकाओं के क्षेत्रों में एनजीओ ने यह सर्वे किया, जबकि बचे हुए ५ जिलों व १ महानगरपालिका के क्षेत्रों में एस.एस.ए. ने स्वयं मानव संसाधन विकास परियोजना की सहायता से सर्वे किया। आदिवासी, ग्रामीण, शहरी शहरी विस्तारों के अलावा सभी उद्योगी क्षेत्र, झोंपडपट्टी, नमक क्षेत्रों, ईंट के भट्टे, कारखानों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेशन तथा कार्य किए जानेवाले विस्तारों को भी इस सर्वे में आवरित किया गया।

नवम्बर २०११ से एसएसए ने शाला में अप्रवेशित सभी वर्गों के बच्चों एवं विशेष आवश्यकतावाले बच्चों को आवरित करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाईन सेवा शुरु की है। यह टोल फ्री नंबर है – १८००-२३३-७९६५. सन्. २०१२-१३ में जिला एवं नगरपालिका स्तर पर भी टोल फ्री हेल्पलाईन शुरु की गई है। शाला में अप्रवेशित बच्चों को ढूँढने के लिए इस उल्लेखनीय कदम का बस एवं वर्तमानपत्रों में भी विज्ञापन किया गया था।

शाला में कभी भर्ती न किए गए तथा प्राथमिक शिक्षा की पूर्ति से पहले ही अभ्यास छोड़ देनेवाले बच्चों को शाला में वापिस भर्ती करवाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

ऐसे बच्चों की पहचान किए जाने के बाद निम्न प्रकार विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया :-

(अ) एसएसए ने बच्चों की वय के अनुसार विशेष रूप से तैयार किए गए शैक्षिक साधनों पर आधारित एक तालीम विकसित की है, जिसे राज्य के शैक्षिक प्राधिकरण यानि गुजरात काउन्सिल ऑफ़ एज्युकेशनल रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग के द्वारा मान्य किया गया है।

(ब) यह प्रशिक्षण बच्चों को शाला परिसर में आयोजित वर्गों में या बच्चों की अनुकूलता को ध्यान में रखकर शाला परिसर के आसपास के किसी सुरक्षित मकान में दिया जाता है।

(क) बच्चों को यह प्रशिक्षण शाला में पढ़ानेवाले शिक्षकों या इसके मुख्य हेतु को पूरा करने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए शिक्षकों द्वारा दिया जाता है।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम :

६ से ८ वर्ष की आयु के शाला में अप्रवेशित बच्चों के लिए सन् २०१२ में अप्रैल से जून माह तक तीन महिनों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कभी शाला में भर्ती न किए गए और भर्ती होने के एक साल में शाला छोड़ देनेवाले बच्चों को समाविष्ट किया गया । इस कार्यक्रम के तहत अल्पाहार, महिला सहचर, जीवनोपयोगी कौशल्यों की शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक तालीम, प्रदर्शन की सैर, मेट्रिक मेला इत्यादि जैसी सुविधाएँ भी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में २१२६४ बच्चों को आवरित किया गया।

दस से बीस महिनों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम :

९ से १४ वर्ष की आयु के शाला में शाला-बाहर के बच्चों के लिए दस से बीस महिनों के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कभी शाला में प्रवेश न किए गए और प्रवेश होने के एक साल में शाला छोड़ देनेवाले बच्चों को समाविष्ट किया गया। इस कार्यक्रम के तहत अल्पाहार, महिला सहचर, जीवनोपयोगी कौशल्यों की शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक तालीम, प्रदर्शन की सैर, मेट्रिक मेला इत्यादि जैसी सुविधाएँ भी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में ५६८६२ बच्चों को आवरित किया गया।

स्थानांतरित बच्चों के लिए योजना :

एसएसए गुजरात ने 'इन्डेक्स-बी' की सहायता से आंतरराज्यीय या राज्यांतरित स्थानांतरण कर रहे बच्चों को ढूँढने के लिए स्थानांतरण संचालन सोफ़्टवेयर (एम.एम.एस.) तैयार किया है।

गुजरात राज्य २६ जिलों व ४ महानगर पालिका से बना राज्य है। इस राज्य में ४५ ब्लॉक सहित १२ विशेष ध्यान केन्द्रित जिले और १२ आदिवासी जिलों का भी समावेश हुआ है। गुजरात में भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के साथ-साथ लोगों की जीवनशैली में भी विविधता पाई जाती है । आदिवासी जिलों मे कई कारणों से कई बच्चे शाला में नहीं जाते हैं; जबकि शहरी विस्तारों में स्थित झोंपड़पट्टियों के भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित पाए गए हैं।

राज्यांतरिक प्रवासियों पर नजर :

अधिकतर कई परिवार अपने बच्चों समेत जीवननिर्वाह के लिए एक से दूसरे जिलों व ब्लॉकों में मौसमी स्थानांतरण करते पाए जाते हैं । डांग, दाहोद, सूरत, नवसारी, नर्मदा, वलसाड़, सुरेन्द्रनगर, जूनागढ़, कच्छ, पंचमहाल, वड़ोदरा ऐसे कुछ जिले हैं, जहाँ से लोग स्थानांतरण करते हैं। इनमें से ज्यादातर परिवार निर्माण, कृषि कार्य, नमक क्षेत्र, ईंट के भट्ठे, कारखाने, खान में काम करते हैं, तथा कुछ खानाबदोश समूह यारागाहों के लिए घूमते रहते हैं। अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, कच्छ, राजकोट, भावनगर जैसे कुछ प्राप्तकर्ता जिले हैं। राज्यांतरिक स्थानांतरण संबंधित जानकारियों को स्थानांतरण संचालक सोफ़्टवेयर द्वारा पहचाना व अभिलिखित किया जाता है।

आंतरराज्य / आंतर्राज्यीय :

मोटे तौर पर गुजरात एक प्राप्तकर्ता राज्य है। मौसमी काल के दौरान मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओड़िशा इत्यादि राज्यों में कई परिवार गुजरात में आते हैं और गन्ने के खेतों में, गन्ने के कारखानों में, ईंट के भट्ठों में, रूँई के खेतों में, निर्माण के कार्यों में, जहाजी कार्यों में जुट जाते हैं। स्थानांतरण संचालक सोफ़्टवेयर (एम.एम.एस.) की सहायता से एन.जी.ओ. के साथ मिलकर एक विशेष टीम नियुक्त की गई है, जो इनकी पहचान, ओनलाईन प्रवेश, नामांकन और पता लगाने का काम करती है।

अन्य राज्यों के साथ संयोजन :

राज्य परियोजना निदेशक महोदय के निर्देश का अनुसरण करते हुए हमने महाराष्ट्र, राजस्थान, ओड़िशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश तथा उत्तरप्रदेश के मिशन निदेशक को एक पत्र लिखा। हमने संबंधित राज्यों को हिन्दी व अंग्रेजी में स्थानांतरण कार्ड, उपयोगकर्ता का नाम एवं पासवर्ड की कॉपी भेजी। मध्यप्रदेश ने हमें गाँव का विवरण मुहैया कराया।

सितम्बर २०१२ से आँकड़े एकत्रित करने का आरंभ किया गया। एम.एम.एस. के द्वारा हम प्रवासी स्थानांतरित बच्चों का पता लगा सकते हैं। इस साल हमने मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओड़िशा, उत्तरप्रदेश व छत्तीसगढ़ से विभिन्न भाषाओं में पुस्तक मुहैया कराने के विषय में बातचीत की है। एस.एस.ए. ओड़िशा ने उड़िया भाषा में पुस्तकें भेजी हैं।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

मौसमी छात्रावास :

स्थानांतरण अवधि के दौरान राज्यांतरिक स्थानांतरित बच्चों को मौसमी छात्रालय के तहत आवरित किया जाता है। पूर्व सूचना दिए बिना स्थानांतरण करनेवाले बच्चों, अनियमित रूप से स्थानांतरण करनेवाले बच्चों तथा खानाबदोश समूहों के बच्चों को पहचानकर उन्हें आवरित करने में एमएमएस बहुत ही सहायक बना है। एसे बच्चों को टेंट स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आवरित किया गया है। सन् २०१२-१३ में ४७२ शाला में अप्रवेशित स्थानांतरित बच्चों तथा २३०५९ शाला में प्रवेशित स्थानांतरित बच्चों को मौसमी छात्रालय के तहत आवरित किया गया। उपरांत २६१२२ आंतर्राज्यीय बच्चों को टेंट स्पेशल ट्रेनिंग के तहत आवरित किया गया।

टेंट स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम (टेंट विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम)

अपनी जीविका कमाने के लिए लोग ६ से ८ महिनों के लिए अपने गाँव से स्थानांतरण करते हैं। इस कारण उनके बच्चों का शिक्षा से नाता टूट जाता है। स्थांनातरण करनेवाले लोग निर्माण इत्यादि कार्य हेतु शहरी क्षेत्रों में जाते हैं। स्थानांतरित अभिभावकों के बच्चे स्थानांतरित स्थानों पर शाला की अनुपलब्धि के कारण शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इन बच्चों को शिक्षा देने के लिए टेंट स्पेशल ट्रेनिंग का आरंभ हुआ।

इस साल मौसमी स्थानांतरण अवधि के दौरान एन.आर.एस.टी.सी. के तहत २६१२२ आंतरराज्यीय स्थानांतरित बच्चों को आवरित किया गया।

स्पेशल ट्रेनिंग मटिरियल : (विशेष प्रशिक्षण सामग्री)

राज्य संसाधन समूह (एस.आर.जी.), डायट के व्याख्याता, गुजरात काउन्सिल ओफ़ एज्युकेशनल रिसर्च एन्ड ट्रेनिंग (जी.सी.ई.आर.टी.), सी.आर.सी., सेवा-निवृत्त शिक्षकों, एन.जी.ओ. के विशेषज्ञ, ईवी और रिसोर्स पर्सन, दूसरे विभाग व विश्वविद्यालय के लोगों द्वारा विशेष प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गई। १ से ६ तक की कक्षा के लिए सामग्री तैयार की गई, जिसे २०११-१२ में सुधारा गया। इसके अलावा दूसरे राज्य के स्थानांतरित बच्चों के लिए हिन्दी शिक्षा सामग्री (अभ्यास पुस्तिका) को विकसित किया गया, जिसका सन् २०१२-१३ में नवीनीकरण किया गया है।

(मोड्यूल्स, अभ्यास पुस्तिका, प्रवृत्ति पत्रक, पूर्व-परीक्षा प्रश्नपत्र, प्रगतिपत्रक)

संचालन एवं निरीक्षण :

इस वर्ष, एस.एस.ए .तथा एनजीओ द्वारा संचालित राज्यांतरित और आंतर्राज्यीय स्थानांतरित बच्चों को आवरित करनेवाले विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन व सहयोग किया जाता है। इन केन्द्रों का सहायक संचालन परियोजना कर्मचारियों द्वारा किया गया है। शाला में अप्रवेशित बच्चों, स्थानांतरित बच्चों व शहरी वंचित समूहों की संख्या अधिक होने के कारण जिलों के लिए हेन्ड होल्डिग एजन्सियों को चुना गया है।

- **स्थानांतरण संचालक प्रणाली (एमएमएस) :** इन्डेक्स्ट - बी की सहायता से राज्यांतरिक व आंतर्राज्यीय स्थानांतरित बच्चों का पता लगाने के लिए हमने स्थानांतरण संचालक सॉफ़्टवेयर विकसित किया हैं।
- **शाला में अप्रवेशित खोजी (ट्रैकिंग) सोफ़्टवेयर (ओटीएस) :** एस.एस.ए. गुजरात के द्वारा शाला में अप्रवेशित बच्चों के अधिक प्रवेश, नियमित उपस्थिति तथा जुलाई, १२ से प्राथमिक शिक्षा पूर्ति तक ६ से १४ वर्ष के बच्चों की खोज के लिए ओनलाईन खोजी (ट्रैकिंग) प्रणाली को विकसित किया गया है।
- **हेल्पलाईन नंबर (टोल फ्री नंबर) :** एसएसए गुजरात ने शाला में अप्रवेशित बच्चों के लिए हेल्पलाईन शुरु की है। टोल फ्री नंबर है १८००-२३३-७९६५. इसके अलावा शाला में अप्रवेशित बच्चों के लिए ओनलाईन फरियाद सेवा भी शुरु की गई है। वेबसाईट : **www.ssagujarat.org**

जिला व महापालिका स्तर पर हेल्पलाईन सेवा (टोल फ्री) भी शुरु की गई है। कुल ३० जिलों ने हेल्पलाईन सेवा (टोल फ्री नंबर) शुरु की है।

परिवहन सुविधा :

यह सुविधा, कठिन प्रदेशों (वंचित) समूहों, विखरे व पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चों के लिए तथा अधिकतर शहरी विस्तारों में रहनेवाले बच्चों, जहाँ परिवहन से जुडे प्रश्न हैं और वैसे क्षेत्रों में रहनेवाले बच्चों, जहाँ नियमों की वजह से नई शाला स्थापित करना संभव नहीं है; उन सब के लिए विकसित की गई है। कुल ५१,६५३ बच्चों में से ४४,९४४ बच्चों को इस सुविधा के तहत आवरित किया गया है।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

Physical Progress:

क्रम	प्रवृत्ति	लक्षित बच्चे	आवरित बच्चे	टिप्पणी
1	निवासी (पिछले वर्ष से जारी)			
	३ महिने	599	472	राज्यांतरिक प्रवासी बच्चों के लिए
2	बिननिवासी (नवीन)			
	१२ महिने	70759	56862	
	९ महिने	21520	26122	आंतर्राज्यीय प्रवासी बच्चों के लिए
	३ महिने	13087	21264	
3	बिननिवासी (पिछले वर्ष से जारी)			
	१२ महिने	16621	16621	
4	मौसमी छात्रालय			
	९ महिने	22065	23059	राज्यांतरिक प्रवासी बच्चों के लिए
	कुल	1,44,651	1,44,400	

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 6

विशेष आवश्यकतावाले बच्चों के लिए संकलित शिक्षा

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 6

विशेष आवश्यकतावाले बच्चों के लिए संकलित शिक्षा

विशेष आवश्यकतावाले बच्चे :

एस.एस.ए. के तहत विशेष आवश्यकतावाले बच्चों को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए गए हैं। शालाओं में एस.एम.सी. के सदस्य के तौर पर विकलांग बच्चों के अभिभावकों को मनोनीत किया गया है। एस.एम.सी. के सभी सदस्यों को भी अभिप्रेरित किया गया है।

संसाधन सहायक दल का सुदृढ़ीकरण :

राज्यभर के सभी ब्लॉकों में सीडबल्युएसएन के लिए संसाधन शिक्षकों को नियुक्त किया गया है। ९३९ संसाधन शिक्षक तथा ४७८ ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को तैनात किया गया है। इसके अलावा संसाधन शिक्षकों के साथ-साथ गंभीर रूप से विकलांग बच्चों को आवास आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष रूप से प्रशिक्षित व योग्य कार्यवाहकों को भी रखा गया है।

प्रशिक्षण सुविधा में वृद्धि :

सी.डबल्यु.एस.एन. के विषय में दिए जानेवाले प्रशिक्षण के लिए सभी बी.आर.सी. स्तर के संसाधन कक्षों को योग्य उपकरण एवं सुविधाओं से संपन्न किया गया है।

संकलित शाला वातावरण निर्माण के लिए संवेदनशीलता :

संकलन के लिए शिक्षकों को दीर्घकालीन व अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया गया है। सीडबल्युएसएन के विषय में शिक्षकों को बुनियादी पाठ्यक्रम भी प्रादन किया गया है। संकलन की विभावना को समझाने के लिए प्रति वर्ष अभिभावकों और समूदाय के सदस्यों के लिए भी प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। शाला संचालन समिति का स्वरूप ऐसा है कि जिसमें सीडबल्युएसएन के प्रतिनिधि को एस.एम.सी. का सदस्य बनाया जाता है। समकक्षों को संकलन केन्द्रित बनाने के लिए शाला स्तर पर संयुक्त प्रवासों, सांस्कृतिक प्रवृत्तियों, प्रदर्शन दौरों, खेलकूद का आयोजन किया जाता है।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अभिसरण :

जिला व ब्लॉक स्तर की सिविल हॉस्पिटल (स्वास्थ्य विभाग) तथा सामाजिक कल्याण विभाग के साथ मिलकर चिकित्सीय जाँच शिविरों का आयोजन किया जाता है। राज्य की परिवहन बस से यात्रा करने के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा सीडबल्युएसएन को मुफ़्त यात्रा पास दिए जाते हैं। राज्य के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा सीडबल्युएसएन को शिष्यवृत्ति भी दी जाती है।

विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण :

गुजरात में विकलांग बच्चों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया, जिसके अनुसार सितम्बर २०१२ में शाला में प्रवेशित विकलांग बच्चों की संख्या १,२१,२२९ थी, जबकि शाला में अप्रवेशित विकलांग बच्चों की संख्या १४,०५५ थी।

	टीबी	एलवी	एचआई	एसआई	एमआर	ओएच	सीपी	एमडी	एएसडी	एलएपी	एलडी	कुल
शाला में प्रवेशित शाला में	2664	17003	11582	8564	40050	21435	2741	4766	275	121	12028	121229
अप्रवेशित कुल	386	1153	1110	752	4356	2935	1063	2076	30	19	175	14055
सीडबल्युएसएन	3050	18156	12692	9316	44406	24370	3804	6842	305	140	12203	135284

सीएसडबल्युएन की कुल संख्या :

क्रम	जिला		विकलांगता										CWSN
		टीबी	एलवी	एचआई	एसआई	एमआर	ओएच	सीपी	एलडी	एमडी	एएसडी	एलएपी	की कुल संख्या
1	अहमदाबाद	59	622	434	314	1537	863	147	373	299	10	5	4663
2	अमरेली	71	408	311	227	1132	577	92	319	173	8	3	3321
3	आणंद	248	1149	693	522	2314	1403	196	677	278	14	8	7502
4	बनासकाँठा	121	1424	743	574	2567	1556	205	831	260	16	9	8306
5	भरुच	82	644	469	342	1608	980	168	406	335	11	5	5050
6	भावनगर	147	838	593	448	2117	1234	203	611	403	14	7	6615
7	दाहोद	181	852	495	369	1626	949	129	494	125	10	5	5235
8	डाँग	80	148	276	188	1098	463	78	266	146	7	2	2752
9	गांधीनगर	53	497	315	225	1035	591	97	283	166	6	4	3272
10	जामनगर	61	592	391	289	1345	763	125	401	267	9	4	4247
11	जूनागढ़	114	652	531	392	1942	1050	163	502	331	14	6	5697
12	खेड़ा	126	756	514	391	1803	1035	146	571	296	13	6	5657
13	कच्छ	64	472	391	284	1426	734	116	365	249	11	5	4117
14	महेसाणा	122	377	351	258	1297	662	111	360	236	11	4	3789
15	नर्मदा	31	466	262	184	881	431	81	229	106	5	2	2678
16	नवसारी	21	159	142	92	466	196	36	117	78	3	1	1311
17	पंचमहाल	216	1112	605	445	2010	1094	136	620	195	12	7	6452
18	पाटण	71	493	313	225	993	604	85	296	136	6	3	3225
19	पोरबंदर	54	142	151	97	512	211	48	115	101	4	1	1436
20	राजकोट	48	417	377	274	1386	737	113	348	242	12	5	3959
21	साबरकाँठा	149	725	582	435	2065	1170	170	565	365	18	7	6251
22	सुरत	53	850	449	333	1441	893	118	442	131	9	5	4724
23	सुरेन्द्रनगर	141	611	447	328	1499	877	135	419	273	12	5	4747
24	तापी	119	994	659	494	2293	1333	207	624	400	16	8	7147
25	वड़ोदरा	42	399	257	179	861	439	81	220	136	5	3	2622
26	वलसाड़	12	304	187	127	595	289	47	166	83	3	1	1814
27	एएमसी	308	1107	907	673	3464	1767	366	768	713	25	10	10108
28	आरएमसी	109	67	229	161	930	382	53	217	108	8	2	2266
29	एसएमसी	60	782	418	309	1383	782	107	412	118	8	5	4384
30	वीएमसी	87	97	200	137	780	305	45	186	93	5	2	1937
कुल		**3050**	**18156**	**12692**	**9316**	**44406**	**24370**	**3804**	**12203**	**6842**	**305**	**140**	**135284**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

शाला में भर्ती विकलांग बच्चे :

सन् २०१२-१३ में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार ६ से १८ वर्ष की आयु के १,२१,२२९ बच्चों को गुजरात के सभी जिलों में स्थित शाला में भर्ती करवाया गया।

सीडबल्युएसएन की संख्या (शाला में भर्ती)

क्रम	जिला	विकलांगता											CWSN की कुल संख्या
		टीबी	एलवी	एचआई	एसआई	एमआर	ओएच	सीपी	एलडी	एमडी	एएसडी	एलएपी	
1	अहमदाबाद	33	544	360	264	1246	667	76	361	160	8	4	3723
2	अमरेली	61	379	283	208	1022	503	65	315	121	7	3	2967
3	आणंद	230	1100	646	490	2129	1278	151	670	190	13	7	6904
4	बनासकाँठा	108	1386	707	549	2422	1458	170	825	191	15	8	7839
5	भरुच	55	563	391	289	1303	775	94	394	190	9	4	4067
6	भावनगर	120	759	517	396	1819	1033	130	599	261	12	6	5652
7	दाहोद	177	839	482	360	1576	915	117	492	101	10	5	5074
8	डाँग	73	126	255	174	1015	407	57	263	107	6	2	2485
9	गांधीनगर	42	464	283	203	909	506	66	278	106	5	3	2865
10	जामनगर	47	550	350	261	1185	655	86	395	190	8	3	3730
11	जूनागढ़	97	602	483	361	1754	923	117	494	241	13	5	5090
12	खेड़ा	118	731	490	374	1707	970	123	567	250	12	6	5348
13	कच्छ	53	439	359	263	1300	649	85	360	189	10	4	3711
14	महेसाणा	110	340	316	235	1159	569	77	354	170	10	3	3343
15	नर्मदा	21	436	233	164	767	354	53	224	51	4	2	2309
16	नवसारी	18	149	132	85	428	171	27	115	60	3	1	1189
17	पंचमहाल	214	1106	600	441	1989	1080	131	619	185	12	7	6384
18	पाटण	65	476	296	214	929	560	69	293	105	6	3	3016
19	पोरबंदर	46	119	129	82	425	152	27	112	59	3	1	1155
20	राजकोट	36	383	344	252	1256	650	81	343	180	11	4	3540
21	साबरकाँठा	136	685	544	409	1915	1069	133	559	294	17	6	5767
22	सुरत	48	835	434	323	1384	855	104	440	104	9	4	4540
23	सुरेन्द्रनगर	128	571	408	302	1347	775	98	413	201	10	4	4257
24	तापी	97	927	595	450	2040	1163	145	614	280	14	7	6332
25	वड़ोदरा	32	368	227	159	743	360	52	215	80	4	2	2242
26	वलसाड़	10	297	180	122	565	270	40	165	70	3	1	1723
27	एएमसी	238	898	706	537	2676	1236	174	736	337	20	7	7565
28	आरएमसी	108	64	226	159	921	375	51	217	103	8	2	2234
29	एसएमसी	57	772	408	302	1344	756	98	410	100	8	5	4260
30	वीएमसी	86	95	198	136	775	301	44	186	90	5	2	1918
कुल		2664	17003	11582	8564	40050	21435	2741	12028	4766	275	121	121229

मूल्यांकन शिविर :

राज्यभर के सामाजिक सुरक्षा विभाग, सिविल अस्पताल / चिकित्सक की सहायता से ब्लॉक स्तर पर सीडबल्युएसएन के मूल्यांकन तथा चिकित्सीय - प्रमाणपत्र शिविरों का आयोजन किया गया।

साधन एवं उपकरण :

विकलांग बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार साधन एवं उपकरण प्रदान किए गए। सभी जिलों में कुल ६०९० साधन एवं उपकरण प्रदान किए गए।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

क्रम	जिला	कुल
1	अहमदाबाद	414
2	अमरेली	146
3	आणंद	204
4	बनासकाँठा	600
5	भरुच	111
6	भावनगर	95
7	दाहोद	77
8	डाँग	142
9	गांधीनगर	160
10	जामनगर	187
11	जूनागढ़	241
12	खेड़ा	215
13	कच्छ	125
14	महेसाणा	315
15	नर्मदा	28
16	नवसारी	147
17	पंचमहाल	281
18	पाटण	79
19	पोरबंदर	64
20	राजकोट	195
21	साबरकाँठा	398
22	सुरत	439
23	सुरेन्द्रनगर	231
24	वड़ोदरा	181
25	वलसाड़	46
26	एएमसी	430
27	आरएमसी	79
28	एसएमसी	298
29	वीएमसी	28
30	तापी	134
	कुल	**6090**

आईईडी पर प्रशिक्षण :

आईईडी के तहत निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया :

- राज्यभर में वर्गशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें २८६९८ शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।
- राज्यभर में अभिभावकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें ५६०८ अभिभावकों को प्रशिक्षित किया गया।

बाधा रहित पहुँच :

एसएसए के तहत निर्मित सभी शालाओं में रेम्प व रेलिंग की सुविधा प्रदान की गई। कुल ३३,०७१ शालाओं को रेम्प व रेलिंग की सुविधा से सज्ज किया गया।

ध्वज दिन एवं विश्व विकलांगता दिवस :

गुजरात में ब्लॉक, क्लस्टर तथा शाला स्तर पर १४ सितम्बर २०१२ को अंध-ध्वज दिन के तौर पर मनाया गया। इस उत्सव का हेतु विशेष आवश्यक्तावाले बच्चों की शिक्षा में आती बाधाओं के बारे में जागरुकता फैलाना था। एक सप्ताह तक चलनेवाले इस उत्सव में विज्ञापन, रेली, नाटक, गीत, कविताएँ, ब्रेइल लिपि में पठन व लेखन इत्यादि संबंधित प्रतियोगिता का आयोजन कर उन्हें बढ़ावा दिया गया। सभी जिलों में ३ दिसम्बर २०१२ को विश्व विकलांगता दिवस मनाया गया।

ग्रीष्म एवं दिवाली शिविर :

वेकेशन के दौरान ३ से ५ दिन तक चलनेवाली ग्रीष्म व दिवाली निवासी शिविरों में १२५४४ सी.डबल्यु.एस.एन. ने हिस्सा लिया। इस शिविर के दौरान कला, हस्तकला, चित्रकला, खेल, योग, प्रवास इत्यादि जैसी प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हेतुओं से की गई :

- सी.डबल्यु.एस.एन. को स्वावलंबी बनाना
- सी.डबल्यु.एस.एन. को दैनिक जीवन कौशल्य सीखने में सहायता करना
- सी.डबल्यु.एस.एन. की सर्जनात्मकता को विकसित करना
- अच्छी आदतों को तथा व्यावसायिक, एडीएल जैसे विविध कौशल्यों को विकसित करना
- सामाजिक, शारीरिक व भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

प्रदर्शन दौरे :

अभिभावकों, सी.डबल्यु.एस.एन. तथा समकक्षों में सीडबल्युएसएन की शिक्षा के विषय में जागरुकता फैलाने व उन्हें सी.डबल्यु.एस.एन.के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु जिला स्तर पर प्रदर्शन दौरों का आयोजन किया गया।

संसाधन कक्ष :

राज्यभर में संसाधन कक्ष चल रहे हैं। विशेषज्ञों द्वारा सीडबल्युएसएन को उनकी आवश्यकतानुसार विशेष सहायता प्रदान की जा रही है। विशेष आवश्यकतावाले बच्चों के लिए ब्लॉक स्तर पर ८३९ संसाधन कक्ष विकसित किए गए हैं, जोकि समूह श्रवण व्यवस्था (जीएचएस), वीआई किट, एमआर किट, स्वीच किट से सुसज्ज हैं। विशेष आवश्यकतावाले बच्चे एक महिने में तीन से चार बार यहाँ आते हैं और सभी उपकरणों का उपयोग करते हैं। संसाधन कक्ष सी.डबल्यु.एस.एन. के लिए सही मायनों में लाभप्रद हैं।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 7

संचार माध्यम और प्रलेखीकरण

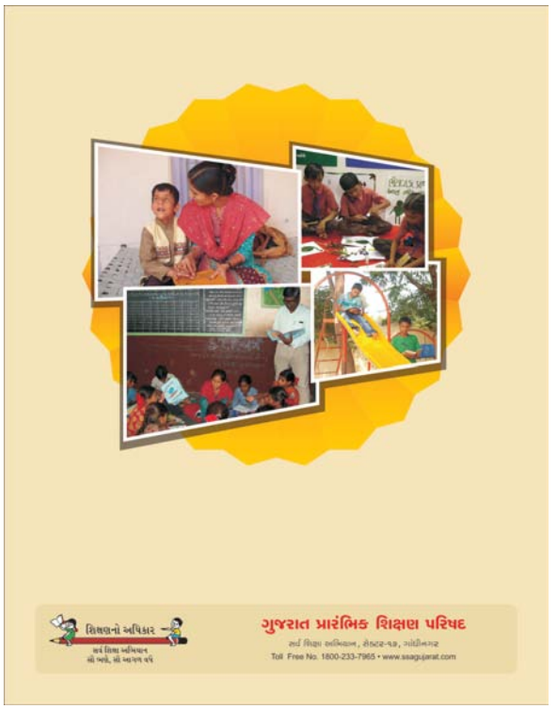

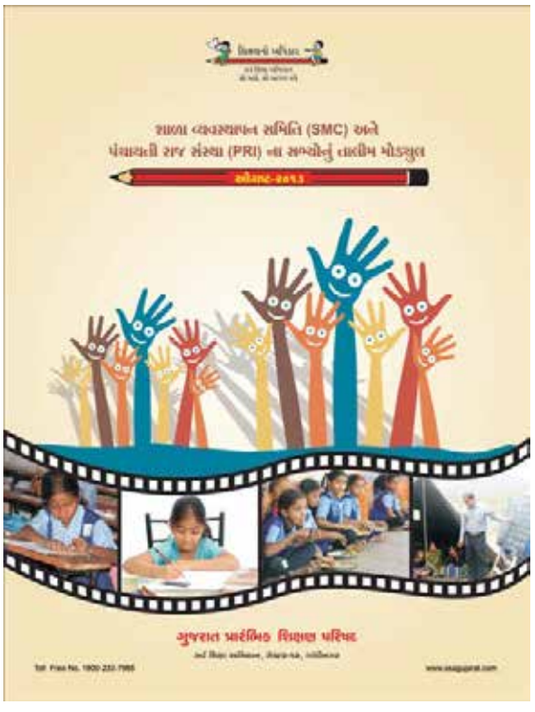

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 7

संचार माध्यम और प्रलेखीकरण

आरटीई एक्ट के बाद प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए सार्वजनिक जागरुकता अभियान चलाया गया। एसएसए ने समुदायों में काफ़ी सद्भावना पैदा की है और सीधे रूप से जमीनी स्तर पर उनकी सहभागिता भी प्राप्त की है। इसके कारण सभी स्तर पर परियोजना के पदाधिकारीयों में अत्याधिक आत्मविश्वास जगा है।

प्रलेखीकरण :

वर्ष के दौरान राज्य संचार व प्रलेखीकरण द्वारा निम्नलिखित प्रलेखनों व प्रकाशनों को तैयार किया गया :

१. **आईईसी साधन का विकास व प्रसार :**

आरटीई के विषय में राज्य स्तर पर पुस्तिकाएँ, पर्चे, केलेन्डर सहित के सूचना शिक्षा संचार साधन विकसित किए गए। इसके उपरांत एसएसए, गुजरात के द्वारा प्रवृतियाँ भी हाथ धरी गई। समाज में जागरुकता लाने के लिए एसएमसी सदस्यों में इन साधनों को वितरित किया गया।

२. **विज्ञापनों का प्रदर्शन :**

शाला स्तर पर, सीआरसी, एसटीपी, केजीबीवी, डायट तथा डीपीसी पर किए गए।

३. **टीवी विज्ञापन :**

एसएसए के घटकों पर टीवी विज्ञापन, स्पोट व वृत्तचित्र को विकसित किया गया और गुजरात के प्रादेशिक चेनल डीडी गिरनार पर प्रसारित किया गया।

४. **रेडियो विज्ञापन :** राज्य के कुछ खानाबदोश समूहों तक पहुँचने के लिए ऑल इन्डिया रेडियो द्वारा रेडियो विज्ञापन स्पॉट विकसित किया गया। एसएसए के पदाधिकारियों के साथ बातचीत के अलावा शिक्षा मंत्री तथा प्राथमिक शिक्षा सचिव और राज्य में आरटीई एक्ट के कार्यान्वयन के विषय में एसएसए के अध्यक्ष के साथ बातचीत का आयोजन किया गया।

५. **बसों में साईड व बेक पेनल :** आरटीई एक्ट जागरुकता व शाला प्रवेशोत्सव के विषय में जीएसआरटीसी की २२५० बसों के साईड व बेक पेनल को विकसित किया गया। प्रचार के भागरूप एसएसए के विषय में वर्तमानपत्रों में विज्ञापन दिए गए। टोल फ्री नंबर, गुणोत्सव, डीआईएसई फोर्म सूचना इत्यादि जैसी गुजरात की अभिनव प्रवृत्तियों के बारे में सूचना तथा सूचना विभाग को दी गई प्रेस नोट को उनकी प्राथमिकता के आधार पर वर्तमानपत्रों में नि:शुल्क रूप से प्रकाशित करने के लिए फैलाया जाएगा। इस प्रेस नोट में प्राथमिक शिक्षा में १००% भर्ती के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जानेवाली विविध प्रवृत्तियों और उठाए गए कदमों के बारे में सूचना दी गई थी।

६. **वितरण पुस्तिका का प्रकाशन व वितरण :**

इस पुस्तिका में आरटीई एक्ट की प्रमुख विशेषताओं, ज्ञानशक्ति व एसएसए के अंशों से संबंधित विषयों को समाविष्ट किया गया है। एसएमसी / शाला, बीआरसी, सीआरसी, जिला, डायेट इत्यादि जगहों पर वितरण पुस्तिकाओं को वितरित किया गया।

७. **कैलेन्डर :**

शाला, सीआरसी, बीआरसी, युआरसी तथा एसटीपी स्तर पर कैलेन्डरों को वितरित किया गया तथा इस लिए ३.४८ लाख केलेन्डरों को तैयार किया गया।

८. **समुदाय मेला :**

ग्रामीण मेला की सहायता स मुदाय के सदस्य शाला प्रवृत्तियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित होंगे । मेले के दौरान खेल प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वक्तृत्व स्पर्धा; सामुदायिक नेताओं तथा सदस्यों एवं अभिभावकों के साथ मुक्त चर्चा, शाला में अप्रवेशित बच्चों तथा विशेष आवश्यकतावाले बच्चों के स्वागत और शैक्षिक आनंद मेले जैसी प्रवृत्तियाँ की गई।

९. **ऑल इन्डिया रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम :**

रेडियो स्पोट कार्यक्रम की अवधि १५ मिनट की थी, जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, एसएसए के निदेशक द्वारा दिए गए भाषण का समावेश हुआ । साथ-साथ इसमें एसएसए के समन्वयकों के साथ प्रश्नोत्तर तथा शाला के प्रधानाध्यापकों की शिक्षकों व विद्यार्थीयों के साथ पारस्परिक चर्चा को भी समाविट किया गया। कुल २० कार्यक्रम तैयार किए जाएँगे।

१०. **डीडी गिरनार प्रादेशिक चैनल के द्वारा टीवी कार्यक्रम :**

वृत्तिचत्र का निर्माण तथा उसका प्रसारण। ३० मिनट के १० कार्यक्रम तैयार किए जाएँगे। आरटीई एक्ट तथा एस.एस.ए. के भाग पर वृत्तिचत्र। वृत्तिचत्र तैयार होने के बाद उसे ब्लोक को वितरित किया जाएगा।

११. **टीवी तथा रेडियो जिंगल :**

शाला प्रवेशोत्सव व आरटीई एक्ट पर २ जिंगल्स बनाए गए। प्रादेशिक टीवी चैनल गिरनार, निजी चैनलो तथा ऑल इन्डिया रेडियो पर इसे प्रसारित किया गया।

१२. **शाला व क्लस्टर स्तर पर शिक्षा दिवस का उत्सव :**

इसमें विद्यार्थी, एस.एम.सी. सदस्य, शिक्षक, ग्रामीण पंचायत सदस्य तथा ग्रामीण स्तर डेयरी संघ विभागोंने भाग लिया। प्राथमकि शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी से संबंधित विविध समस्याओं पर चर्चा एवं प्रतियोगिता के विषय में चर्चा हुई।

१३. **परियोजना पदाधिकारियों के कौशल्य** विकास के लिए विडियो कोन्फ़रन्स एवं टेलिकोन्फ़रन्स बहुत असरकारक साबित हुई हैं। इस टेलिकोन्फ़रन्सीज का निर्माण एस.एस.ए. के विविध विभागों द्वारा किया गया।

१४. **केजीबीवी, सिविल तथा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर टीवी कार्यक्रम ।**

१५. **बीआरटीएस तथा सीटी बस शेल्टर :**

प्रचार के भाग रूप अहमदाबाद के शहरी विस्तार के बीआरटीएस तथा निगम के सीटी बस शेल्टर का विज्ञापन देने के लिए उपयोग किया गया।

१६. **विज्ञापन पट्ट एवं विज्ञापनों द्वारा जनसादवरण में जागरूकता लाने के प्रयास किए गए।**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय–8

प्रबंधन सूचना प्रणाली

अध्याय-8

प्रबंधन सूचना प्रणाली

प्रबंधन सूचना प्रणाली

चूंकि गुणवत्ता ही सर्वे शिक्षा अभियान का प्रमुख मुद्दा एवं उद्देश्यों में से एक रहा है इसलिए निगरानी और भी जरुरी हो जाती है। अत: यह भी जरुरी हो जाता है कि सभी शालाओं के दौरे कर के गुणवत्ता सूचक समयांतर पर एकत्रित किए जाए, नवीनतम बदलाव एवं जांच तथा विश्लेषण किया जाए ताकि एसएसए के हेतुओं की प्राप्ति / सिद्धि संभव हो सके।

कार्यक्रम के हेतुओं की जरुरतों के लिए, डायस (जिला शिक्षण सूचना प्रणाली) २००३-०४ से अस्तित्व में है। डायस आधारभूत शैक्षणिक आंकडे मुहैया / उपलब्ध कराता है, जिससे शैक्षणिक सूचनांको / सूचकों की प्राप्ति में मदद मिलती है। खास सूचकों पर मिली जानकारी से आयोजकी एवं कार्यकर्ताओं / क्रियान्वयकों को कार्यक्रम की विभिन्न स्तरों पर असर एवं दस्तक्षेप की पडताल / जांच एवं मूल्यांकन में बहुत मदद मिलती है।

वर्ष २०१२-२०१३ से, डायस बदलकर यू-डायस (एकीकृत डायस) हो गया जिसमें माध्यमिक शालाएँ भी सम्मिलित हो गई। एसई - एमआईएस सर्वेक्षण को खत्म कर यू-डायस में मिला दिगा गया अब शाला स्तरीय सभी सूचनाएँ/ जानकारियां यू-डायस कक्षा। से १२ अंतर्गत एकत्तित की जाएगी।

प्रबंधन सूचना प्रणाली की इकाई राज्य परियोजना कार्यलय (एसपीओ) तथा जिला परियोजना कार्यलयों (सभी जिलों) में पर्याप्त श्रम-शक्ति / मानवदल एवं बुनियादी ढांचें के साथ पूरी तरह से क्रियाशील हो चुकी हैं।

एमआईएस २०१२-१३ में :

- वर्ष २०१२-१३ के सभी जिलों के डायस आंकडे भारत सरकार को भेजे जा चुके है, तथा कार्यक्रम की राज्य, जिला एवं ब्लोक स्तरीय क्रियाशील इकाईयों में इसका सहभाजन भी हुआ।
- जन वांचन - एक खास प्रसंग / घटना जिसमें सी.आर.सी. सभी एस.एम.सी. - सदस्यो तथा शाला कर्मियों एवं ग्रामजनों के साथ शाला विशेष की जानकारी बांटते हैं। डायस द्वारा शाला प्रगति पत्र तैयार कर, वितरित किए जाते है।
- पूरे राज्य के सभी छात्रों की संपूर्ण जानकारी का आंकडाकीय आधार, आधार-डायस के रुप में क्रियान्वयन
- एसएसए हेतु वार्षिक कार्य योजना तथा बजट का निर्माण
- वेब-आधारित ओन-लाईन भर्ती/आवेदन प्रक्रिया
- शाला से बाहर के बच्चों के लिए ओन-लाईन सोफटवेर पर
- सीडब्ल्यूएसएन बालकों के आंकडो हेतु ओन-लाईन सोफ्टवेअर
- वेबसाईट का ओनलाईन नवीनीकरण / अपडेशन
- विविध सूचनांको / सूचको पर आंकडे मुहैया / उपलब्ध कराना

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

कम्प्युटर की मदद से अध्ययन कार्यक्रम

– प्रारंभिक स्तर पर कम्प्युटर की मदद से अध्ययन कार्यक्रम पर राज्य सरकारने खास तौर से बहुत ध्यान केंद्रित रखा है। राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक शालाओं में कम्प्युटर शालाएँ प्रदान की गई जिससे बच्चें कम्प्युटरों का प्रयोग सीखें तथा अध्ययन में भी उनसे काम ले / मदद ले सके।

– कैल (कम्प्युटर एइडेड् लर्निंग) के मुख्य हेतु :

– बच्चों एवं शिक्षकों को कम्प्युटर से परिचित कराना

– कम्प्युटर द्वारा विभिन्न विषयों का शिक्षण

– कठिन बिन्दुओं हेतु शैक्षणिक सोफ्टवेअर का प्रयोग

– सरकारी शाला के विद्यार्थीओ खासतौर से ग्रामीण इलाकों के बच्चों को शहरी तथा आधुनिक उन्नत शाला विद्यार्थियों के समकक्ष लाना

– वर्ष २०१२ १३ तक, २०५०२ शालाओं को कम्प्युटर शाला सुविधा उपलब्ध कराई गई।

– अभ्यासक्रम आधारित कम्प्युटर कृत शैक्षणिक विषयवस्तु प्रत्येक शाला में उपलब्ध कराई गई।

– राज्य एवं जिला एमआईएस द्वारा कार्यक्रम की नगरानी की जाती है।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय-9

आयोजन एवं प्रबंधन

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय-9

आयोजन एवं प्रबंधन

आयोजन एवं प्रबंधन / अनुसंधान एवं मूल्यांकन विभाग :-

वर्ष २०१२-१३ के बजट तथा वार्षिक कार्य योजना की तैयारी

वर्ष २०१२-१३ के बजद तथा वार्षिक कार्य योजनाएँ ग्रामीण समुदाय स्तर से लेकर सभी संस्चनाओं को सम्मिलित कर भागीदारी की प्रक्रिया से किया गया। सूक्ष्म आयोजन प्रयासों एवं विविध अध्ययन (जिला व ब्लोक स्तरो पर) के निष्कर्षों को ध्यान मे रखकर ये योजनाए बनाई गई थी। नीति-निर्माण में ईएमआईएस २०१२-१३ के आंकडो को भी प्रयोग में लाया गया।

आयोजन एवं प्रबंधन (पी एन्ड एम) की मुख्य पहल / उपक्रम :

गुजरात में आरंभिक शिक्षण के साधारणीकरण एवं सार्वत्रीकरण के लिए निम्न मुख्य उपक्रमो / पहलों के अनुसार ही वर्ष २०१२-१३ के बजट तथा एसएसए के वार्षिक कार्य आयोजन को तैयार किया गया :-

- एसएसए गुजरात ने प्राथमिक शालाओं के गुणवत्ता निगरानी के उपकरण/ साधनों को बदला है। नई निगरानी व्यवस्था जल्ह ही अच्छे परिणाम देगी। यह अन्य राज्यों के लिए आदर्श भी हो सकती है।
- समुदाय / समाज के सदयोग एवं भागीदारी पर प्रकाश डालने के लिए, सभी जिलों में जागरुकता अभियानों को अधिक जुझारु तरीके से किए गए। पिछले अनुभवों के आधार पर संघटन की नीतियों में और अधिक निखार भाषा लाया गया स्थायीकरण एवं गुणवत्ता सुधार इस वर्ष के वार्षिक आयोजन के केन्द्र में रहे।
- डायद एवं जीसीईआरटी के दैनिक प्रशिक्षकों के अलावा विषय वस्तु आधारित शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षणशास्त्र के सुधारों पर एक नजर इस साल के केन्द्रबिन्दु / केन्द्रित विषय रहे।
- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मजबूती के लिए, डायदा, बीआरसी तथा सीआरसी की क्षमता निर्माण पर भी भार दिया गया।
- भवनों की मरम्मत के बाद, जनसाधारण कार्यों का ध्यान अध्ययन सहायक रुप में भवनों (बाला) के दृष्टिकोण से भवनो एवं वर्गण्डों के निर्माण पर रहा।

निगरानी एवं पर्यवेक्षण :

- एसएसए गुजरात, जिला, ब्लोक एवं क्लस्टर स्तर पर प्राथमिक शालाओं की निरंतर निगरानी के महत्त्व एवं जरुरतों से भली भाँति अवगत है। वर्ष २०१२-१३ से एसएसए गुजरात द्वारा ओन लाईन निगरानी व्यवस्था का निर्माण एक प्राधिकारी द्वारा तैयार कर के किया गया है। एक प्राधिकारी किसी भी स्थान से गुजरात के प्राथमिक शाला पर नजर रख सकता है, कि यह कैसे निगरानी में है ? यह व्यवस्था इस समय शुरुआती चरण में है तथा समयांतर पर समीक्षा बैठको द्वारा कमियों को दूर किया जा रहा है। शालाओं में एसएसए द्वारा निगरानी एवं पर्यवेक्षण पर शाला स्तर पर एसएसएसी सदस्यों को भी दिशानिर्देश / संपूर्ण जानकारी दी गई।

इस प्रकार से, एसएसए गुजरात ने क्यू. एम.टी बदले है। यह नई निगरानी व्यवस्था जल्द ही अच्छे परिणाम देगी। यह अन्य राज्यो हेतु आदर्श रुप भी साबित हो सकती है।

शिक्षा हेतु क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान :-

एमएचआरडी, नई दिल्ही द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन परर निगारानी एवं पर्यविक्षण का भार/कार्य सरदार पटेल सामाजिक एवं आर्थिक अनुसंधान संस्थान (एसपीआईएसईआर), अहमदाबाद तथा शिक्षण में उन्नत / अग्रवर्ती अध्ययन केन्द्र (सीएएसई), जिलों में क्षेत्रीय दौर करते हैं तथा विवरण रिपोर्ट भारत सरकार को जमा कराते हैं।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अनुसंधान एवं मूल्यांकन :-

अनुसंधान ग्रान्टो का राज्य के सभी जिला परियोजना सदस्य समन्वयकों में विस्तरण किया जा चुका है। क्रियात्मक अनुसंधान पर सभी सीआरसी तथा आरसी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्राप्त जानकारी अनुसार, वर्ष २०१२-१३ में १९०४ क्रियात्मक/ कार्रवाई अनुसंधान, तथा ४७ अनुसंधानात्मक अध्ययन किए गए हैं।

एसएसए अंतर्गत अनुसंधानात्मक अध्ययनों की भूमिका -

एसएसए क्रियान्वयन में अनुसंधानों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। एसएसए अंतर्गत, विभिन्न उद्देश्यों से राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर विविध अध्ययन किए गए जैसे कि, विविध सदणों / निविष्टो के प्रभाव की प्रतिपुष्टि, क्रियान्वयन की समस्याओं पर प्रकाश एवं हस्तक्षेपी में बदलाव के सुझाव देना जिनसे वे अधिक प्रभावशाली बनें।

वर्ष २०१२- १३ में राज्य स्तर पर निम्न तीन अनुसंधान किए गए :-

(१) विद्यार्थियों के शैक्षणिक सिद्धि के नियमितता एवं स्थायीकरण में परिवहन / अनुरक्षण का प्रभाव

(२) गुणोत्सव दौरान उँचे तथा निम्न ग्रेड प्राप्त प्राथमिक शालाओं में तुलनात्मक अध्ययन

(३) गुणोत्सव कार्यक्रम का कक्षा शिक्षण पर प्रभाव पर अध्ययन।

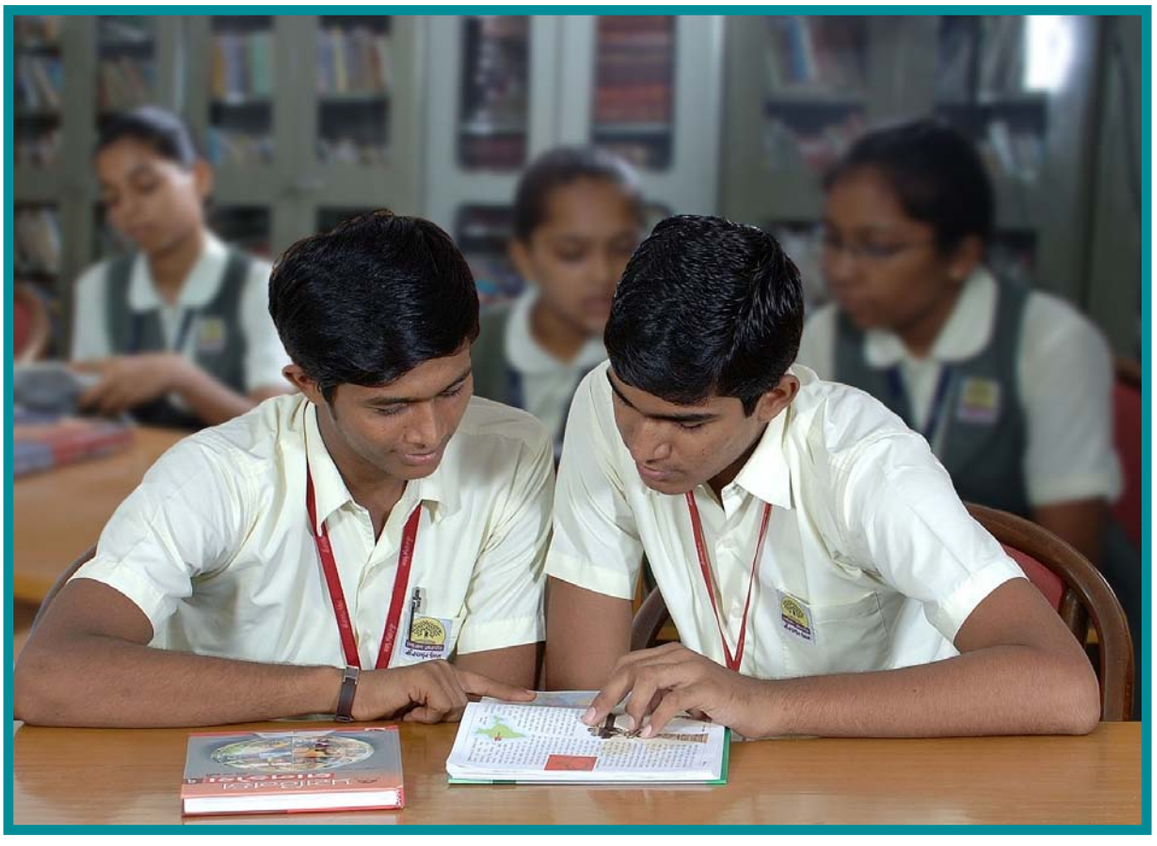

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 10

निर्माण – कार्य

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 10

निर्माण – कार्य

परिचय :

सर्व सिक्षा अभियान तहत स्कूल के बुनियादी सुविधाओं के घटक महत्वपूर्ण है। स्कूल के बुनियादी ढाँचे के प्रावधान के लिए आरटीई अधिनियम की दृष्टि के अनुसार उनके प्रतिधारण में और बच्चों के लिए उपयोग में भी मदद करता है। जिनमें से दोनों सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उप जिला स्तर पर संसाधन केन्द्रों के लिए बुनियादी ढांचे के प्रावधान शैक्षिक समर्थन बनाने में मदद करता है, जो गुणवत्ता में सुधार की दिशा में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

स्कूल की ईमारत सभी बच्चों और शिक्षकों के लिए आसान उपयोग सुनिश्चित करने के लिए है और यह करने के लिए अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील समझ के साथ बनाया जा सकता है।

आरटीई अधिनियम अनुसूची अंतर्गत स्कूल की ईमारत के लिए मानदंड और मानक दिए गये हैं। स्कूल की ईमारत में सभी मौसम के लिए हर शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा शामिल हो और कार्यालय स्टोर सह, हेड टीचर का कमरा, स्वतंत्र उपयोग बैरियर, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय, सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की सुविधा, स्कूल की ईमारत को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्रीवोल की व्यवस्था, मध्याहन भोजन योजना तहत खाना पकाने के लिए एक रसोई, एक खेल का मैदान, खेल के लिए उपकरण, पुस्तकालय और टीएलएम।

प्रवृत्तियाँ :

सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि गई स्कूल संबंधित विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रकार निम्न अनुसार हैं।

- बीआरसी भवन एवं सीआरसी बिल्डिग का निर्माण
- प्राथमिक / उच्च प्राथमिक बिद्यालय का निर्माण
- अतिरिक्त कक्षा प्राथमिक बिद्यालय का निर्माण
- प्रधानाध्यापक कक्ष
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय
- चारदीवारी (बाउंड्रीवोल)
- प्रमुख मरम्मत एवं स्कूल भवन रिट्रोफिटिंग

- **डिज़ाइन**

विभिन्न गतिविधियों के वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए इन हाउस वास्तुकार के माध्यम से किया जाना है और वास्तु – सहायक राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा भर्ती किया गया था। डिजाइन में भूकंप और चक्रवात प्रतिरोधी घटकों को भी शामिल किया गया।

विकसित कक्षाओं के डिजाइन बच्चे केंद्रित है यह डिज़ाइन शारीरीक रूप से विकलांग बच्चों के उपयोग के लिए भी सरलता प्रदान करता है। शौचालय ब्लॉकों का निर्माण भी सी.डब्ल्यू.एस.एन. को सुविधा प्रदान करता है। सभी नए निर्माण और मरम्मत के काम करने में बच्चे के अनुकूल आंतरिक और बाहरी तत्वों का समावेश अनिवार्य रहा।

- **कार्यान्वयन एजेंसी :**

विभिन्न सिवील कार्य के निर्माण स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के माध्यम से किया जाता है। समिति सीधे स्थानीय मजदूरों, खरीद सामग्री और निर्माण कार्य कराती है। इस तरह समुदाय के माध्यम से निर्माण एक बड़ी हद तक स्वामित्व (मालिकी) की भावना उत्पन्न करता है। इस का उद्देश्य गाँव में प्राथमिक शिक्षा के सर्वांगीण विकास में समुदाय को शामिल करने का है। तकनीकी ड्राइंग और अनुमान के साथ एस.एम.सी. की सहायता के लिए और गुणवत्ता पर्यवेक्षण के लिए तकनीकी रूप से योग्य कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर रखी गई है।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

- **एसएमसी को प्रशिक्षण :**

स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों को निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण दिए गए है। काम के आरंभ से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है और इस तरह काम निर्माण के मध्य चरण में पहुंच जाता है।

- **निगरानी (मॉनिटरिंग), पर्यवेक्षण और गुणवत्ता आश्वासन :**

– राज्य में अनुबंधके आधार पर इंजीनियरों की भर्ती की गई और वे निगरानी एवं पर्यवेक्षण के काम के लिए ब्लॉक स्तर पर तैनात है। इंजीनियर स्कूल प्रबंधन समिति को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

– जिला स्तर पर तैनात जिला परियोजना इंजीनियर पूरे जिले के काम को देख रहे है। वह काम की समीक्षा और प्रगति की निगरानी करने के लिए जिले में काम कर रहे ब्लॉकों के सभी इंजीनियरों की साप्ताहिक बैठक का आयोजन करते हैं।

– पूरे राज्य की प्रगति की समीक्षा और निगरानी के लिए, सभी जिला परियोजना इंजीनियरों की मासिक बैठक राज्य स्तर पर आयोजित कि जाती है। सिविल कार्य से संबंधित मुद्दों का मासिक बैठक में समाधान किया जाता है।

– काम की गुणवत्ता में निष्पादित जांच करने के लिए जिला परियोजना इंजीनियर द्वारा चल रहे काम के स्थलों की अक्सर मुलाकात ली जाती है।

– वास्तु – सहायक WSDP के लिए जिला स्तर पर तैनाती की गई है।

– तकनीकी संसाधन व्यक्ति को ब्लॉक स्तर पर तैनात किया गया है जौ स्कूल में किए गए निर्माण गतिविधियों को देखेगा, हर 40 से 50 साइट के लिए एक टीआरपी पोस्ट किया जाता है।

– जिनके द्वारा काम के स्थलों की अक्सर मुलाकात ली जाती है। उनके काम की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और उन्हे सुझाव देने के लिए राज्य द्वारा सहायक इंजीनियर के साथ गठित निगरानी (मॉनिटरिंग) सेल बनाया गया है।

- **सिविल वर्क्स के बाहरी मूल्यांकन (3rd पार्टी) :**

– तकनीकी लेखा और गुणवत्ता आश्वासन के सिविल काम की सेवाओं के लिए पेशेवर सलाहकार को अपनाया गया है। सलाहकार निगरानी द्वारा अक्सर काम के दौरान प्रगति के तहत निर्माण कार्य को प्राप्त करने के लिए इस परियोजना में गुणवत्ता के मानक निर्धारित किए गए। यदि कोई विसंगति / त्रुटि हो तो किसी भी 3 पार्टी सलाहकार द्वारा अपने सुझाव और उपचारात्मक दोषों को सुधारने के उपायों के साथ बताया जाता है।

– सलाहकार निर्माण सामग्री, एस.एम.सी. रिपोर्ट और इंजीनियरों की (क्षेत्र व प्रयोगशाला) भी स्वतंत्र जांच कर सकते हैं।

– काम के पूरा हो जाने पर सलाहकार समापन प्रमाण पत्र जारी करते हैं।

- **वर्ष 2012-13 में इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम :**

– सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्ष 2012-13 के लिए विभिन्न बुनियादी गतिविधियों के विस्तार की स्थिति नीचे दी गई है :–

गतिविधि के नाम	कुल योजनाएँ	पूर्ण		प्रगति पर हैं	
		कार्यो की संख्या	प्रतिशतता	कार्यो की संख्या	प्रतिशतता
अतिरिक्त कक्षा	14979	13412	89.53	1567	10.46
लड़कों के शौचालय ब्लॉकों	1770	1597	90.22	173	9.77
लड़कियों के शौचालय ब्लॉकों	7891	7075	89.65	816	10.34
स्कूल की इमारत की बड़ी मेजर मरम्मत	1281	1257	98.12	24	1.87
परिसर की दीवार	2162	2146	99.25	16	0.74
हेड मास्टर कक्ष	1597	1432	89.66	165	10.33

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अतिरिक्त कक्षा :

अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस वर्ष के दौरान किए गए। 14 लक्षित अतिरिक्त कक्षाओं, कुल 3421 पहले से ही पूरा किया गया है, जबकि 1567 कक्षाओं का कार्य प्रगति में था।

जिले वार विवरण निम्नानुसार हैं :

नं.	ज़िला	अतिरिक्त कक्षाएँ		
		लक्षित	प्रगति पर हैं	पूर्ण
1	अहमदाबाद	791	208	579
2	अहमदाबाद कॉर्पोरेशन	34	8	26
3	अमरेली	400	20	380
4	आणँद	525	10	515
5	बनासकाँठा	1025	163	862
6	भरूच	386	33	353
7	भावनगर	745	229	516
8	दाहोद	970	35	935
9	ड़ांग	300	91	206
10	गांधीनगर	241	0	244
11	जामनगर	675	12	663
12	जूनागढ़	750	5	745
13	खेड़ा	710	48	662
14	कच्छ	830	29	801
15	महेसाणा	368	16	352
16	नर्मदा	344	58	286
17	नवसारी	246	40	206
18	पंचमहाल	902	105	797
19	पाटण	454	39	415
20	पोरबंदर	196	10	186
21	राजकोट	783	52	731
22	राजकोट कॉर्पोरेशन	3	0	0
23	साबरकांठा	930	62	868
24	सुरत	369	46	323
25	तापी	205	19	186
26	सुरेन्द्रनगर	580	71	509
27	वड़ोदरा	875	105	770
28	वलसाड़	342	43	299
	कुल	**14979**	**1567**	**13412**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

- **शौचालय ब्लॉक :**

इस वर्ष के दौरान 7891 लड़कियों के लिए और 1770 लड़कों के लिए टॉयलेट ब्लॉक के निर्माण का लक्ष्य किया गया था। जिसमें से 7075 लड़कियों के लिए ओर 1597 लड़कों के लिए टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण पूरा किया गया, जबकि 816 लड़कियों के लिए ओर 173 लड़कों के लिए टॉयलेट ब्लॉक का कार्य प्रगति पर है।

नं.	ज़िला	शौचालय ब्लॉक (कन्या)			शौचालय ब्लॉक (कुमार)		
		लक्षित	प्रगति पर हैं	पूर्ण	लक्षित	प्रगति पर हैं	पूर्ण
1	अहमदाबाद	466	115	351	155	29	126
2	अहमदाबाद कॉर्पोरेशन	100	65	35	100	66	34
3	अमरेली	350	23	327	63	2	61
4	आणँद	300	6	294	81	2	79
5	बनासकाँठा	625	63	562	91	4	87
6	भरूच	250	74	176	84	30	54
7	भावनगर	350	0	350	189	0	189
8	दाहोद	400	30	370	42	0	42
9	ड़ांग	154	72	82	0	0	0
10	गांधीनगर	110	7	103	47	1	46
11	जामनगर	472	63	409	34	0	34
12	जूनागढ़	270	0	270	134	0	134
13	खेडा़	300	21	279	59	7	52
14	कच्छ	270	5	265	141	2	139
15	महेसाणा	509	12	497	64	2	62
16	नर्मदा	79	13	66	6	1	5
17	नवसारी	75	4	71	16	0	16
18	पंचमहाल	300	57	243	38	2	36
19	पाटण	325	13	312	56	3	53
20	पोरबंदर	80	2	78	18	0	18
21	राजकोट	468	0	468	80	0	80
22	राजकोट कोर्पोरेशन	6	3	3	6	3	3
23	साबरकांठा	440	52	388	38	8	30
24	सुतर	150	19	131	24	5	19
25	तापी	129	19	110	16	1	15
26	सुरेन्द्रनगर	400	54	346	107	4	103
27	बड़ोदरा	211	11	200	33	0	33
28	बड़ोदरा कोर्पोरेशन	51	1	50	0	0	0
29	वलसाड़	251	12	239	48	1	47
	कुल	**7891**	**816**	**7075**	**1770**	**173**	**1597**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

- **प्रमुख मरम्मत :**

सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल की ईमारत के प्रमुख मरम्मत काम वर्ष के दौरान गिए गए। लक्षित 1281 प्रमुख मरम्मत कार्यों में से 1257 पूरे किए गए और 24 प्रगति में हैं।

क्रम. सं.	ज़िला	प्रमुख मरम्मत		
		लक्षित	पूर्ण	प्रगति पर हैं
1	अहमदाबाद	86	0	86
2	अहमदाबाद कोर्पोरेशन	4	0	4
3	अमरेली	58	0	58
4	आणँद	58	0	58
5	बनासकाँठा	34	2	32
6	भरूच	117	14	103
7	भावनगर	70	2	68
8	दाहोद	11	1	10
9	डांग	20	0	20
10	गांधीनगर	35	0	35
11	जामनगर	16	4	12
12	जूनागढ़	27	0	27
13	खेड़ा	84	0	84
14	महेसाणा	106	0	106
15	नर्मदा	10	0	10
16	नवसारी	56	0	56
17	पंचमहाल	33	0	33
18	पाटण	45	1	44
19	पोरबंदर	11	0	11
20	राजकोट	50	0	50
21	साबरकांठा	55	0	55
22	सुरत	104	0	104
23	तापी	56	0	56
24	सुरेन्द्रनगर	29	0	29
25	बड़ोदरा	55	0	55
26	वलसाड़	51	0	51
	कुल	**1281**	**24**	**1257**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

- **परिसर की दीवार :**

सर्व सिक्षा अभियान के तहत (कंपाउंड) स्कूल की ईमारत की चारदीवार का काम वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए थे। लक्षित 2162 कंपाउंड के बाहर की दीवार में से 2146 का काम पूरा हुआ और 16 कार्य प्रगति में हैं।

क्रम. सं.	ज़िला	परिसर की दीवार		
		लक्षित	प्रगति पर हैं	पूर्ण
1	अहमदाबाद	168	0	168
2	अमरेली	79	0	79
3	आणँद	20	0	20
4	बनासकाँठा	129	0	129
5	भरूच	86	0	86
6	भावनगर	117	0	117
7	दाहोद	45	0	45
8	डांग	14	0	14
9	गांधीनगर	24	0	24
10	जामनगर	42	0	42
11	जूनागढ़	97	0	97
12	खेड़ा	72	0	72
13	कच्छ	45	0	45
14	महेसाणा	2	0	2
15	नर्मदा	71	0	71
16	नवसारी	16	0	16
17	पंचमहाल	223	10	213
18	पाटण	6	0	6
19	पोरबंदर	2	0	2
20	राजकोट	42	0	42
21	राजकोट कोर्पोरेशन	2	0	2
22	साबरकांठा	22	0	22
23	सुरत	156	0	156
24	तापी	98	3	95
25	सुरेन्द्रनगर	82	0	82
26	वड़ोदरा	284	2	282
27	वलसाड़	218	1	217
	कुल	**2162**	**16**	**2146**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

- **हेड मास्टर कक्ष :**

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, स्कूल की इमारत के हेट मास्टर कक्ष निर्माण 2012-13 वर्ष के दौरान किए गए थे लक्षित 1597 हेड मास्टर के कमरे में से 1432 का काम पुरा हो चुका है और 165 कार्य प्रगति पर हैं।

क्रम. सं.	ज़िला	हेड मास्टर कक्ष		
		लक्षित	प्रगति पर हैं	पूर्ण
1	अहमदाबाद	208	53	155
2	अमरेली	85	7	78
3	आणँद	50	0	50
4	बनासकाँठा	300	16	284
5	भरूच	23	0	23
6	भावनगर	50	2	48
7	दाहोद	40	3	37
8	डांग	59	15	44
9	गांधीनगर	100	14	86
10	जामनगर	30	0	30
11	जूनागढ़	20	0	20
12	खेड़ा	25	1	24
13	कच्छ	50	3	47
14	महेसाणा	193	10	183
15	नर्मदा	10	3	7
16	नवसारी	71	14	57
17	पंचमहाल	10	1	9
18	पाटण	77	3	74
19	पोरबंदर	10	1	9
20	राजकोट	30	1	29
21	राजकोट कोर्पोरेशन	0	0	0
22	साबरकांठा	10	0	10
23	सुरत	86	15	71
24	तापी	10	0	10
25	सुरेन्द्रनगर	10	2	8
26	वड़ोदरा	20	0	20
27	वलसाड़	20	1	19
	कुल	**1597**	**165**	**1432**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 11

वित्त और लेखा

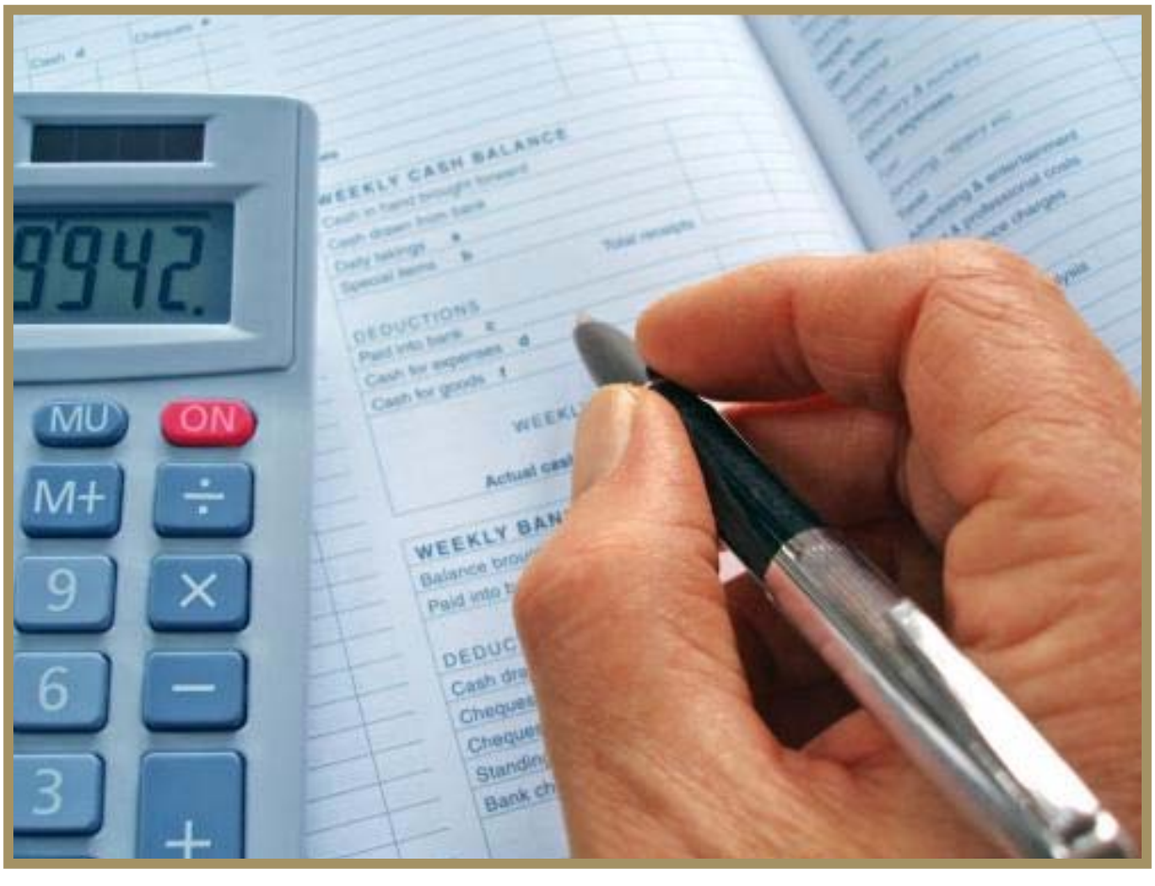

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अध्याय 11

वित्त और लेखा

लेखा परीक्षा एवं लेखा :

एस.एस.ए. के परीक्षित लेखा समेत लेखा परीक्षित रिपोर्ट्स, भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं।

एसएसए के वर्ष 2012-13 के वार्षिक रिपोर्ट और परीक्षित लेखा भारत सरकार को समय पर प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित (एनपीईजीईएल सहित) सर्व शिक्षा अभियान के लेखा और केजीबीवी के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय निष्पादन

गुजरात में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विविधपरियोजना हस्तक्षेपों के लिए वर्ष 2012-13 में कुल वार्षिक अंदाज ₹. 331248.01 लाख आँका गया था, जिसमें से कुल ₹. 209076.28 लाख का खर्च किया गया। धनराशि का प्रवाह सरल था, भारत सरकार द्वारा ₹. 111886.61 लाख की धनराशि और गुजरात सरकार द्वारा ₹. 73247.70 लाख की धनराशि प्राप्त हुई। इससे एडबल्युपीए एन्ड बी की निर्धारित प्रवृत्तियों के प्रभावी कार्यान्वयन में सुगमता प्राप्त हो पाई।

वर्ष	बजट	प्राप्त निधि			खर्च ₹ लाख में
		भारत सरकार	गुजरात सरकार	कुल	
2001-02	3798.03	1766.20	311.70	2077.90	1385.38
2002-03	12957.98	9872.80	2250.00	12122.80	5471.67
2003-04	22774.43	11525.41	2158.00	13683.41	14310.86
2004-05	24505.23	11245.00	6121.00	17366.00	15362.65
2005-06	26566.75	12830.57	7560.00	20390.57	20516.25
2006-07	38020.43	14504.72	7999.00	22503.72	27259.23
2007-08	35714.96	21607.36	12917.73	34525.09	26933.04
2008-09	46144.12	24184.82	14890.00	39074.82	32554.84
2009-10	52014.77	19823.25	14490.00	34313.25	38120.89
2010-11	98163.98	44065.01	19018.50	63083.51	73550.41
2011-12	179330.68	86827.79	52784.94	139612.73	131177.54
2012-13	**331248.01**	**111886.61**	**73247.70**	**185134.31**	**209076.28**

एनपीईजीईएल

एनपीईजीईएल के अंतर्गत वर्षभर बालिकाओं की शिक्षा-सुधार के लिए किए गए विविध हस्तक्षेपों को ज़बरदस्त गतिमान प्राप्त हुआ। वर्ष 2012-13 के दौरान, एनपीईजीईएल के अंतर्गत गुजरात में विभिन्न परियोजना प्रवृत्तियों के लिए कुल वार्षिक बजट ₹. 755.57 लाख में से कुल ₹. 743.76 लाख खर्च किए गए। गुजरात में एनपीईजीईएल के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रदर्शन इस प्रकार रहा :

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

The year wise performance under NPEGEL in Gujarat is as under:

वर्ष	बजट	प्राप्त निधि			खर्च ₹ लाख में
		भारत सरकार	गुजरात सरकार	कुल	
2003-04	718.51	134.72	-	134.72	406.26
2004-05	4675.87	2827.00	1175.00	4002.00	3246.32
2005-06	3765.47	2454.14	950.00	3404.14	3317.97
2006-07	918.57	302.25	100.00	402.25	846.41
2007-08	726.46	472.19	200.00	672.19	671.57
2008-09	706.96	229.76	200.00	429.76	648.16
2009-10	725.87	208.48	300.00	508.48	585.24
2010-11	718.54	0.00	200.00	200.00	603.55
2011-12	1007.00	307.20	215.00	522.20	979.89
2012-13	**755.57**	**140.69**	**550.00**	**690.69**	**743.76**

कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)

वर्ष 2012-13 के दौरान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के अंतर्गत गुजरात में विभिन्न परियोजना प्रवृत्तियों के लिए कुल वार्षिक बजट ₹. 4918.84 लाख में से कुल ₹. 1962.11 लाख खर्च किए गए।

वर्ष	बजट	प्राप्त निधि			खर्च ₹ लाख में
		भारत सरकार	गुजरात सरकार	कुल	
2004-05	662.70	497.03	-	497.03	21.14
2005-06	662.70	-	335.00	335.00	146.55
2006-07	1230.18	326.76	1.00	327.76	317.12
2007-08	1780.67	706.21	260.00	966.21	461.69
2008-09	3131.97	1017.89	212.00	1289.89	743.39
2009-10	2755.39	-	210.00	210.00	1040.65
2010-11	2666.36	-	450.00	450.00	1364.16
2011-12	6036.30	892.80	2035.00	2927.80	2076.70
2012-13	**4918.84**	**1890.78**	**877.50**	**2768.28**	**1962.11**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

वार्षिक अहेवाल 2012-13

गुजरात

वार्षिक हिसाबो 2012-13

आरटीइ-एसएसए - एनपीईजीईएल - केजीबीवी

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
सर्व शिक्षा अभियान
सेक्टर -१७, गांधीनगर, गुजरात
टोल फ्री नंबर - १८००-२३३-७९६५

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस
गुजरात काउन्सिलरऑफ एलिमेन्टरी एज्यूकेशन
सर्व शिक्षा अभियान, से-17, गांधीनगर, गुजरात
दूरभाष : 079-23235069, 23232436
ई-मेइल : dpepgujarat @yahoo.co,
gujssafinance@gmail.com
web : www.ssagujarat.org

श्री मुकेश कुमार, आईऐएस
स्टेट प्रोजक्ट डिरेक्टर, सर्व शिक्षा अभियान एवं

D.O.No : SSA/ACT/11001/98726-727 DATE : /12/2013

माननीय महोदय,

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एसएसए (एनपीईजीईएल समेत) और केजीबीवी के वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ आवश्यक निवेदन, प्रमाणपत्र व रिपोर्ट्स तैयार किए गए और निम्नलिखित दस्तावजों के साथ प्रस्तुत किए गए :

- एसएसए और एनपीईजीईएल के लिए

(1) बैलेंस शीट
(2) आय और खर्च लेखा
(3) प्राप्ति एवं भुगतान
(4) वार्षिक समेकित वितीय बयान
(5) उपयोग प्रमाणपत्र (एसएसए एवं एनपीईजीईएल)
(6) एफएमआरएस - I एवं - II
(7) लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन पत्र।
(8) खरीद लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

- **केजीबीवी के लिए**

(1) बैलेंस शीट
(2) आय और खर्च लेखा
(3) लेखा उपयोग प्रमाणपत्र
(4) एफएमआरएस - I
(5) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन पत्र

जैसे ही कार्यवाही समिति को अवगत कराने के बाद, हमे हमारे वितीय वर्ष 2012-13 के वार्षिक हिसाबो की अनुमति मिल जाएगी, हम बहुत जल्दी ही उसकी स्वीकृति प्रस्तुत करेंगे।

उपर्युक्त विवरणों को क्रमबद्ध स्वरूप में देखे।

आभार सह,

संलग्न : उपर्युक्त दस्तावेज

भवदीय,

(मुकेश कुमार)

प्रति,
विरेन्द्र सिंह
उप-निर्देशक, (एस.ई.- ए ल)
भारत सरकार, मनाव संशाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्र भवन, नई दिल्ली - 110115
ई-मेइल : ssafinance@gmail.com एवं virender.justa@nic.in

प्रतिलिपि :
टेकनिकल सर्पोट ग्रुप,
सर्व शिक्षा अभियान,
एड.सिल. (इन्डिया) लिमीटेड, (गर्वनमेनट ओफ इन्डिया अेन्टरप्राइज),
विजय बील्डींग, 5 फोल्र, १७ बाराखंखभा रोड, नई दिल्ली-११०००१, (बाराखंखभा रोड मेट्रो स्टेशन के पास),
EPABX No.: 011-23765605 to 23765612

1

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

31 वीं मार्च, 2013 के रुप में समेकित बैलेन्स शीट

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

देयता	रकम (रु) वर्तमान वर्ष	रकम (रु) पिछले वर्ष
असल पूंजी		
प्रारंभिक शेष	1,746,231,430	763,986,768
धन प्राप्ति		
भारत सरकार द्वारा		
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	6,287,517,791	3,942,370,000
(ब) एसएसए- केपीटल अनुदान	4,901,142,957	4,740,409,000
(क) एनपीईजीईएल	14,068,895	30,720,000
राज्य सरकार द्वारा		
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	4,441,246,000	2,184,500,000
(ब) एसएसए- केपीटल अनुदान	2,883,524,000	3,093,994,000
(क) एनपीईजीईएल	55,000,000	21,500,000
13वों एफ.सी.एवोर्ड से प्राप्त	980,000,000	850,000,000
ब्याज		
(अ) एसएमए	170,361,314	129,117,482
(ब) एनपीईजीईएल	1,172,752	892,303
अन्य प्राप्तियां	116,200,170	54,485,577
	21,596,465,309	15,811,975,129
कम:		
उपयोग में ली गई राशी	21,962,004,418	14,065,743,699
अंतिम शेष	(365,539,109)	1,746,231,430.22
जिल्ले मे हुआ अग्रीम / मौजूदा दायित्व		
कमीश्नर एमडीएम खाता	7,458,233	7,458,233
कर्तव्य और देय कर	55,346	4,073,989
आरएम/इइएमडी/बीड/निष्पादन जमा	731,724	79,892,691
टीआरपी वेतन अनुदान	168,040	168,040
बकाया समायोजन	705,149	714,947
बीआरसी भवन अनुदान	465,840	465,840
बाल मानचित्रीकरन	98,797	98,797
एमडीएम रसोई शेड	21,670	21,670
एमआईएस डेटाबेझ अनुदान	10,000	10,000
अन्य दायित्व	45,607	430,848
शौचालय ब्लोक अनुदान	-	30,675
आयोजन मे दिया गया भुगतान	52,667	-
अन्य आयोजन मे दिया गया भुगतान	5,000,000	35,000,000
अंतर जिला लेन-देन	-	18,950
सीपीअफ फंड वापसी	-	10,710
एसपीओ **मे हुआ** अग्रीम / मौजूदा दायित्व		
प्रतिधारण राशि(नई)	218,649,539	72,733,911
सुरक्षा डिपोझिट	38,670,176	29,617,350
जी सी पी ई खाता	915,394	915,394
लेनदार	107,751,292	45,007,429
केजिबिवि के लिये किया गया भुग्तान	50,725,152	-
अन्य आयोजन मे दिया गया भुगतान		
एक) एकीकृत बाल विकास योजना - स्कूल रिटर्न	600,000,000	-
यौगिक / मॉडल स्कूल / शौचालय ब्लाकों	250,000,000	-
शिक्षक के लिए क्वार्टर	250,000,000	-
अतिरिक्त कक्षा, गैर - जनजातीय	330,000,000	-
कुल	1,495,985,518	2,022,900,904

परिसंपती	रकम (रु) वर्तमान वर्ष	रकम (रु) पिछले वर्ष
अचल संपति		
निर्माण कार्य	-	-
वाहन	-	-
उपकरण	-	-
जमा राशि		
(अ) सावधी जमा	-	-
(ब) अन्य जमा राशि	-	-
जलों पर शेष राशि		
(ए) बेन्क में शेष राशी	1,019,703,357	604,353,404
(बी) हाथ पर शेष राशि	3,709	3,709
(सी)अग्रीम बकाया-एसएसए	35,758,836	36,834,329
(डी) अग्रीम बकाया-एनपीईजीईएल	1,671,710	2,748,704
सीआरसी वेतन निधि .	36,351	36,351
प्राप्त योग्य शिक्षा अनुदान	22,730	22,730
डिपोझिट	50,185	5,691
अंतर जिला लेन-देन	-	18,950
एसपीओ पर अंतिम शेष		
(अ) बेन्क में शेष राशि	250,140,669	1,344,548,346
(ब) हाथ पर शेष राशि	-	33,969
पडर्वास	188,084,204	4,189,161
जिला समायोजन खाता	100,561	100,561
केजीबीवी खाता	-	30,000,000
डिपोझिट	5,000	5,000
अन्य प्राप्तियाँ	41,800	-
समूह बीमा के लिए अंशदान	366,406	-
कुल	1,495,985,518	2,022,900,904

परिशिष्ट । के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

[illegible]
वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्दोशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसियटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

S. K. PATODIA & ASSOCIATES

अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572

स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

31 वीं मार्च, 2013 के रुप में समेकित आय और व्यय लेखा

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

व्यय	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
जिला एवं तहसिल स्तर पर		
एसएसए- सामान्य अनुदान		
परिवहन / अनुरक्षण सुविधाए	111,578,312	-
स्कूल बाहर के बच्चो की मुख्य धारा के लिए विशेष प्रशिक्षण	267,054,385	311,171,555
निशुल्क पाठ्यपुस्तके	809,113,689	350,738,817
वर्दी के लिए प्रावधान	-	-
शिक्षण अधिगम उपकरण	58,895,000	48,014,042
नए शिक्षको को वेतन	2,123,447,060	1,390,969,100
प्रशिक्षण	340,909,019	279,020,379
ब्लाक संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	389,830,415	254,604,441
क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से शैक्षिक सहायता	791,721,216	663,705,632
कम्प्यूटर एडेड शिक्षा	99,031,716	-
स्कूलों मे पुस्तकालय	214,529,700	-
शिक्षक अनुदान	102,143,457	99,163,875
स्कूल ग्राट	332,251,143	331,192,450
अनुसधान, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	20,538,203	78,048,959
अनुरक्षण अनुदान	350,991,410	408,165,486
सीडब्ल्यूएसएन के लिए हस्तक्षेप	151,028,015	143,676,622
इनोवेशन हेड	44,704,739	202,418,108
एसएमसी / पंचायती राज प्रशिक्षण	140,819,471	-
प्रबधन	1,052,663,577	610,740,411
एनपीईजीईएल	74,376,474	97,989,064
समुदाय लामबंदी	-	185,003,127
राज्य घटक		
प्रबंधन और एमआईऐस	212,051,731	216,319,790
संशोधन एवं मूल्यांकन	13,022,898	5,877,562
एसएसए सामान्य के कुल खर्च	**7,700,701,628**	**5,676,819,420**
एसएसए असल अनुदान		
निर्माण कार्य	13,281,302,790	7,538,924,279
एसएसए असल का कुल खर्च	**13,281,302,790**	**7,538,924,279**
एसएसए १३ वे एफ.सी. एवोर्ड		
निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	300,000,000	280,000,000
नवीनीकृत प्रवृतियाँ	-	60,000,000
सीडब्ल्यूएसएन के लिए हस्तक्षेप	190,000,000	170,000,000
विद्यालय से बाहर के बच्चो	165,000,000	145,000,000
शिक्षण अधिगम उपकरण	25,000,000	25,000,000
एसएमसी / पंचायती राज प्रशिक्षण	55,000,000	-
प्रशिक्षण	190,000,000	170,000,000
कम्प्युटर एडेड शिक्षा	55,000,000	-
एसएसए १३वें एफ.सी अवोर्ड का कुल खर्च	**980,000,000**	**850,000,000**
कुल व्यय (एसएसए+एनपाईजीईएल)	**21,962,004,418**	**14,065,743,699**
व्यय से अधिक आय के अतिरिक्त	-	**1,746,231,430**
कुल	**21,962,004,418**	**15,811,975,129**

आय	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
धन प्राप्ति		
भारत सरकार द्वारा		
(अ)एसएसए-सामान्य अनुदान	6,287,517,791	3,942,370,000
(ब)एसएसए-केपीटल अनुदान	4,901,142,957	4,740,409,000
(क)एनपीईजीईएल	14,068,895	30,720,000
राज्य सरकार द्वारा		
(अ)एसएसए-सामान्य अनुदान	4,441,246,000	2,184,500,000
(ब)एसएसए-केपीटल अनुदान	2,883,524,000	3,093,994,000
(क)एनपीईजीईएल	55,000,000	21,500,000
१३वें एफ.सी.एवोर्ड से प्राप्त	980,000,000	850,000,000
		-
ब्याज		
(अ)एसएसए	170,361,314	129,117,482
(ब) एनपीईजीईएल	1,172,752	892,303
अन्य		
अनुदान वापसी बचत	79,532,569	47,789,380
निविद शुल्क	3,157,700	3,269,600
विविध प्राप्तियाँ	23,935,493	359,222
वाहनों की पुन: बिक्री	-	979,900
लीकवीड डेमेज	8,539,686	688,444
अन्य	1,034,721	1,399,031
असंवितरित अनुदान (प्रारंभिक)	1,746,231,430	763,986,768
व्यय से अधिक आय के अतिरिक्त	-	-
कुल	**21,962,004,418**	**15,811,975,129**

परिशिष्ट। के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

[illegible]
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे.
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W
अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572

स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

31 वीं मार्च, 2013 के रुप में समेकित आय और व्यय लेखा

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

प्राप्ति	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष	अदायगी	रकम (रू) वर्तमान वर्ष	रकम (रू) पिछले वर्ष
प्रारंभिक शेष					
(अ) बेन्क में जमा राशि	1,948,901,750	740,895,107	एसएसए- सामान्य अनुदान		
(ब) हाथ पर शेष राशि	37,678	40,260	परिवहन / अनुरक्षण सुविधाएं	111,578,312	
भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि			स्कूल बाहर के बच्चों की मुख्य धारा के लिए विशेष प्रशिक्षण	267,054,385	311,171,555
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	6,287,517,791	3,942,370,000	निशुल्क पाठ्यपुस्तके	809,113,689	350,738,817
(ब) एसएसए- केपीटल अनुदान	4,901,142,957	4,740,409,000	वर्दी के लिए प्रावधान	-	-
(क) एनपीईजीईएल	14,068,895	30,720,000	शिक्षण अधिगम उपकरण	58,895,000	48,014,042
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि			नए शिक्षकों को वेतन	2,123,447,060	1,390,969,100
(अ) एसएसए- सामान्य अनुदान	4,441,246,000	2,184,500,000	प्रशिक्षण	340,909,019	279,020,379
(ब) एसएसए - केपीटल अनुदान	2,883,524,000	3,093,994,000	ब्लाक संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	389,830,415	254,604,441
(क) एनपीईजीईएल	55,000,000	21,500,000	क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से शैक्षिक सहायता	791,721,216	663,705,632
			कम्प्यूटर एडेड शिक्षा	99,031,716	-
१३वें एफ.सी.एवोर्ड से प्राप्त	980,000,000	850,000,000	स्कूलों में पुस्तकालय	214,529,700	-
ब्याज			शिक्षक अनुदान	102,143,457	99,163,875
(अ) एसएसए	170,361,314	129,117,482	स्कूल गाट	332,251,143	331,192,450
(ब) एनपीईजीईएल	1,172,752	892,303	अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	20,538,203	78,048,959
अन्य			अनुरक्षण अनुदान	350,991,410	408,165,486
अनुदान वापसी बचत	79,532,569	47,789,380	सीडब्ल्यूएसएन के लिए हस्तक्षेप	151,028,015	143,676,622
निविद शुल्क	3,157,700	3,269,600	इनोवेशन हेड	44,704,739	202,418,108
विविध प्राप्तियाँ	23,935,493	359,222	एसएमसी / पंचायती राज प्रशिक्षण	140,819,471	-
वाहनों की पुन:बिक्री	-	979,900	प्रबंधन	1,052,663,577	610,740,411
लीकवीड डेमेज	8,539,686	688,444	एनपीईजीईएल	74,376,474	97,989,064
अन्य	1,034,721	1,399,031	समुदाय लामबंदी	-	185,003,127
प्राप्ति योग्य रकम में बढोतरी	1,432,678,846	225,759,400			
			राज्य घटक		
			प्रबंधन और एमआईएस	212,051,731	216,319,790
			संशोधन एवं मूल्यांकन	13,022,898	5,877,562
			एसएसए सामान्य के कुल खर्च	**7,700,701,628**	**5,676,819,420**
			एसएसए असल अनुदान		
			निर्माण कार्य	13,281,302,790	7,538,924,279
			एसएसए असल का कुल खर्च	**13,281,302,790**	**7,538,924,279**
			एसएसए १३ वें एफ.सी. एवोर्ड		
			नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक	300,000,000	280,000,000
			नवोनीकृत प्रवृत्तियाँ	-	60,000,000
			सीडब्ल्यूएसएन के लिए हस्तक्षेप	190,000,000	170,000,000
			स्कूल बाहर के बच्चों की मुख्य धारा के लिए विशेष प्रशिक्षण	165,000,000	145,000,000
			शिक्षण अधिगम उपकरण	25,000,000	25,000,000
			एसएमसी / पंचायती राज प्रशिक्षण	55,000,000	
			प्रशिक्षण	190,000,000	170,000,000
			कम्प्यूटर एडेड शिक्षा	55,000,000	
			एसएसए १३वें एफ.सी अवोर्ड का कुल खर्च	**980,000,000**	**850,000,000**
			कुल व्यय(एसएसए+एनपाईजीईएल)	**21,962,004,418**	**14,065,743,699**
			अग्रिम बकाया		
			(अ) बेन्क में शेष जमा राशी	1,269,844,026	1,948,901,750
			(ब) हाथ पर शेष जमा राशी	3,709	37,679
कुल	**23,231,852,154**	**16,014,683,128**	**कुल**	**23,231,852,154**	**16,014,683,128**

परिशिष्ट। के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.
स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसियटस के उपलब्ध से.
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W
अरुन पाटोदिया
भागिदार
M. No. 134572
स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

31 वीं मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक वित्तिय निवेदन

सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य

स्रोत एवं अनुप्रयोग

स्रोत(प्राप्तियां)	एसएसए	एनपीईजीईएल	कुल
प्रारंभिक शेष			
(अ) हाथ पर शेष राशि	37,678	-	37,678
(ब) बैंक में जमा शेष	1,932,766,763	16,134,987	1,948,901,750
कुल	1,932,804,441	16,134,987	1,948,939,428
स्रोत (प्राप्ति)			
(अ)भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि			
(i) सामान्य अनुदान	6,287,517,791	14,068,895	6,301,586,686
(i) असल अनुदान	4,901,142,957	-	4,901,142,957
(ब)राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि			-
(i) सामान्य अनुदान	4,441,246,000	55,000,000	4,496,246,000
(i) असल अनुदान	2,883,524,000	-	2,883,524,000
(स) १३वें एफ.सी.एवॉर्ड से प्राप्त निधि	980,000,000		980,000,000
(द) ब्याज	170,361,314	1,172,752	171,534,066
अन्य			-
(अ) अनुदान वापसी बचत	79,505,729	26,840	79,532,569
(ब) निविदा शुल्क	3,157,700	-	3,157,700
(क) विविध प्राप्तियां	23,935,493	-	23,938,493
(इ) प्राप्ति योग्य रकम में कटौती	1,432,678,846	-	1,432,678,846
(फ) लिक्वीडेट डेमेज	8,539,686	-	8,539,686
(जी) अन्य	1,034,721	-	1,034,721
कुल प्राप्तियां (I)	23,145,648,680	86,203,474	23,231,852,154

Application (Expenditures)	Approved AWP&B including Spill Over	Expenditure Incurred	Savings
एसएसए- सामान्य और १३वें एफ.सी.अवॉर्ड			
परिवहन / अनुरक्षण सुविधाएं	154,959,000.00	111,578,312	43,380,688
स्कूल बाहर के बच्चों की मुख्य धारा के लिए विशेष प्रशिक्षण	547,763,000.00	432,054,385	115,708,615
निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें	1,111,093,000.00	1,109,113,689	1,979,311
वर्दी के लिए प्रावधान	-	-	-
शिक्षण अधिगम उपकरण	86,820,000.00	83,895,000	2,925,000
नए शिक्षकों को वेतन	10,275,537,000.00	2,123,447,060	8,152,089,940
प्रशिक्षण	592,813,000.00	530,909,019	61,903,981
ब्लॉक संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	570,201,000.00	389,830,415	180,370,585
क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से शैक्षिक सहायता	1,036,027,000.00	791,721,216	244,305,784
कम्प्यूटर एडेड शिक्षा	156,927,000.00	154,031,716	2,895,284
स्कूलों में पुस्तकालय	340,108,000.00	214,529,700	125,578,300
शिक्षक अनुदान	117,877,000.00	102,143,457	15,733,543
स्कूल ग्रांट	337,012,000.00	332,251,143	4,760,857
अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	24,808,000.00	20,538,203	4,269,797
अनुरक्षण अनुदान	356,155,000.00	350,991,410	5,163,590
सीडब्ल्यूएसएन के लिए हस्तक्षेप	345,054,000.00	341,028,015	4,025,985
इनोवेशन हेड	50,822,000.00	44,704,739	6,117,261
एसएमसी / पंचायती राज प्रशिक्षण	217,606,000.00	195,819,471	21,786,530
प्रबंधन	1,417,848,000.00	1,052,663,577	365,184,423
एनपीईजीईएल	75,555,700.00	74,376,474	1,179,226
	-		
राज्य घटक	-		
प्रबंधन और एमआईएस	280,000,000	212,051,731	67,948,269
संशोधन	14,400,000	13,022,898	1,377,102
एसएसए असल अनुदान	-		
निर्माण कार्य	15,090,971,000	13,281,302,790	1,809,668,210
कुल खर्च (II)	33,200,356,700	21,962,004,418	11,238,352,282
बंद शेष -(I) - (II)		1,269,847,735	
(अ) बैंक में शेष जमा राशि	1,255,603,181	14,240,846	1,269,844,026
(ब) हाथ पर शेष राशि	3,709	-	3,709
कुल	1,255,606,890	14,240,846	1,269,847,735

परिशिष्ट I के अनुसार किए गए हिसाबों की टिप्पणी इसके साथ संलग्न है

संलग्न तारीख के हमारे लेखा रिपोर्ट के अनुसार,

वित्त और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थल : गांधीनगर
तारीख : 21/09/2013

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर
स्थल : गांधीनगर
तारीख : 21/09/2013

एम. के. पटोदीया एवं सहयोगियों के हस्ताक्षर के
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W
अरुण पोद्दार
भागीदार
M. No. 134572
स्थल : अहमदाबाद
तारीख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

एसएसए - गुजरात

वित्तिय वर्ष २०१२-१३

एसएसए - एमपीईजीईएल - केजीबीवी उपयोगिता प्रमाणपत्र

क्र	स्वीकृति पत्र क्रमांक और दिनांक	एसएसए			एमपीईजीईएल	केजीबीवी	कुल योग
		अनुदान सहायता- सामान्य	अनुदान सहायता- पूंजी	कुल			
1	भारत सरकार						
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD	2,395,224,647		2,395,224,647	-	-	2,395,224,647
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD	248,627,683		248,627,683	-	-	248,627,683
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD	585,082,656		585,082,656	-	-	585,082,656
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD			-	5,359,534	-	5,359,534
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD			-	556,327	-	556,327
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD			-	1,309,176	-	1,309,176
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD			-	-	35,567,819	35,567,819
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD			-	-	3,691,990	3,691,990
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD			-	-	8,688,168	8,688,168
	F.NO.9-3/2012-EE-17 GOI-MHRD		2,529,186,000	2,529,186,000		49,392,000	2,578,578,000
	F.NO.9-3/2012-EE-17 GOI-MHRD		262,533,000	262,533,000		5,127,000	267,660,000
	F.NO.9-3/2012-EE-17 GOI-MHRD		617,806,000	617,806,000		12,065,000	629,871,000
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD	1,189,980,725		1,189,980,725	2,662,691	17,670,584	1,210,314,000
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD	123,522,366		123,522,366	276,392	1,834,242	125,633,000
	F.NO.9-2/2012-EE-17 GOI-MHRD	290,677,181		290,677,181	650,417	4,316,402	295,644,000
	F.NO. 9-2/2012-EE-17GOI-MHRD	1,078,875,192		1,078,875,192	2,414,082	16,020,726	1,097,310,000
	F.NO. 9-3/2012-EE-17GOI-MHRD		210,952,359	210,952,359		4,119,441	215,071,800
	F.NO. 9-3/2012-EE-17GOI-MHRD	111,989,430		111,989,430	250,586	1,662,984	113,903,000
	F.NO. 9-3/2012-EE-17GOI-MHRD	263,537,911		263,537,911	589,690	3,913,399	268,041,000
	F.NO. 9-3/2012-EE-17GOI-MHRD		1,165,810,598	1,165,810,598		22,766,602	1,188,577,200
	F.NO. 9-3/2012-EE-17GOI-MHRD		114,855,000	114,855,000		2,242,000	117,097,000
		6,287,517,791	**4,901,142,957**	**11,188,660,748**	**14,068,895**	**189,078,357**	**11,391,808,000**

क्र	स्वीकृति पत्र क्रमांक और दिनांक	एसएसए			एमपीईजीईएल	केजीबीवी	कुल योग
		अनुदान सहायता- सामान्य	अनुदान सहायता- पूंजी	कुल			
2	गुजरात सरकार						
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V		892,061,000	892,061,000		-	892,061,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V	454,689,000		454,689,000		-	454,689,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V	795,500,000		795,500,000	10,000,000	-	805,500,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/13/2012/SCP/V	184,406,000		184,406,000	15,000,000	-	199,406,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V			-		29,250,000	29,250,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/13/2012/SCP1/V	199,406,000		199,406,000		-	199,406,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V	-	958,963,000	958,963,000		-	958,963,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V	524,240,000		524,240,000		-	524,240,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V	805,500,000		805,500,000		-	805,500,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V					29,250,000	29,250,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/12/2012/614/V	502,595,000		502,595,000		-	502,595,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V			-		29,250,000	29,250,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V		1,032,500,000	1,032,500,000		-	1,032,500,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/10/2012/612/223563/V	795,500,000		795,500,000	10,000,000	-	805,500,000
	GOG Dept. of Education Letter No.APB/13/2012/647/V	179,410,000		179,410,000	20,000,000	-	199,410,000
	कुल योग GOI SSA	**4,441,246,000**	**2,883,524,000**	**7,324,770,000**	**55,000,000**	**87,750,000**	**7,467,520,000**
	कुल अनुदान (GOI + GOG)	**10,728,763,791**	**7,784,666,957**	**18,513,430,748**	**69,068,895**	**276,828,357**	**18,859,328,000**

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

3	पिछले वर्ष का अव्ययित शेष (*)	3,344,132,658	(1,504,491,522)	1,839,641,136	(93,409,705)	101,296,662	1,847,528,093
4	बेंक से प्राप्त ब्याज	170,361,314	-	170,361,314	1,172,752	6,264,847	177,798,913
5	अन्य प्राप्तिया	116,173,330	-	116,173,330	26,840	135,287	116,335,457
6	GOG- से ऋण	1,430,000,000	-	1,430,000,000	-	-	1,430,000,000
	उप कुल	15,789,431,092	6,280,175,435	22,069,606,527	(23,141,218)	384,525,153	22,430,990,463
7	वर्ष के दौरान उपयोग अनुदान	7,626,325,154	13,281,302,790	20,907,627,944	74,376,474	196,209,727	21,178,214,145
8	बकाया अग्रिम	223,843,040		223,843,040	1,671,710	10,480,466	235,995,216
9	वर्ष के अंत में बच संतुलन	7,939,262,898	(7,001,127,355)	938,135,543	(99,189,402)	177,834,960	1,016,781,101

नोट : (*) यह वित्तीय वर्ष 2012-13 के बाद अंत में "बचत" में "बकाया अग्रिम" के आंकड़े दिखाता है।

१. यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष २०१२-१३ के दौरान राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात के पक्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं गुजरात राज्य के उपर्युक्त पत्रक्रमांको के संदर्भ में रु.१८८५,९३,२८,०००/- अठारासो पच्यासि करोड़ तिरांवे लाख अठाविस हजार की अनुदान सहाय राशि को उसके सामने प्रदर्शित रूपों में खर्च किया गया और पिछले वर्ष के रु.१८४,७५,२८,०९३/ (एकसो चोरयासि करोड़ पच्तर लाख अठाविस हजार तिरानवे अव्ययित अनुदान को इस वर्ष में आगे लाया गया. बैंक ब्याज से प्राप्त रु. १७,७७,९८,९१३/- (सत्रा करोड़ सत्तत्तर लाख अठानवे हजार नौ सो तेराह और रु.११,६३,३५,४५७/- (अग्यारह करोड़ तेसठ लाख पैंतिश हजार चार सौ सत्तावन की अन्य प्राप्तियां, रु. १४३,००,००,०००/- एकसो तीयालिश करोड़ का लोन, कुल मिलकर रु. २२४३,०९,९०,४६३/- दौ हजार दो सौ तियालिश करोड़ नौ लाख नब्बे हजारचारसो तेसठ में से वर्ष २०१२-१३ में जिन उद्देश्यों के लिए उसे मंजूर किया गया था, उसमें उपयोग किया गया, रु.२११७,८२,१४,१४५/- (दो हजार एक सौ सत्तराह करोड़ बैयासि लाख चौदा हजार एक सौ पैंतालिस). अग्रिम राशि के रूप में चुकाए गए, जो वर्ष के अंत तक असमायोजित है और जिसका हिसाब कार्यान्वयन ईकाईयों/एजेंसीयों से प्राप्त करना शेष है, तथा इन को आगे के वर्ष में ले जाने की अनुमति ली जा चुकी है. वर्ष के अंत में रु. २३,५९,९५,२१६/- (तेविस करोड़ उनसठ लाख पंचाव हजार दो सो सोलाह). अव्ययित पड़ी रही धनराशी ~१,०१,६७,८१,१०१ (रु एक सौ एक करोड़ सरसठ लाख एक्याशी हजार एक सौ एक) आगले वर्ष २०१२-१३ के अनुदान सहाय के सामने समायोजित की जाएगी.

२. ईस साल के दौरान संस्था द्वार जो भि खर्च किया गया है वह प्राप्त अनुदानों से अधिक किया गया है जो की १४३ करोड़ के लोन (अन्य कार्यक्रम के द्वारा) के माध्यम से किया गया है.

३. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान सहाय को जिन शर्तों पर मंजूर किया जाता था, वे सारी शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा यह धनराशि जिन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए मंजूर की गई थी, उसी में उपयोग किया गया है या नहीं इसकी भी जांच मैंने नीचे दर्शाए गए दस्तावेजों के माध्यम से की है और मैं उससे संतुष्ट हूं।

जांच किए गए दस्तावेजी अभ्यास :

१. लेखा परिक्षण प्राप्त लेखा निवेदन (प्रतिलिपि संलग्न है)

२. उपयोग प्रमाणपत्र

३. प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न है)

पियुष सरपालिया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

लेखा परिक्षक का प्रमाण पत्र

जांच के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए रिकार्ड्स एवं किताबों के आधार पर हमने उपर्युक्त विवरणो की जांच कर ली है और पाया है कि ये विवरण इन सभी के साथ पूर्ण रूप से अनुरूप है. इसे वर्णित ३१.३.२०१३ के हमारी लेखा परिक्षण रिपोर्ट के साथ पढ़े

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसियटस के उपलक्ष में,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W
अरुन पोद्दार
भागिदार
M. No. 134572
स्थल: अहेमदाबाद
तारिख : 21/09/2013

S. K. PATODIA & ASSOCIATES

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

परिशिष्ट-II

उपयोगिता प्रमाणपत्र - १३ वाँ वित्तिय कमीशन अवोर्ड

अनुक्रमांक No.	स्वीकृति पत्र क्रमांक और दिनांक	१३ वाँ वित्तिय कमीशन अवोर्ड		कुल योग
		योजना	गैर योजना	
		अनुदान सहाय सामान्य	अनुदान सहाय सामान्य	
1	राज्य सरकार से प्राप्त 13 वें वित्तिय कमीशन अवोर्ड			
(a)	GOG शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक ABP/10/2012/612/223563/V			350,000,000
(b)	GOG शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक ABP/10/2012/612/223563/V			350,000,000
(c)	GOG शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक ABP/10/2012/612/223563/V			280,000,000
	उप कुल			980,000,000
2	पिछले वर्ष की अव्ययित शेष धनराशि			-
3	बैन्क से प्राप्त ब्याज			-
4	अन्य प्राप्तियां			-
	उप कुल			980,000,000
5	वर्ष पर्यंत उपयोग में लिया गया अनुदान			980,000,000
6	अग्रीम बकाया			-
7	वर्षांत पर अव्ययित शेष			-

१. यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष २०१२-१३ के दौरान राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात के पक्ष में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं गुजरात राज्य के उपर्युक्त पत्रक्रमांको के संदर्भ से प्राप्त अनुदान सहाय धनराशि रू.९८,००,००,०००/- (९८ करोड रुपये) को उसके सामने प्रदर्शित रूपे से खर्च किया गया और उसमें से बची रह गई अव्ययित धनराशि जो कि रू. शून्य है, बैन्क से प्राप्त ब्याज की राशि, जोकि रू. शून्य है और अन्य प्राप्तियाँ रू.शून्य है, कुल मिलकर रू.९८,००,००,०००/- (९८ करोड रुपये) होता है, उसे अगले वर्ष में ले जाया गया है। कुल धनराशि रू.९८,००,००,०००/- (९८ करोड रुपये)जिस उद्देश्य के प्राप्त की गई थी, उन्हें वर्ष २०१२-१३ के दौरान उसी काम में उपयोग में ले लिया गया है और वर्ष के अंत तक रू. शून्य की धनराशि अव्ययित शेष रह पाई है जो कि अगले वर्ष २०१३-१४ में प्राप्ति योग्य अनुदान सहाय के सामने समायोजित की जाएगी।

२. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुदान सहाय की जिन शर्तों पर मंजूर किया जाता था, वे सारी शर्तों का अनुपालन किया गया है तथा यह धनराशि जिन उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए मंजूर की गई थी, उसी में उपयोग किया गया है या नहीं इसकी भी जांच मैंने नीचे दर्शाए गए दस्तावेजों के माध्यम की है और मैं उससे संतुष्ट हूँ।

जांच किए गए दस्तावेजी अभ्यास :

1 लेखा परिक्षण प्राप्त लेखा निवेदन (प्रतिलिपि संलग्न है)
2 उपयोगिता प्रमाणपत्र
3 प्रगति रिपोर्ट (प्रतिलिपि संलग्न है)

[illegible]
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गांधिनगर
तारिख : 21/09/2013

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गांधिनगर
तारिख : 21/09/2013

लेखा परिक्षक का प्रमाण पत्र

जांच के लिए हमारे सामने प्रस्तुत किए गए रिकार्ड्स एवं किताबों के आधार पर हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और पाया है कि ये विवरण उन सभी के साथ पूर्ण रूप से अनुरूप है, इसे वर्षांत ३१.३.२०१२ के हमारे लेखा परिक्षण रिपोर्ट के साथ पढ़े।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसियेटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W
अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572

स्थल: अहेमदाबाद
तारिख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

सर्व शिक्षा अभियान

एफएमआर - I

राज्य का नाम : गुजरात

व्यय रिपोर्ट सारांश

वितिय वर्ष 2012-13 के लिए

(रू लाख मे)

राज्य का नाम	योजना	एडब्लुपी एंड बी २०१२-१३	1-4-2012 के रोज प्रारंभिक शेष	भारत सरकार द्वारा विमोचित	राज्य द्वारा विमोचित	31-3-2013 तक प्रतिवेदित व्यय	अगले वितिय वर्ष 2012-13 के लिए अनुमानित एडब्ल्युपी एंड बी
गुजरात	एसएसए	321,448.01	18,396.41	111,886.61	73,247.70	209,076.28	135,839.66
	एनपीईजीईएल	755.56	(934.11)	140.69	550.00	743.76	-
	कुल (एसएसए + एनपीईजीईएल)	**322,203.57**	**17,462.30**	**112,027.30**	**73,797.70**	**209,820.04**	**135,839.66**
	13 वों एफ.सी.एवोर्ड	9,800.00	-	-	9,800.00	9,800.00	11,300.00
	कुल	**332,003.57**	**17,462.30**	**73,797.70**	**209,820.04**	**219,620.04**	**135,839.66**

एडब्ल्युपी एंड बी के अलावा, हम सभी आँकडो को प्रमाणित करते है।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572
स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

सर्व शिक्षा अभियान

एफएमआर - II

राज्य का नाम गुजरात

३१/०३/२०१३ तक एसएसए के अंतर्गत प्रवृति वार व्यय का बयान		
अनुक्रम	प्रवृति वार व्यय	01.04.2012 से 31.03.2013 तक
	(क) १३वें एफ.सी.एवोर्ड से प्राप्त निधि	
1	परिवहन / अनुरक्षण सुविधाएं	111,578,312
2	स्कूल बाहर के बच्चों की मुख्य धारा के लिए विशेष प्रशिक्ष	432,054,385
3	निशुल्क पाठ्यपुस्तके	1,109,113,689
4	वर्दी के लिए प्रावधान	-
5	शिक्षण अधिगम उपकरण	83,895,000
6	नए शिक्षकों को वेतन	2,123,447,060
7	प्रशिक्षण	530,909,019
8	ब्लाक संसाधन केन्द्र के माध्यम से शैक्षिक सहायता	389,830,415
9	क्लस्टर रिसोर्स सेंटर के माध्यम से शैक्षिक सहायता	791,721,216
10	कम्प्यूटर एडेड शिक्षा	154,031,716
11	स्कूलों में पुस्तकालय	214,529,700
12	शिक्षक अनुदान	102,143,457
13	स्कूल ग्रांट	332,251,143
14	अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी और पर्यवेक्षण	20,538,203
15	अनुरक्षण अनुदान	350,991,410
16	सीडब्ल्यूएसएन के लिए हस्तक्षेप	341,028,015
17	इनोवेशन हेड	44,704,739
18	एसएमसी / पंचायती राज प्रशिक्षण	195,819,471
19	प्रबंधन	1,052,663,577
20	एनपीईजीईएल	74,376,474
	राज्य घटक	
21	प्रबंधन और एमआईएस	212,051,731
22	संशोधन एवं मूल्यांकन	13,022,898
	कुल(I)	**8,680,701,628**
	एसएसए असल अनुदान	
20	निर्माण कार्य	13,281,302,790
	कुल (II)	**13,281,302,790**
	कुल योग - (I) + (II)	**21,962,004,418**

हम उपर्युक्त सारे आँकडो को प्रमाणित करते है।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे.
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572
स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

S K Patodia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

लेखा परिक्षक की रिपोर्ट

प्रति
राज्य परियोजना निर्देशक
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
सर्व शिक्षा अभियान,
गुजरात, गांधीनगर.

संदर्भः गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद विभाग (एसएसए) 2012-13 के वैद्यानिक अंकेक्षण

१. हमने **'सर्व शिक्षा अभियान', गुजरात** की यहाँ संलग्न 31 मार्च 2013 की स्थिति में सम्मिलित बेलेन्स शीट, उनकी सम्मिलित आय एवं व्यय खाता, सम्मिलित प्राप्तियों एवं भुगतान और सम्मिलित वार्षिक वित्तीय निवेदनों का इसमें दर्शाई गई तारीख को खत्म होने वाले वर्ष का लेखा परिक्षण किया है । ये वित्तीय निवेदन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे लेखा परिश्रण के आधार पर वित्तीय निवेदन के लिए अभिप्राय देना हमारी जिम्मेदारी है।

२. हमने भारत में सामान्यरुप से मान्य किए गए लेखा परिक्षण एवं लेखा मानकों के आधिन रहकर लेखा परिक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार हमे अपना लेखा परीक्षण इस तरह से आयोजित एवं निष्पादित करना होता है कि जिससे यह तय हो सके कि वित्तीय निवेदन किसी तरह की सामग्री के गैर निवेदन से मुक्त है। लेखा परीक्षण में वित्तीय निवेदन में प्रदर्शित धन राशियों के आँकडो एवं उनके प्रकटन आधार साक्ष्यों के याद्दच्छिक एवं जाँच परीक्षण का समावेश होता है। लेखा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतो का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनो समेत समग्र वितीय निवेदन प्रस्तुति को भी समाविष्ट किया जाता है। हमारा मानना है कि हमारे लेखा परिक्षण हमारे अभिप्राय के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करता है और हम यह रिपोर्ट देते है।

३. 'सर्व शिक्षा अभियान' भारत सरकार का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यो में कार्यक्रम को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सोसायटी द्वारा 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस ओफ गुजरात काउंसिल ओफ एलिमेन्टरी एज्युकेशन' के नाम से एक मिशन के रुप में लागु करना है।

8764
19/12/13. Accts

Head Office : Shree Shakambhari Corporate Park,
Plot No. 156-58, Chakravarti Ashok Complex, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 099
Tel. : +91 22 6707 9444 • Fax : +91 22 6707 9494 • Email : info@skpatodia.in
Offices : New Delhi I Kolkata I Bengaluru I Chennai I Ahmedabad I Jaipur I Hyderabad I Bhopal I Patna I Raipur
www.skpatodia.in

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

४. सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त अनुदान विविध जिला, तहसिल तथा क्लस्टर एवं ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए दी जाती है या फिर राज्य परियोजना कार्यालय स्वयं विविध जिलों में इस अनुदान का उपयोग करता है।

५. प्राप्त अनुदान, वापसी अनुदान (बचत) पीछले वर्षो के शेष अनुदान, बैंन्क से प्राप्त ब्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क तथा विविध प्रकार से प्राप्त हुई अन्य आयों को आय एवं धनराशि को इस कार्यक्रम की विविध प्रवृत्तियों मे व्यय के अंतर्गत लिया गया है और उसे व्यय की तरह ही माना गया है। विविध प्रवृत्तियो के लिए व्यय की गई धन राशि में निर्माण कार्य में उपयोग में लाई गई राशि तथा / अथवा इस कार्यक्रम के उद्देश्यो के लिए अचल संपति की प्राप्ति / अर्जन को भी समाविष्ट किया गया है। इन सभी व्ययों को राजस्व खर्च के तौर पर समझा गया है।

हम रिपोर्ट करते है कि :-

(ए) हमारी जानकारी व मान्यता के अनुसार लेखा परिक्षण के लिए आवश्यक तमाम जाानकारी तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए है।

(बी) बेंलेन्स शीट, इस रिपोर्ट को तैयार करने में जरुरी आय और व्यय खाता, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार किए गए लेखा किताबों के साथ सहमती दिखा रहे है।

(सी) अगर कोई नकद शेष थी और वाउचर्स लेखा परीक्षण की तारीख तक अधिकारीयों की कस्टडी मे थे 31.03. 2013 तक कोई नकद शेष, यदि थे तो भौतिक रुप में हम उसका सत्यापन नहीं कर पाए है।

(डी) प्रमाण पत्र का उपयोग तथा प्राप्ति अदायगी खाता और उपयोगिता के प्रमाण-पत्र के आधार पर विधिवत रूप से जिला स्तर / नगर निगम के स्तर पर सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रमाणित एव संकलित किया गया है।

(ई) हमारे अनुसार, परियोजना द्वारा जरुरी हिसाबों को तैयार किया गया है, जो कि उसके नमूनों की जाँच से पता चलता है।

(एफ) वित्तीय वर्ष ऑडिट आपत्तियों के अनुपालन के लिए लंबित कर रहे हैं और इसे जल्द से जल्द किया जाना चाहिए।

(जि) हमारे सत्यापन के लिए हमें जुटाए गए दस्तावेजों एवं हमे प्राप्त करवाई गई जानकारी के आधार पर हमने मालसामान की खरीदी के लिए अपनाई गई खरीद प्रकिया, कार्यो और सेवाओं का लेखा परीक्षण के अलावा और कुछ भी शामिल नहि किया है जिसे खरीद प्रमाणपत्र के अभिप्रायों मे शामिल किया जाये।

(एच) सभी सर्व शिक्षा अभियान जिलों या महानगरपालिकाओं के लेखा किताबों का द्रढीकरण राज्य परियोजना कार्यालय, गांधीनगर में किया गया है।

(आई) हमारे अभिप्राय में, हमे प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार दिए गए ऐसे हिसाब और हमारे अवलोकन, जो अनुच्छेद-3 में है, ऐसे हिसाब या हिसाबों पर टिप्पणी और हमारे उसी दिन के प्रबंधन पत्र के आधीन इस बात की पुष्टि करते है कि राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा हिसाब के सिद्धातों का पालन किया गया है :

1. बेलैंस शीट के विषय में राज्य परियोजना कार्यालय के मामलों की दशा दिनांक 31-03-2013 के अनुसार

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

2. आय और व्यय खाता के विषय में 31-03-2013 को पूर्ण होते वर्ष के लिए आय से अधिक व्ययके उपलक्ष में।

3. 31-3-2013 को पूर्ण हो रहे वर्ष के लिए प्राप्ति एवं अदायगी से संबंधित प्राप्तियाँ एवं अदायगी खाता।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

प्रति

राज्य परियोजना निर्देशक

सर्व शिक्षा अभियान,

गुजरात राज्य,

गांधीनगर

प्रबंधन पत्र

मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के प्राथमिक शिक्षण एवं साक्षरता मंत्रालय द्वारा जारी वितीय प्रबंधन एवं खरीद मार्गदर्शिका के परिच्छेद क्रमांक 101.5 एवं पूरक अंश - XVI की आवश्यकता अनुसार वितीय वर्ष 2012-2013 के लिए प्रबंधन पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ परीक्षण जाँच एवं यद्दच्छित लेखा परीक्षण के आधार पर समग्र लेखा प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए हमारे अवलोकन एवं सिफरिशें शामिल है, इसमें अधिक कार्यक्षम नियंत्रण के उपाय के लिए हमारे सुझाव भी शामिल है. ।

१. जिला कार्यालय स्तर तथा मुख्य कार्यालय स्तर पर माहवार बेन्क समाधान किया गया है और इससे पता चलता है कि प्रक्रिया / पध्धति योग्य है, तथापि वर्ष के अंत में तीन महिनों से भी ज्यादा समय से जमा हुए गैरभुगतान रहे चैक अगले वित्त वर्ष में समाधान के बाद उलट किए जाने चाहिए।

२. तहसील स्तर की ईकाईयों जैसे कि बीआरसी, सीआरसी, एसएमसी स्तर, पर लेखा परिक्षण के दैरान हमने पाया है की संयोजक काफी भुगतान नकद रूप में कर दिया करते है। भुगतान के उपर नियंत्रण लाने के लिए सलाह दी जाती है कि जिला कार्यालय तथा तहसिल स्तर पर उचित सीमा से अधिक किए सभी भुगतान जो की संस्था के हिसाब से योग्य है अकाउन्ट पेयी चैक के द्वारा चुकाने चाहिए।

३. राज्य से जिला स्तर और जिला स्तर से तहसील स्तर तक धनराशी के मिलान की क्रिया लागू की जानी चाहिए तथा विविध स्तर से प्रतिपुष्टि होनी चाहिए।

4. जिला परियोजना कार्यालयों के लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान हमने देखा कि कभी-कभी बीआरसीओं और सीआरसीओं द्वारा अव्यतित धनराशि संबंधित जिले के अकाउन्ट अधिकारी की सलाह के बगैर सीधे ही जिला कार्यालय के बेंक खाते में जमा कर देते है। बेन्क खाते के क्रेडिट सोर्स अकाउन्ट अधिकारी के पास न होने की वजह से वे उस राशि को बकाया समायोजन खाते में डाल देते हैं। जो संदेहात्मक है। राज्य स्तर से लौटाई गई राशि के लिए योग्य हिसाब कार्यप्रणाली और आंतरिक नियत्रंण पद्धति का विकास किया जाना चाहिए तथा उसे लागु करना चाहिए, ताकि संदेहात्मकता को टाला जा सके।

५. आंतरिक लेखा परिक्षक के सुझावों का पालन नही किया गया है, जो शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

६. राज्य तथा जिला स्तर पर किए गए लेखा परिक्षणों से ज्ञात होता है कि कर (टी डी एस) की कटौती के संदर्भ में जो आयकर प्रावधान करना पडता है, वह नही हुआ है, जिसे भविष्य में ध्यान में रखा जाना चाहिए.

७. आरएम/ईएमडी/कार्यनिष्पादन सुरक्षा/बोली की सुरक्षा को मिलाकर 31.03.2013 की स्थिति में कुल रु.7,31,724/- जमा खाते में है, जो समाधान के आधीन है, उपर्युक्त सभी राशियों को बकाया राशि के साथ मिलाना चाहिए।

८. साल 31/03/2013 मे रिटेंशन मनी रू 21,86,49,539 की कुल क्रेडिट शेष सुलह के अधीन हैं । इन बकाया का पता करने के लिए जल्द से जल्द कदम शरू किये जाने चाहिए ।

९. साल 31/03/2013 मे सुरक्षा जमा राशि रू 3,86,70,176 की कुल क्रेडिट शेष सुलह के अधीन हैं । इन बकाया का पता करने के लिए जल्द से जल्द कदम शरू किये जाने चाहिए ।

१०. निम्नलिखित शेष राशियों की शीघ्रातिशीघ्र पुष्टि और समाधान होना चाहिए।

अनुक्रमांक	लेखा शीष	रकम (रु)	जमा / उधार
1	कमीश्नर मध्याह्न भोजन शेष	74,58,233	Credit
2	कर्तव्यों और देय कर	55,346	Credit
3	टीआरपी वेतन अनुदान	1,68,040	Credit
4	बकाया समायोजन	7,05,149	Credit
5	बीआरसी भवन अनुदान	4,65,840	Credit
6	बाल मानचित्रिकरण	98,797	Credit
7	मध्याह्न भोजन योजना रसोईघर के छप्पर	21,670	Credit
8	एमआईएस डेटाबेज अनुदान	10,000	Credit
9	अन्य दायित्व	45,607	Credit
10	क्रियाएँ के लिए देय राशि	52,667	Credit
11	अन्य कार्यक्रमों को देय राशि	50,00,000	Credit
12	जीसीपीई खाता	9,15,394	Credit
13	विविध लेनदार	10,77,51,292	Credit
14	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम को देय	5,07,25,152	Credit
15	अन्य कार्यक्रमों को देय:राशि		
	a) समेकित बाल विकास योजना - स्कूल	60,00,00,000	Credit

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

	वाप़सी		
	b) यौगिक / मॉडल स्कूल / शौचालय ब्लाकों	25,00,00,000	Credit
	c) शिक्षक क्वार्टरों	25,00,00,000	Credit
	d) अतिरिक्त क्लासरूम गैर - जनजातीय	33,00,00,000	Credit
16	बकाया अग्रिमों - सर्व शिक्षा अभियान	3,57,58,836	Debit
17	बकाया अग्रिमों - एनपीईजीईएल	16,71,710	Debit
18	सीआरसी वेतन निधि	36,351	Debit
19	प्राप्ति योग्य शिक्षा अनुदान	22,730	Debit
20	डिपोजिट	50,185	Debit
21	जिला समायोजन खाता	4,62,698	Debit
22	टोरेंट पावर को दि गई सुरक्षा जमा राशि	41,800	Debit
23	वाहन जमा राशि	5,000	Debit
24	जिला समायोजन ए / सी	1,00,561	Debit
25	सामुहिक कर्मचारि बिमा के लिये दि गई राशि	3,54,219	Debit
26	सामुहिक सह.कर्मचारि बिमा के लिये दि गई राशि	12,187	Debit

11. बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति के लिए जि.सि.आर.टि धवार 11,93,60,000 रुपये कि राशि प्रबन्धक ध्वरा उनके नाम पर रखि गई है| जो ईस वर्श के दोरान खर्च की गई है जिसके कार्य आदेश को मार्च के महीने में क्रियान्वित किया गया है ओर बाकि जमा राशि 6,20,43,206/- जि.सि.आर.टि के पास है|

12. ऊपर के निर्देश अनुसार्ह, प्रबंधन के द्वारा रुपए 34,41,08,000 / जामा राशि कि तोर पर जि.सि.सि.इ. मॉडल डे स्कूल को रख्ने के लिए कबाट पुस्त्कालयो के लिए़ रखि गई है । जिस्का खर्च स्कुल मे पुस्त्कालयो के लिये रखि गई राशि मे जताया गया है । जिसका ओडर ईस साल के मार्च महिने तक किया है ओर बकाया राशि 12,55,78,300/ जि.सि.सि.इ. मॉडल डे स्कूल पास रखि गई है ।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

13. जो विभिन्न कार्यक्रम द्वार राशि प्राप्त कि गई है उसे एन.पि.ई.जि.एल् योजना तथा सर्व शिक्षा अभियान के लिये विभिन खर्चो के उपयोग मे लिया गया है । ओर उस्का आधार एम.एच.आर.डि के मार्ग्दर्शिका के अनुलेखन के अनुसार नहीं हुआ है। ईंनके अलावा बाकि किशि भि कार्य्क्रम के आधार पे राशि प्राप्त नहि कि गई, सभी ऋण का चालू वर्ष 2013-14 तक भुगतान कर दिया गया है, निम्नानुसार किये गए ऋण का ब्यौरा निचे दिया गया है।

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	राशि
1	यौगिक / मॉडल स्कूल / शौचालय ब्लाकों	25,00,00,000/-
2	अतिरिक्त क्लासरूम गैर – जनजातीय	33,00,00,000/-
3	समेकित बाल विकास योजना - स्कूल वापसी	60,00,00,000
4	शिक्षक क्वार्टरों	25,00,00,000

14. एम्.एच.आर.डी. के अनुसार मंजूर किये गए बजट सीमा के अनुसार करने के लिए, किये गये खर्च कि समिक्शा को संगठन के द्वारा व्यय की प्रकृति को पुनः आवंटन किया गया है|

15. हमे प्राप्त जानकारि के अनुसार, सुरेन्द्रनगर जिल्ले मे दी गई राशि का दुरूपयोग किया गया है जो खाते में अग्रिम दर्शया गया है. जिसकि जांच कोर्ट हो रहि है ओर जो राशि है उसकि मुल्य निचे लिखा गया है :

सुरेन्द्रनगरः- रु. 56,71,432/-

एसा हि वाक्या अहेम्दाबाद महानगर पालिका मे भि हुआ है, उसकि भि जांच(डिपार्टमेंट जाँच) जारि है. जिस राशि मे गड्बडिया प्राप्त हुई है उस्का मुल्य निचे दिया गया है:

अहेमदाबाद महानगर पालिकाः- रु. 2,21,71,658/-

16. हमे पता चला है कि जामनगर जिल्ले मे जो बैंक खाता है जो एन.पि.जि.ई.एल प्रोग्राम अंतर्गत है वो बन्ध किया जा चुका है लेकिन साल 2006-07 के खाते के अनुसार ईस खाते मे रु. 1,69,000/- जमा दिखा रही है। मिलि जानकारि के अनुसार हमे पता चला है कि ईस खाते

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

का अखरि जांच बाकि है ईस वजह से ये राशि बेंक मे जमा दिखा रहि है। ईस रुप से बकाया राशि कि जांच जारि है ।

17. कुछ बि.आर.सि / सीआरसी में बही खातों को ठीक से रखरखाव नहीं है और इसलिए शेष राशि कि माहिति खाते मे से सहि तरह से गतिविधि अनुसार माहिति प्राप्त नहि हो रहि है ।

18. एसएमसी / सीआरसी निम्नलिखित बातों का ऑडिट करते समय हमे निचे दिये गये कारणॉ का पता चला है.

    a. कुछ एसएमसि सभ्य जो सामग्रि निर्माण कार्य के लिये उप्योग मे लि जाति है उस सामग्रि का विवरण ठिक से नहि रख रहे है जिससे ये जान मुश्किल हो गया है कि कितनि सामग्रि बचि है । जिसकि वजह से हम ये पता नहि लगा पा रहे है कि दुसरि पारि या तिसरि पारि मे जो भुग्तान किया गया है वो दिये गये नियमो के अनुसार है या नहि।

    b. कुछ एसएमसि मजदुर को भुगतान करने का खाता ठिक से बना नहि रहे है जिसकि वजह से हमे पता नहि चल पा रहा है कि जिन मजदुरो को भुगतान कि गई है वो नियमो के अनुसार मुकादम को कि गई है या नहि।

    c. कुछ एसएमसि सभ्य नकद खाते को ठिक से रखरखाव नहि कर रहे है ।

    d. कुछ में एसएमसी समन्वयन ठीक से खाता बही पुस्तक और अनुदान रजिस्टर ठिक से बनाए रखने मे कमि कर रहे हैं.

    e. आम तौर पर एसएमसी एसएमसी द्वारा किया जा करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के अनुमोदन के लिए वित्तीय वर्ष में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त को बनाए रखने मे कमि कर रहे हैं ।

    f. खरीद प्रक्रिया विधिवत कुछ एसएमसी / सीआरसी द्वारा नियमो अनुसार पालन नहि कर रहे है ।

19. जिला स्तर पर बकाया अग्रिम बारीकी से निरीक्षण किया जा किया जाना चाहिए. और कार्रवाई लंबे बकाया के समायोजन के लिए उचित कदम उठाने चाहिए. दिए गए अग्रिमों की इसके अलावा निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए.

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

20. जिला और उप जिला स्तर पर वितरित राशि एक बार में खर्च नहीं किया जा रहा है. कुछ मामलों में यह बैंक ब्याज की वसूली नहीं किया जाता है। हम सुझाव देते हैं कि संतुलन पर अर्जित बैंक ब्याज पूरी तरह से ठीक किया जाना चाहिए और बाद के संवितरण ब्याज आय का शुद्ध किया जाना चाहिए.

21. राज्य और जिला वार बजट अनुमानों पीएबी द्वारा अनुमोदित किया गया है । जिसकि जांच करते हुए हमे ये पता चला है कि राज्य ओर जिल्ले के स्तर पर किया गया खर्च तेय किये गये खर्च से ज्याद है जिस्को जिल्ला प्रोजेक्ट अधिकारि द्वारा किया गया है जिस्को ए.डब्ल्यु.पि ओर बि द्वारा अनुमति प्राप्त है. ईन चिजो कि माहिति अलग से दिखानि चाहिए. ओर हम ये सुजाव देते है कि स्थानिय कचेरि के लिए अलग से भुग्तान रखा जए ओर जिसक हिसाब जिल्ले ओर राज्य स्तर पर रखा जए ओर उस्कि अनुम्ति को ए.डब्ल्यु.पि ओर बि द्वारा अनुमति प्राप्त कि जाए.

22. सूची पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए, एसपीओ कि ओर से ये सुचना दि जानि चाहिये कि पूंजीगत वस्तुओं, शिक्षकों की शिक्षण सामग्री, प्रशिक्षण मॉड्यूल और नि: शुल्क पाठ्य पुस्तक के रूप में वस्तुओं की मात्रात्मक विवरण दिखाई जानि चाहिए जिससे कि उपभोज्य और गैर उपभोज्य लेख और के लिए उप-जिला स्तर अलग स्टॉक रजिस्टर बनाना चाहिए. हम ये हिदायत देना चाहते है कि कम से कम साल में एक बार उनके भौतिक सत्यापन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि ऐसी सामग्री के वितरण के लिए स्थापित किया जाना चाहिए जिससे विञ्ण कि गई वस्तुओ कि सुचि को मिलाने मे आसानि हो.

23. काफि समय से मिशन नियमित रूप से लेखांकन नीति में नकद आधार पर चल रहा है जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के लेखा की व्यापारिक प्रणाली पर निर्धारित है.

24. अग्रिम राशि जो विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं की ओर से भुगतान की गई है वो राशि भी विधिवत बरामद की जानी चाहिए किया और उसका मेल मिलाप भि किया जान चाहिए.

25. हम बेतरतीब ढंग से ओर शारीरिक रूप से निश्चित परिसंपत्ति रजिस्टर के साथ जिला स्तर पर फर्नीचर और उसकि स्थिरता और सत्यापित क्रम में सहि पाया है. हालांकि, हम निश्चित परिसंपत्ति रजिस्टर में जो भि दर्ज कर रहे हैं, वो संपत्ति वर्तमान में भि दर्ज किया जा ना चाहिए जो अभि तक नहि हो रहा है।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

26. मिशन को गुजरात सरकार से 98 करोड़ रुपये का अनुदान रुपये प्राप्त हुआ है.. जो अनुदान गुजरात को 13 वें वित्त आयोग कि सिफारिश से मिला है।. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार कहा गया है कि अनुदान से किए गए खर्च के लिए अलग खातों को बनाए रखा जाना है. हालांकि आम खातों किए गए खर्च के लिए बनाए रखा और कहा खाता खर्च से अनुदान की सीमा तक 13 वें वित्त आयोग की सिफारिश के संबंध में कहा कि अनुदान के लिए खर्च के रूप में स्थानांतरित कर प्राप्त कर रहे हैं.

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572

स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

परिशिष्ट "I" महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं खातों का गठन

सर्व शिक्षा अभियान - गुजरात राज्य

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

(ए) **लेखांकन का आधार :**

परियोजना के हिसाब ऐतिहासिक लागत परंपरा तथा हिसाब की रोकड़ रकम के आधार पर तैयार किए जाते है । आय/अनुदानों का हिसाब तभी देखा जाता है जब यह वास्तविक प्राप्त किए जाते हैं, जब वस्तुत: उसे चुकाया जाता है।

उप जिला स्तर पर किए गए भुगतानों को शोधन के समय किए गए खर्चों के तौर पर लिया जाता है ।

प्राप्त अनुदान, वापस किए गए अनुदान (बचतों), पिछले वर्षो के अनुदानों की असंवितरित धनराशि, बैन्क ब्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य आय को आय के रुप में तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रवृतियों के लिए खर्च की गई राशि को खर्च के तौर पर लिया गया । इसमें निर्माण के लिए किया गया भुगतान तथा / अथवा अचल संपति के अभिग्रहण को भी समाविष्ट किया गया है ।

(बी) **अचल संपतियाँ :**

राज्य परियोजना कार्यालय या ग्राम स्तर द्वारा विविध कार्यक्रमो के लिए अर्जित / निर्मित अचल संपति भुगतान के समय खर्च के तौर पर लिया जाता है । परियोजना के निर्माण कार्य, जैसे कि विद्यालय भवनों, अतिरिक्त वर्गखंडो, कम्पाउंड वोल इत्यादी के निर्माण कार्य को आय और व्यय में व्यय के रूप में लिया जाता है ।

(सी) **वस्तूसूची :**

31-03-2013 की स्थिति पर अपभोग्य और अन्य वितरणयोग्य वस्तुओं को मूल्यांकित नहीं किया गया है, वर्ष पर्यांत इन वस्तुओ के मूल्य को खर्च के तौर पर लिया गया है तथा इसका हिसाब नकद प्रणाली के रुप में किया गया है ।

(डी) **निवेश:**

बेन्क के बचत खाते में रखी राशि के अलावा अन्य कोई भी निवेश नहीं किया गया है ।

(ई) **सरकारी अनुदान :**

परियोजना के लिए सरकार द्वारा दिए जानेवाले अनुदान प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है ।

(एफ) **वापसी अनुदान:**

प्रवर्तमान वित्तीय वर्ष में विशेष बजट हेड के अंतर्गत संवितरित अनुदान की रकम तथा अव्यतित/गैर-उपयोगी के रुप में उसी बजट हेड में उलट की गई है । और जो अनुदान की रकम पिछले वितीय वर्षो के दोरान विशेष बजट हेड के अंतर्गत दर्शाई गई है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान अव्यतित/गैरउपयोगी के रूप में उलट की गई है, उसे वापसी अनुदान (बचत) के तौर पर मानकर आय के रुप में स्वीकृत किया गया है ।

(जी) **अनुदान की सहयता में उपयोग**

सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त घन का उपयोग जिलों से प्राप्त उपयोग प्रमाणपत्र के आधार पर ब्लोक / जिलों / समूहो मे हुए हिसाब के आधार पर से लिखा गया हैं।

2. लेखा टिप्पणीयाँ

(ए) 'सर्व शिक्षा अभियान' भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत बनी सोसायटी तथा गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद की 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस' के नाम से, ईस कार्यक्रम के उदेश्यो को अभियान के रूप में लागू किया गया है।

(बी) सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों को विविध जिला स्तर, तहसिल स्तर, क्लस्टर स्तर और ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए या फिर राज्य परियोजना कार्यालय खुद विविध उदेश्यो के लिए इस अनुदान का उपयोग करता है।

(सी) मध्याह्न भोजन, रसोई शेड आदि की तरह अन्य योजनाओं से संबंधित प्राप्तियों और व्यय उपलब्ध जानकारी की हद तक इन खातों के संकलन के उद्देश्य के लिए बाह्र रखा गया है । उंनके भी किताबें रेकार्ड बनाए गये है । ईसके बकाया अग्रिमों मे भी मेल मिलाप किया जा रहा है और कुछ अन्य खर्चों के संबंध में सुलह और आवश्यक समायोजन करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(डी) कार्यक्रम की शर्तो के अनुसार, किसी भी वर्ष विशेष में, मंजूर की गई कोई लागत यदि पूर्ण रूप से व्यतित नहीं की जाती है, तो वही लागत बचत बन जाती है तथा उसे गैर-आवर्ती हेड के तहत व्यवहार में लाया जाता है । यह लागत आगे के वर्षो में की जानेवाली प्रवृतियों के लिए खर्च करने योग्य समझी जाती है।

(ई) **हमारे ऑडिट के समय कुछ जिला ओफीस पर इंटरनल ऑडिट नहीं की गई तो या फिर रिपोर्ट मिलना बाकि रह गया था.**

(एफ) व्यापार प्राप्तियों का संतुलन, देय व्यापार, अग्रिम और शेष राशि जमा की पुष्टि सुलह और समायोजन के अघनी हैं, यदि कोई किसी भी प्रबंघन चालू वर्ष के वित्तीय वक्तव्यों को प्रभावित मतभेद की उम्मीद नहीं करता ।

(जी) विभिन्न जिला कार्यलयों और नगर निगम कार्यालयों से जो रिटर्न प्राप्त किया गया है, वह संबंधित अधिकारीयों और नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित एंव संशोधित किया गया है । राज्य कार्यालय मे उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रारंभिक शेष राशि / घन अनुदान / जेवी के संबंघ में मुख्य रूप से राज्य कार्यालय से स्थानांतरित और राजय कार्यालय 31/03/2013 पर समापन शेष राशि अन्य तमाम वस्तुओ को हिसाब मे दिखाया गया है । इन संशोंधनों के अवेज मे राज्य कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की हद तक यदि कोइ प्रभाव वर्ष के लिए पडता है तो उसे व्यय मे समायोजित किया गया है।

(एच) वर्तमान दायित्व तथा वर्तमान संपतियों की शेष राशि हिसाबी किताबों के अनुसार है तथा संबंधित पक्षों के साथ इसकी पुष्टी की जानी है, यह बेन्क में जमा शेष धनराशि संबंधित बेन्क के साथ मेल खाते हैं, जिला कार्यालय से निकासित किए गए मांग पत्र तथा अदायगी आदेशों की संबंधित बेन्को के साथ पुष्टी की जानी अभी बाकी है।

(आई) प्रबंधन के मतानुसार वर्ष के अंत में बकाया अग्रिम राशि रू. 22,55,14,750/- को उचित एवं पुन: प्राप्ति योग्य अथवा समायोज्य के तौर पर माना गया है।

(जे) 31-03-2013 पर लंबित समायोजन लेखा में दिखाई गई रू. 07,05,149/- की वर्षान्त जमा राशि को अदायगी योग्य अथवा समायोज्य के तौर पर माना गया है।

(के) 31-03-2013 पर आरएम / ईएमडी / पर्फोर्मेन्स सिक्युरिटी / बीड सिक्युरिटी के रूप मे शेष राशि रू.25,80,51,439/- का मेल करने के आधिन रखा गया है।

(एल) जिला समायोजन लेखा शेष रु.1,00,561/- है जिसे मेल करने के अधीन रखा गया है।

(एम) बैलेन्स शीट में कोई आकस्मिक दायित्व और बैलेन्स शीट के बाहर की वस्तु नहीं है।

(एन) आंकड़ो को निकटतम रुपयों में परिवर्तित किया गया है।

पि.बि.खरचलिया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : 21-09-2013

मुकेश कुमार (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
स्थान : गांधीनगर
दिनांक : 21-09-2013

इस दिनांक हमारे संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार :

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

अरुन पोदार
पार्टनर
M. No. 134572

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : 21-09-2013

S K Patodia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

खरीद लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

"प्रमाणित किया जाता है कि हमने सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात राज्य के लिए परियोजना कार्यान्ययन एजेन्सी - गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद, गांधीनगर के द्वारा उपयोग में लाई गई खरीद, प्रक्रिया की यादृच्छिक आधार पर चले है और हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए वर्ष 2012-13 के राज्य एवं जिला स्तर के आलेखों का लेखा परिक्षण किया है, और हमारे प्रबंधन पत्र के आधीन रहकर, सामान्यरुप से हम संतुष्ट है कि खरीद प्रक्रिया सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रबन्धन और खरीदी मार्गदर्शिका में निर्धारित प्रक्रिया का पालन गया है और निम्नलिखित विचलनों का अवलोकन किया है। "

अनुक्रमांक	विवरण	विचलन	समाविष्ट राशि (जिसे गलत खरीद घोषित किया गया है)
1.	महर्शि स्टेशनरि ओर जनरल स्टॉर	उपलब्ध कोटेशन वर्ष 2006 से जारी कर रहे हैं ..	Rs. 728,155/-

एस. के. पाटोडीया एन्ड
एसोसिएटस के उपलक्ष मे,

चार्टर्ड एकाउन्टंट

FRN 112723W

S.K. PATODIA & ASSOCIATES MUMBAI

अरुन पोदार

भागिदार

M. No. 134572

Head Office : Shree Shakambhari Corporate Park,
Plot No. 156-58, Chakravarti Ashok Complex, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 099
Tel. : +91 22 6707 9444 • Fax : +91 22 6707 9494 • Email : info@skpatodia.in

Offices : New Delhi I Kolkata I Bengaluru I Chennai I Ahmedabad I Jaipur I Hyderabad I Bhopal I Patna I Raipur

www.skpatodia.in

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

गुजरात राज्य

31.03.2013 पर बैलेन्स शोट

स्रोत	रकम	रकम
अनुदान विवरण		
आय और व्यय खाते से हस्तांतरित किया गया		-
आतिरिक्त शेष	-	188,315,426
देय		
(राज्य और जिला स्तर पर)		
आरएम/ईएमडी/ निष्पादन जमा	4,126,483	
केजीबीवी को अग्रिम भुगतान	1,147	
कर्तव्य और दैय कर	3,570	
लेनदार	347,257	4,478,457
कुल		192,793,883

अनुप्रयोग	रकम	रकम
बैन्क और रोकड शेष		
(राज्य और जिला स्तर पर)		
एसपीओ के पास बैन्क में शेष धनराशि	104,780,763	
जिलाओ के पास बैन्क में शेष धनराशि	26,807,002	131,587,765
प्राप्य		
(राज्य और जिला स्तर पर)		
एस.एस.ए द्वारा प्राप्त भुगतान	50,725,152	
महिला सामख्य को अग्रिम भुगतान	5,336,569	
जिलों पर केजीबीवी को अग्रिम भुगतान	5,143,898	61,205,618
समायोजन लंबित		500
कुल		192,793,883

अनुबंध "।" के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इस के साथ संलग्न है।

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

पि.[illegible]लिया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
तारिख : 21/09/2013

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572
स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

27

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम

गुजरात राज्य

31.03.2013 तक की अवधि पूर्ण होने तक का आय और व्यय खाता

व्यय	रु	रु
अनुदान चुकाना /वापस लेना		
(राज्य और जिला स्तर पर)		
गैर-आवर्ती व्यव		
मोडल I	18,777,739	
मोडल I	9,634,327	
मोडल III	28,006,448	56,418,514
आवर्ती व्यय		
मोडल I	19,505,600	
मोडल I	94,276,065	
मोडल III	26,009,548	139,791,213
आय से अधिक खर्च को बेलेन्स शीट मे आगे ले जाने के लिए		188,315,426
कुल		**384,525,153**

आय	रु	रु
भारत सरकार के प्राप्त अनुदान	189,078,357	
गुजरात सरकार से प्राप्त अनुदान	87,750,000	276,828,357
	101,296,662	
जोडे: असंवितरित शेष पिछले वर्ष से आगेल लाये		
बैन्क व्याज	4,675,624	
प्राप्त निविदा शुल्क	12,000	
अन्य आय	-	
		105,984,886
जिलों पर प्राप्त व्याज		
बैन्क व्याज	1,589,223	
अन्य आय	122,687	1,711,910
कुल		**384,525,153**

अनुबंध "I" के अनुसार किए गए हिसाबो की टिप्पणी इस के साथ संलग्न है ।

संलग्न तारीख के हमारे लेख रिपोर्ट के अनुसार,

पि.बि. खा[illegible]लिया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्दोशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद
गांधीनगर.

स्थल: गाधिनगर
तारिख : 21/09/2013

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

अरुन पो[illegible]
भागिदार
M. No. 134572
स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

28

फंड प्रवाह विवरण - केजीबीवी
31 वीं मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

स्रोत(प्राप्तियाँ)	कुल
प्रारंभिक शेष	
(अ) हाथ पर शेष राशि	-
(ब) बेन्क में जमा शेष	101,878,120
कुल	**101,878,120**
स्रोत (प्राप्ति)	
(अ)भारत सरकार द्वारा प्राप्त निधि	189,078,357
(ब)राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निधि	87,750,000
(स) ब्याज	6,264,847
अन्य	
(अ) अनुदान वापसी बचत	110,687
(ब) निविद शुल्क	12,600
(क) विविध प्राप्तियाँ	-
(ड) वाहनों की पुन:बिक्री	-
(इ) प्राप्ति योग्य रकम में कटौती	(84,116,121)
(फ) अन्य	12,000
कुल प्राप्तियां (I)	**300,990,490**
अनुप्रयोग (व्यय)	**व्यय खर्च**
अदायगीयाँ	
केजीबीवी गैर आवर्ती मोडल I	18,777,739
केजीबीवी - प्रतिवर्ष आवर्ती लागत - मोडल - I	19,505,600
केजीबीवी - गैर आवर्ती मोडल II	9,634,327
केजीबीवी - प्रतिवर्ष आवर्ती लागत - मोडल II	94,276,065
केजीबीवी - गैर आवर्ती मोडल III	28,006,448
केजीबीवी - प्रतिवर्ष आवर्ती लागत - मोडल III	26,009,548
कुल खर्च (II)	**196,209,727**
बंद शेष -(I) - (II)	**104,780,763**
(अ) बेन्क में शेष जमा राशि	104,780,763
(ब) हाथ पर शेष राशि	
कुल	**104,780,763**

पिंकी खास्थालिया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
स्थान : गांधीनगर
तारिख : 21/09/2013

मुकेश कुमार (आई.ए.एस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
स्थान : गांधीनगर
तारिख : 21/09/2013

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN: 112723 W
अरुण पोद्दार
भागिदार
M. No. 134572
स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

29

एस.एस.ए मिशन

एफ.एम.आर-1

रज्य का नाम - गुजरात

खर्च समिक्शा रेपोट

वित्तिय साल 2012-13

(रु पे लाख मे

राज्य का नाम	स्किम	ए.डब्ल्यु.पि ओर बि साल 2012-13	सेश राशि दिनांक 01-04-2012 तक	भारत राज्य द्वार जाहिर	राज्य द्वार	जताया गया खर्च का विव्ररण 31-3-2013	2013-14 वित्तिय वर्श के लिये ए.डब्ल्यु.पि ओर बि
गुजरात	के.जि.बि.वि	4,918.84	1,012.97	1,890.78	877.50	1,962.10	3,028.93
कुल		**4,918.84**	**1,012.97**	**1,890.78**	**877.50**	**1,962.10**	**3,028.93**

हम ए.ड्ब्ल्यु.पि ओर बि के दिये आंकडो को प्रमाणित करते है

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572
स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

S K Patodia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

लेखा परिक्षक की रिपोट

प्रति
राज्य परियोजना निर्देशक
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
सर्व शिक्षा अभियान,
गुजरात, गांधीनगर.

संदर्भः गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद विभाग (एसएसए) 2012-13 के वैद्यानिक अंकेक्षण

१. हमने **'कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम', गुजरात** की यहाँ संलग्न 31 मार्च 2013 की स्थिति में सम्मिलित बेलेन्स शीट, उनकी सम्मिलित आय एवं व्यय खाता, सम्मिलित प्राप्तियों एवं भुगतान और सम्मिलित वार्षिक वित्तीय निवेदनों का इसमें दर्शाई गई तारीख को खत्म होने वाले वर्ष का लेखा परिक्षण किया है। ये वित्तीय निवेदन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारे लेखा परिश्रण के आधार पर वित्तीय निवेदन के लिए अभिप्राय देना हमारी जिम्मेदारी है।

२. हमने भारत में सामान्यरुप से मान्य किए गए लेखा परिक्षण एवं लेखा मानकों के आधिन रहकर लेखा परिक्षण किया है। इन मानकों के अनुसार हमे अपना लेखा परीक्षण इस तरह से आयोजित एवं निष्पादित करना होता है कि जिससे यह तय हो सके कि वित्तीय निवेदन किसी तरह की सामग्री के गैर निवेदन से मुक्त है। लेखा परीक्षण में वित्तीय निवेदन में प्रदर्शित धन राशियों के आँकडो एवं उनके प्रकटन आधार साक्ष्यों के याद्दच्छिक एवं जाँच परीक्षण का समावेश होता है। लेखा में उपयोग में लाए गए लेखा सिद्धांतो का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलनो समेत समग्र वितीय निवेदन प्रस्तुति को भी समाविष्ट किया जाता है। हमारा मानना है कि हमारे लेखा परिक्षण हमारे अभिप्राय के लिए एक यथोचित आधार प्रदान करता है और हम यह रिपोर्ट देते है।

Head Office : Shree Shakambhari Corporate Park,
Plot No. 156-58, Chakravarti Ashok Complex, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 099
Tel. : +91 22 6707 9444 • Fax : +91 22 6707 9494 • Email : info@skpatodia.in

Offices : New Delhi I Kolkata I Bengaluru I Chennai I Ahmedabad I Jaipur I Hyderabad I Bhopal I Patna I Raipur

www.skpatodia.in

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

३. ' **कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम**' भारत सरकार का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यो में कार्यक्रम को सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत निर्मित सोसायटी द्वारा 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस ओफ गुजरात काउंसिल ओफ एलिमेन्टरी एज्युकेशन' के नाम से एक मिशन के रुप में लागु करना है। सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त अनुदान विविध जिला, तहसिल तथा क्लस्टर एवं ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए दी जाती है या फिर राज्य परियोजना कार्यालय स्वयं विविध जिलों में इस अनुदान का उपयोग करता है।

4. प्राप्त अनुदान, वापसी अनुदान (बचत) पीछले वर्षो के शेष अनुदान, बैन्क से प्राप्त ब्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क तथा विविध प्रकार से प्राप्त हुई अन्य आयों को आय एवं धनराशि को इस कार्यक्रम की विविध प्रवृत्तियों मे व्यय के अंतर्गत लिया गया है और उसे व्यय की तरह ही माना गया है। विविध प्रवृत्तियो के लिए व्यय की गई धन राशि में निर्माण कार्य में उपयोग में लाई गई राशि तथा / अथवा इस कार्यक्रम के उद्देश्यो के लिए अचल संपति की प्राप्ति / अर्जन को भी समाविष्ट किया गया है। इन सभी व्ययों को राजस्व खर्च के तौर पर समझा गया है।

हम रिपोर्ट करते है कि :-

(ए) हमारी जानकारी व मान्यता के अनुसार लेखा परिक्षण के लिए आवश्यक तमाम जानकारी तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए है।

(बी) बेंलेन्स शीट, इस रिपोर्ट को तैयार करने में जरुरी आय और व्यय खाता, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार किए गए लेखा किताबों के साथ सहमती दिखा रहे है।

(सी) अगर कोई नकद शेष थी और वाउचर्स लेखा परीक्षण की तारीख तक अधिकारीयों की कस्टडी मे थे 31.03. 2013 तक कोई नकद शेष, यदि थे तो भौतिक रुप में हम उसका सत्यापन नहीं कर पाए है।

(डी) हमारे अनुसार, परियोजना द्वारा जरुरी हिसाबों को तैयार किया गया है, जो कि उसके नमूनों की जाँच से पता चलता है।

(ई) हमारे अभिप्राय में, हमे प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार दिए गए ऐसे हिसाब और हमारे अवलोकन, जो अनुच्छेद-2 में है, ऐसे हिसाब या हिसाबों पर टिप्पणी और हमारे उसी दिन के प्रबंधन पत्र के आधीन इस बात की पुष्टि करते है कि राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा हिसाब के सिद्धातों का पालन किया गया है :

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

अ) बेलैंस शीट के विषय में राज्य परियोजना कार्यालय के मामलों की दशा दिनांक 31-03-2013 के अनुसार

ब) आय और व्यय खाता के विषय में 31-03-2013 को पूर्ण होते वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय के उपलक्ष में।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

Arun Podar

अरुन पोदार
भागिदार
M. No. 134572

स्थल: अहेम्दाबाद
तारिख : 21/09/2013

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

प्रति

राज्य परियोजना निर्देशक

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय,

गुजरात राज्य,

गांधीनगर.

प्रबंधन पत्र

मानव संसाधन विकास, भारत सरकार के प्राथमिक शिक्षण एव साक्षरता मंत्रालय द्वारा जारी वित्तीय प्रबंधन एवं खरीद मार्गदर्शिका के परिच्छेद क्रमांक 101.5 एवं पूरक अंश-XVI की आवश्यकता अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए प्रबंधक पत्र उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ परिक्षण जाँच यदच्छित लेखा परिक्षण के आधार पर समग्र लेखा प्रक्रिया में सुधार लाने के किए हमारे अवलोकन एवं सिफारिशें शामिल है। इसमें अधिक कार्यक्षम नियंत्रण के उपाय के लिए हमारे सुझाव भी शामिल है।

1. राज्य से जिला स्तर और जिला से तहसिल स्तर तक धनराशि के मिलान की क्रिया लागु की जानी चाहिए तथा विविध स्तर से प्रतिपुष्टि होनी चाहिए।
2. जिला कार्यालय स्तर तथा मुख्य कार्यालय स्तर पर माहवार बेन्क समाधान किया गया। इससे पता चलता है कि प्रक्रिया / पद्धति योग्य है, वर्ष के अंत में ३ महिनों से भी ज्यादा समय से जमा हुए चैंक अगले वित वर्ष में समाधान के बाद उलट किए जाने चाहिए। मौजूदा देनदारीयों के खिलाफ जिला कार्यालय से जारी किए गए मांग पत्रों तथा भुगतान आदेशों से संबंधित चेकों से संबंधित बैंको के साथ भुगतान होने ओर निकासी की पुष्टि के लिए लंबित हैं।
3. आंतरिक लेखा परिक्षक के अवलोकनों / टिप्पणीयों के अनुपानल का कार्य प्रगति में है, जो शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए।
4. राज्य तथा जिला स्तर पर किए गए लेखा परीक्षणों से ज्ञात होता है कि कर (टी.डी.एस.) की कटौती से संदर्भ में जो आयकर प्रावधान करना पडता है वह नही हुआ है। जिसे भविष्य में ध्यान में रखा जाना चाहिए।
5. जिला स्तर पर बकाया शेष राशि पर बारिक से नजर रखी जानी चाहिए। तथा दर्धावधि से बकाया राशि के समन्वय के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।
6. उप-ईकाई स्तर अर्थात, केजीबीवी स्तर, पर लेखा परीक्षण के दौरान हमने यह पाया है कि संयोजन काफी कुछ नकदी भुगतान करते है, भुगतान पर नियंत्रण रखने हेतू यह सुझाव दिया जाता है कि जिला कार्यालय तथा तहसिल स्तर पर उचित सीमा से अधिक किए गए सभी भुगतान, जो कि संस्था के हिसाब से योग्य है, अकाउन्ट पेयी चेक के द्वारा चुकाने चाहिए।
7. पिछले अभ्यासों के अनुसार मिशन द्वारा नियमित रुप से लेखांकन के नकदी आधारों का पालन किया जाता है। जो कि वर्षो पहले लेखांकन कार्यनीति में दर्शाए गए है, तथापि, एमएचआरडी मार्गदर्शिका लेखांकन की वाणिज्यिक प्रणाली का निर्धारण करती है।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

8. वस्तु सूची पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए, स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस को बिस्तर (बेडींग्स), प्रशिक्षण मोड्युल्स, एवं फर्नीचर जैसी वस्तुओं की मात्रात्मक विवरण दर्शाते उपभोज्य एवं गैर-उपभोज्य साधनों के लिए जिला स्तर पर एक एक अलग संग्रहण रजिस्टर बनाने का और वर्ष में कम से कम एक बार भौतिक सत्यापन हेतू स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस द्वार अमल का निर्देश दिया जाए, हमारा मत है कि ऐसी सामग्री के आलेख एवं वितरण के लिए उचित अनुबंधन स्थापित करना चाहिए।

9. प्रोग्राम के द्वारा महिला सामख्या नाम के एक संस्था को राशि का वितरण किया जाता है, जिसे महिला सामख्या के द्वारा ६ जिले में खर्च किया जाता है|हिसाब के तौर पे वर्ष के अंत में एक सी.ए. के द्वारा प्रमाणित यू.सी. ही दिया जाता है. वर्ष के दौरान खर्चे से सम्बंतित किसी भी प्रकार के वोउचेर नहीं मिलते है. हम प्रोग्राम के द्वारा अपनाई जाने वाली इस प्रकिया को दुरुश्त करने की सलाह देते है|

10. निम्नलिखित शेष राशि की पुष्टि और सामंजस्य जल्द से जल्द हो जानी चाहिए।

क्रम	खाता हेड	रकम (रू)	जमा / उधार
1	आरएम / ईएमडी / परफोमन्स डीपोझीट	41,26,483	जमा
2	क़े.ज़ि.बि.वि को दिया गया एडवान्स	1,147	जमा
3	कर ओर टेक्स	3,570	जमा
4	लेनदार	3,47,257	जमा
5	महिला सामख्य को अग्रिम भूगतान	51,43,898	डेबिट

11. हमारा सुझाव है कि जिन संपत्तियो को संपत्ति रजिस्टर में आलेखित किया गया है उन्हें हिसाब की वित्तिय किताबों में भी लिखा जाना चाहिए, जो अभी नही किया गया है।

12. कुछ केजीबीवी द्वारा खरीद प्रकिया का योग्य अनुपालन नही किया जा रहा है जिसे समय रहते ही पुरा कर लिया जना चाहिए।

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W
अरुन पोद्दार
भागिदार
M. No. 134572

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

परिशिष्ट "I" महत्वपूर्ण लेखांकन नीतिया एवं खातों का गठन

कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय कार्यक्रम- गुजरात राज्य

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों :

(ए) **लेखांकन का आधार :**

परियोजना के हिसाब ऐतिहासिक लागत परम्परा तथा हिसाब की रोकड रकम के आधार पर तैयार किए जाते है, आय/अनुदानों का हिसाब तभी देखा जाता है जब यह वास्तविक प्राप्त किए जाते है और खर्च तभी किए जाते है, जब यह वस्तुत: उसे चुकाया जाता है। उप जिला स्तर पर किए गए भुगतानों को शोधन के समय किए गए खर्चो तौर पर लिया जाता है।

प्राप्त अनुदान, वापस किए गए अनुदान (बचतॉं), पिछले वर्षो के अनुदानों की असंवितरित धनराशि, बेन्क व्याज, प्राप्त किए गए निविदा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य आय को आय के रुप में तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत विविध प्रवृत्तियों के लिए खर्च की गई राशि को खर्च के तौर पर लिया गया, इसमें निर्माण के लिए किया गया भुगतान तथा / अथवा अचल संपत्ति के अभिग्रहण को भी समाविष्ट किया गया है।

(बी) **अचल संपत्तियॉं :**

राज्य परियोजना कार्यालय या ग्राम स्तर द्वारा विविध कार्यक्रमो के लिए अर्जित/निर्मित अचल संपति भुगतान के समय खर्च के तौर पर लिया जाता है, परियोजना के निर्माण कार्य, जैसे कि केजीबीवी भवनों इत्यादी के निर्माण कार्य को आय और व्यय के रुप में लिया जाता है।

(सी) **वस्तुसूची :**

31-03-2013 की स्थिति पर उपभोग्य और अन्य वितरणयोग्य वस्तुओं को मूल्यांकित नहीं किया गया है। वर्ष पर्यत इन वस्तुओं के मूल्य को खर्च के तौर पर लिया गया है तथा ईसका हिसाब नकद रकम के रुप में किया गया है।

(डी) **निवेश :**

बेन्क के बचत खाते में रखी रकम के अलावा अन्य कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

(ई) **सरकारी अनुदान :**

परियोजना के लिए सरकार द्वारा दिए जानेवाले अनुदान प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत किया जाता है।

(जी) **वापसी अनुदान :**

प्रवर्तमान वितीय वर्ष में विशेष बजट हेड के अंतर्गत संवितरित अनुदान की रकम तथा अव्यतित / गैर-उपयोगी के रुप में उसी बजट हेड में उलट की गई है, और जो अनुदान की रकम पिछले वितीय वर्षो के दौरान विशेष बजट हेड के अंतर्गत दर्शाई गई है और इस वितीय वर्ष के दौरान अव्यतित/गैरउपयोगी के रुप में उलट की गई है, उसे वापसी अनुदान (बचत) के तौर पर मानकर आय के रुप में स्वीकृत किया गया है।

2. लेखा टिप्पणियॉं :

(ए) 'कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय' भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के तहत बनी सोसायटी तथा गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद की 'स्टेट प्रोजेक्ट ओफिस' के नाम से ईस कार्यक्रम के उद्देश्यों को अभियान के रुप में लागु किया गया है।

(बी) सोसायटी के राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त किए गए अनुदानों को विविध जिला स्तर, तहसिल स्तर, क्लस्टर स्तर और ग्राम्य स्तर के उपयोग के लिए या फिर राज्य परियोजना कार्यालय खुद विविध हेतुओं के लिए इस अनुदान का उपयोग करता है।

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

(सी) कार्यक्रम की शर्तों के अनुसार, किसी भी वर्ष विशेष में, मंजुर की गई कोई लागत यदि पूर्ण से व्यतित नहीं की जाती है, तो वही लागत बचत बन जाती है तथा उसे गैर-आवर्ती हेड के तहत व्यवहार में लाया जाता हैं, यह बचत आगे के वर्षों में की जानेवाली प्रवृत्तियों के लिए खर्च करने योग्य समझी जाती है।

(डी) मौजूदा देनदारियों और मोजूदा संपत्तियों में शेष राशि खाता किताब के अनुसार और संबंधित पार्टियो से पुष्टि के अधीन है ।

(ई) विविध शीर्ष अंतर्गत अनुदानों के वितरण का वर्गीकरण इस परियोजना में जारी की गई सुचनाओं और मार्गदर्शिकाओं के अनुसार है।

(एफ) आरएम/बीड सिक्युरिटी / ईएमडी/ पर्फोर्मेन्स सिक्युरिटी के रुप में शेष राशि रु.41,26,483/- का मेल करने के आधीन रखा गया है।

(जी) न्यायालय में कोई दावे अपुर्ण नही है, कोई फरियाद दाखिल या अपूर्ण नहीं है अथवा कोई निर्णय अपुर्ण नहीं है।

(एच) बैलेन्स शीट में कोई आकस्मिक दायित्व और बैलेन्स शीट के बाहर की वस्तु नही है।

(आई) आँकडो को निकटतम् रुपयों मे परिवर्तित किया गया है।

पि.बि.खांरचलिया
वित और हिसाब अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक : २१/९/२०१३

मुकेश कुमार (आईएएस)
राज्य परियोजना निर्देशक
सर्व शिक्षा अभियान, गुजरात,
राज्य परियोजना कार्यालय,
गुजरात प्रारंभिक शिक्षा परिषद,
गांधीनगर.

स्थान : गांधीनगर
दिनांक : २१/९/२०१३

इस दिनांक हमारे संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार :

एस. के. पाटोडीया एन्ड एसोसिएटस के उपलक्ष मे,
चार्टर्ड एकाउन्टंट
FRN 112723W

अरुन पोतार
पार्टनर
M. No. 134572

स्थान : अमदाबाद
दिनांक : २१/९/२०१३

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

बजट का अधिक उपयोग का विवरण:

(Amount in Rs.)

जिल्ले	मुख्य खार्च	ए.इब्ल्यू.पि	खर्च	ज्यादा खर्च
अहमदाबाद	एन.पि.जि.एक	2480000	2501894	-21894
भावनगर	शिक्षण अधिगम उपकरण (टि.एल.ई)	2715000	3660000	-945000
दाहोद	शिक्षण अधिगम उपकरण (टि.एल.ई)	675000	4890000	-4215000
जामनगर	एन.पि.जि.एक	3959000	4008395	-49395
जामनगर	मुफ्त पाठ्यपुस्तक	34104000	36374913	-2270913
नवसारि	शिक्षण अधिगम उपकरण (टि.एल.ई)	1080000	2010000	-930000
प्च्महाल	मैन्टेनंस ग्रांट	23005000	23175977	-170977
प्च्महाल	शिक्षण अधिगम उपकरण (टि.एल.ई)	1980000	6540000	-4560000
साबरकाठा	Maintenance Grant	24190000	24232500	-42500
साबरकाठा	शिक्षण अधिगम उपकरण (टि.एल.ई)	3705000	7575000	-3870000
एस.एम.सि	प्रशिक्षण	8030000	8122496	-92496
तापि	मैन्टेनंस ग्रांट	7210000	7230500	-20500
बडोदा	शिक्षण अधिगम उपकरण (टि.एल.ई)	1875000	3720000	-1845000
वलसाड	शिक्षण अधिगम उपकरण (टि.एल.ई)	450000	600000	-150000

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

File Name : Annual_Report_2012_13_Hindi_05_03_2014.cdr

ANNUAL REPORT 2012-13 RTE - SSA : NPEGEL : KGBV, GUJARAT STATE

Gujarat Council of Elementary Education

Sarva Shiksha Abhiyan
Sector-17, Gandhinagar, Gujarat
Toll Free No.- 1800-233-7965 | www.ssagujarat.org